खण्ड-138, अंक-2
मंगलवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(24 अगस्त, 1954 ई0)

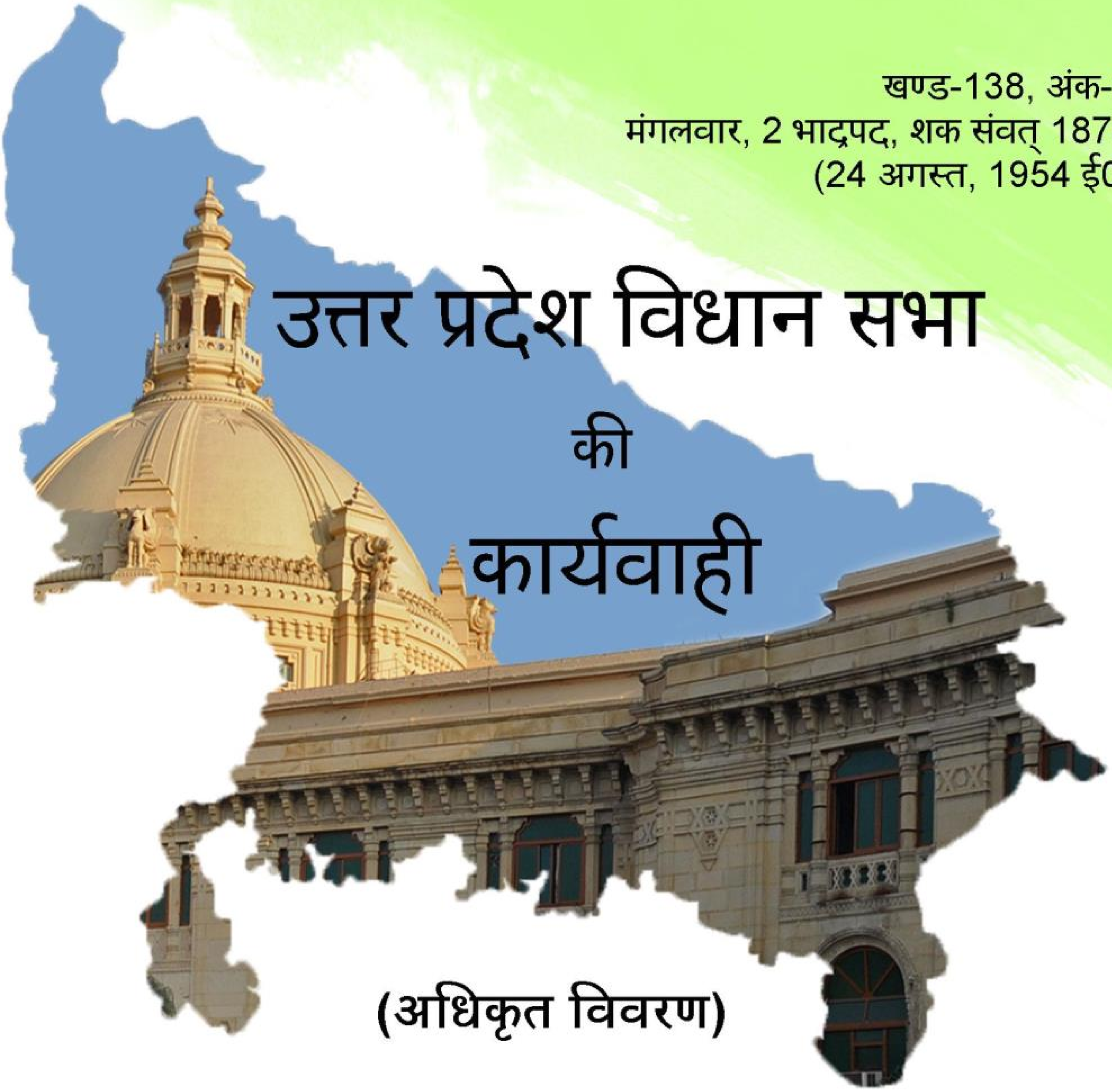

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 138 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशी राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचद्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोर्वधन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह नि ञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम , श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देव दत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली , श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम , श्री
पुलिनविहारी बनर्जी श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा , श्री
फूल सिंह, श्री

बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री

मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अजमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण वर्मा, श्री
वसीनक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर सहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में गांजे का आयात व खपत

*१—श्री शिव पूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५०–५१ तथा ५१–५२ में गांजे की कितनी खपत हुई है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—उत्तर प्रदेश में सन् १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में निम्नलिखित गांजे की खपत हुई थी :

१९५०–५१	८,८२७॥ सेर
१९५१–५२	५,९७४ सेर।

*२—श्री शिव पूजन राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश के गांजे के ठेकेदारों को बेंचने के लिये कहां-कहां से गांजा मंगाया जाता है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—इस प्रदेश में गांजे के ठेकेदारों द्वारा बेचने के लिये गांजा मध्य प्रदेश से मंगाया जारहा है।

*३—श्री शिव पूजन राय—क्या इस प्रदेश में गांजे की पैदावार नहीं होती ?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी नहीं।

श्री शिव पूजन राय—क्या यह सही है कि सन् १९५०-५१ की खपत से जो सन् १९५१-५२ में गांजे की खपत में कमी हुई है उसका कारण यह है कि चोरी से गांजा दूसरे प्रदेशों से मंगाया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मेरे विभाग का ताल्लुक है वे लोग तो यह समझते हैं कि जो गांजा उनको दिया जाता है वह जो पहले गांजा दिया जाता था उससे खराब होता है। वह गांजा अब हमको मिलता नही है इस वजह से इसकी खपत में कमी होती जा रही है।

श्री शिव पूजन राय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१ की दर से सन् १९५१-५२ की दर में ठेकेदारों को बेचने के लिये कोई कमी-बेशी हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, कीमत में कोई कमी-बेशी नही हुई है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में गांजे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये कुछ व्यय किया जारहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---पंचवर्षीय योजना में तो यह नहीं है लेकिन ऐग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के जरिये हमारे यहां यह कोशिश हो रही है कि गांजे की पैदावार अपने प्रदेश में बढ़ायी जाय।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले की अपेक्षा अब गांजा पीने वालों की संख्या अधिक हो गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं।

श्री शिव पूजन राय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या इस प्रदेश में गांजे की खेती नहीं हो सकती और यहां प्रदेश में गांजे की खेती कराने के लिये क्या कोई कार्यक्रम है ?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)---जो गांजा बाहर से आता है क्या उसका कोई टेस्ट भी होता है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में जांच होती है कि वह किस क्वालिटी का गांजा है।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार इस नशीली वस्तु को मद्यनिषेध नीति के अनुसार बन्द करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, सरकार की पालिसी मद्यनिषेध की ही है।

बांदा सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में वितरित रिपोर्ट

*४---श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री द्वारा बांदा सम्मेलन में (उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रगति) दी गई रिपोर्ट की कितनी प्रति प्रकाशित कराई गई एवं उस पर कितना व्यय हुआ ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम मूर्ति)---एक एक हजार प्रतियां हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी में प्रकाशित कराई गई थीं। छापे खाने की छपाई के बिलों का कुल योग १४९ रू० है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह रिपोर्ट सरकार के पैसे से क्यों प्रकाशित की गई ? क्या वह कांग्रेस पार्टी के पैसे से प्रकाशित नहीं हो सकती थी ?

श्री रामसूर्ति—यह रिपोर्ट शुरु में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के पैसे से छपाई गई थी और बांदा सम्मेलन में भेजी गई थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि उसमें चीफ मिनिस्टर की आथेन्टिक बातें हैं तो उसको १४९ रु० खर्च करके सरकारी तौर पर छपवाया गया और उसे असेम्बली के मेम्बरों, पार्लियामेंट के मेम्बरों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अफसरों के लिये भेजा गया ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १४९ रुपए का व्यय हुआ क्या इसमें कागज का भी और मार्ग व्यय भी सामिल है ?

श्री रामसूर्ति—इस १४९ रु० में सिर्फ छपाई ही शामिल है । कागज तो सरकार की तरफ़ से आया था ।

आजमगढ़ जिले में दोहरी घाट एवं रतोई ताल पम्प नहर निर्माण योजना

*५—**श्री राम सुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत दोहरीघाट एवं रतोई ताल पम्प नहर का निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायगा तथा कब पूरा होगा और इस योजना से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी तथा कितना व्यय होगा ?

श्री रामसूर्ति—दोहरीघाट पम्प नहर पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । इस योजना को द्वितीय पंच वर्षीय योजना (१९५६–५७ से १९६०–६१ तक) में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता जल्दी मिली तो कार्य पहले ही आरम्भ हो जायगा । इसकी अनुमानित लागत १ करोड़ २९ लाख है और इससे लगभग १,३८,८३८ एकड़ भूमि की प्रति वर्ष सिंचाई होगी । इस बीच जब तक भारत सरकार की स्वीकृति नहीं मिलती दोहरी से एक छोटी पम्प कैनाल २० लाख रुपये की लागत से निकालने का आदेश दिया गया है ।

रतोई ताल पम्प नहर पर १९५३–५४ से ही कार्य चालू है और इसके सन् १९५५ ई० में पूर्ण हो जाने की आशा है । इसकी अनुमानित लागत ३ लाख रूपया है और इस से लगभग ३,७५० एकड़ भूमि की प्रति वर्ष सिंचाई होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर के लिये भारत सरकार से कितने रुपए की मांग इस सरकार द्वारा की गई है ?

श्री रामसूर्ति—यह एक बड़ी स्कीम है इसमें १ करोड़ २१ लाख रुपए की लागत होगी लेकिन चूंकि अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला है इस लिये २० लाख की छोटी स्कीम चालू कर दी गई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ने पम्प नहर के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई मांग की है और यदि हां तो भारत सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री रामसूर्ति—बहुत बड़ी मांग कर रखी है और वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रतोई ताल पम्प नहर के विरुद्ध वहां के निवासियों ने कोई आवेदन पत्र दिया है यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—वहां से तो कोई विरोध नहीं आया था । माननीय सदस्य की ओर से कुछ विरोध मिला था कि वहां के किसानों को इस बात की तकलीफ है कि वहां पर जो सड़क निकाली जा रही है उसमें १२ फुट जमीन ले ली जायगी । तो चूंकि यह रतोई ताल की नहर बहुत छोटी सी है ढ़ाई तीन मील की और उसमें १२ फीट जमीन ले ली गई थी इस लिये यह आदेश दिया गया है कि यह नहर की सड़क न बनाई जाय ।

श्री दयानाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---दोहरीघाट से जो पम्प कैनाल निकलने वाली है उसी तरह से कोई कैनाल घाघरा से आजमगढ़ जिले में क्या निकलने वाली है ?

श्री राम मूर्ति---एक और बड़ी स्कीम है जो टांडा से निकाली जायगी जिसकी अनुमानित लागत करीब ६० करोड़ रुपये की होगी। यह पहले स्टेज की स्कीम है और वह बाद के स्टेज की स्कीम है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि रतोई ताल नहर के कारण जो बोरो धान ६० हजार मन के करीब होता है उसमें बोरी धान की क्षति पहुंचने वाली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पानी उसका निकलेगा और जमीन जितनी खाली होगी उससे तो बोरो धान और ज्यादा ही होगा।

आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट पर पुल का निर्माण

*६---श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ और गोरखपुर के यातायात को सुगम बनाने के लिये वे दोहरीघाट में पुल बनाने का विचार कर रहे हैं ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---दोहरीघाट नेशनल हाईवे पर है जिस पर खर्च की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। यहां पान्टून ब्रिज बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में नेशनल हाईवे की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के कब तक बन जाने की आशा की जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अब यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। काम शुरु होने पर फिर जितना समय लगे जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार तैयार होगा।

जिला आगरा में उटंगन नदी के पुल की सड़कों का निर्माण

*७---श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उटंगन नदी पर जिला आगरा में जो पुल बन रहा है उसकी (अपरोच रोड्स) बनाने का कार्यक्रम अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---(अपरोच रोड्स) निर्माण के मूल्य निरूपण को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी और वह प्राप्त न हो सकने के कारण कार्य प्रारम्भ न हो सका। यह स्वीकृति अब प्राप्त हो गई है और कार्य शीघ्र आरम्भ करने की आशा है।

*८---श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी---क्या यह सही है कि सरकार ने इन सड़कों को बनाने के लिये अभी तक रुपया स्वीकृत नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। रुपये का प्रबन्ध किया जा रहा है। देरी का कारण उक्त प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इसके लिये कितना रुपया सैंक्शन होने वाला है और कब तक यह काम समाप्त हो जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी रकम १ लाख ३१ हजार की है और इसके लिये शायद इस वर्ष में ८० हजार रुपया मांगा गया है।

वाह-जैतपुर-ऊंदी रोड को पक्का करने की आवश्यकता

*९—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार वाह-जैतपुर ऊंदी रोड को वर्तमान पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक पक्का करने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

जिला जौनपुर में गूजर ताल से सिंचाई की व्यवस्था

*१०—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज तहसील, जिला जौनपुर में जो गूजर ताल है उसके पानी को रिजर्व करके सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री राम मूर्ति—जी हां । गूजर ताल से एक ड्रेन निकाली गई है, और उस पर एक रेगुलेटर बनाया जा चुका है । इससे गूजर ताल का अतिरिक्त पानी निकालकर निकटवर्ती क्षेत्र को पानी में डूबने से बचाया जा सकेगा और ताल में पानी एकत्रित करके उससे सिंचाई के काम में भी लाया जा सकेगा ।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ड्रेन निकाली गई है उसपर जो रेगुलेटर बनाया गया है उससे अब तक कितने एकड़ की सिंचाई की गई है ?

श्री राम मूर्ति—लगभग २ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की उम्मीद की जाती है ।

जौनपुर जिले में नीरा की दुकानों के लिए प्रार्थना-पत्र

*११—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में नीरा की दुकानों के खोलने के संबंध में किन-किन सोसाइटियों तथा कितने व्यक्तियों की दरख्वास्तें पड़ीं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—जौनपुर जिले में नीरा की दूकानों के खोलने के संबंध में उपभोक्ता सहकारी समिति उपक्षेत्र अ; ब; स; जौनपुर खेता सराय, शाहगंज की सहकारी समिति तथा चार अन्य व्यक्तियों ने दरख्वास्तें दीं । पर यह दरख्वास्तें कायदे के मुताबिक नहीं दी गई थीं इसलिये उन लोगों को कायदे के मुताबिक दरख्वास्तें देने का आदेश दिया गया ।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदेश दरख्वास्त देने के संबंध में भेजे गये हैं वह पहले थे या दरख्वास्त देने के बाद भेजे गये है ?

श्री सैयद अली जहीर—रूल पहले का बना हुआ था लेकिन दरख्वास्त देने के बाद उन से कहा गया कि दरख्वास्त कायदे के मुतादिक होनी चाहिये ।

*१२-१३—श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

बहराइच जिले में नलकूपों का निर्माण

*१४—श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में कितने नलकूप सरकार द्वारा इस वर्ष लगाये जा रहे हैं और उनके लिये कितना धन स्वीकार किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहराइच जिले में ३० नलकूप बनाने की स्वीकृति दी गई है और आशा है कि यह ३० नलकूप मार्च, १९५५ तक बन जायेंगे। इस कार्य के लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में १० लाख रुपये का आयोजन किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस जिले में नानपारा तहसील में ५० नलकूप बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ जिले में घुइसर नाथ के निकट सई नदी पर पुल की आवश्यकता

*१५—**श्री राजा राम किसान** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में सागीपुर का एक बड़ा क्षेत्र सई नदी पर घुइसरनाथ के निकट कोई पुल की व्यवस्था न होने के कारण बरसात व जाड़ा के मौसम में अन्य क्षेत्रों से अलग हो जाता है जिसके फलस्वरूप जनता को बहुत ही कष्ट होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*१६—**श्री राजा राम किसान**—यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त पुल के निर्माण पर कोई विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस पुल के निर्माण के प्रश्न पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायेगा।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल को बनाने में सरकार का कितना रुपया खर्च होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें असल सवाल यह है कि यहां एक पुल बनाया जाय या दो। इस पर अगर एक पुल बनेगा तो साढ़े चार लाख रुपया खर्च होगा और अगर दो बनेंगे तो कुछ इससे अधिक आठ या नौ लाख रुपये के करीब खर्च होगा।

विश्वनाथ पुरी-महुली सड़क, जिला बस्ती में कठनेया नदी पर पुल की आवश्यकता

*१७—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में यह विश्वनाथपुर से महुली जाने वाली सड़क पर कठनेया नदी पर पुल बनाने की सोच रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि वर्षा काल में पुल न होने के कारण इस जगह के लोग जिले और तहसील से वंचित हो जाते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा हो सकता है लेकिन जिस वक्त गन्ना जाता है उस वक्त नदी सूख जाती है इसलिये इस वर्ष यहां पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार पंच-वर्षीय योजना में इस पुल को ले लेने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ।

*१८-२०—**श्री राजा राम शर्मा** (जिला बस्ती)—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

अलीगढ़-मथुरा हाईड्रोइलेक्ट्रिक लाइन का निर्माण

*२१—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो हाइड्रो एलेक्ट्रिक लाइन अलीगढ़ से मथुरा को आ रही है वह कब तक तैयार हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह लाइन लग-भग तैयार हो चुकी है रेलवे विभाग से रेलवे क्रासिंग से बिजली ले जाने की मंजूरी मिलते ही यह लाइन चालू हो जायेगी।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब लाइन बन जायगी तो उससे मथुरा वृन्दाबन की जनता को उससे पावर तथा अपने घर में इतेमाल के लिये बिजली मिल सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, बिजली जरूर मिलेगी।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इसमें क्या तरीका होगा ? जिन लोगों ने दरख्वास्त दे रखी है उन पर गौर किया जायगा या फिर से दरख्वास्त देनी पड़ेगी और किस को देनी पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं है।

मुरादाबाद जिले के नलकूपों की अवस्था

*२२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में कुल कितने नलकूप हैं और उनमें से कितने इस समय पूर्ण मात्रा में पानी देते हैं और कितने बेकार हो गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुरादाबाद जिले में ५४१ नलकूल हैं। इनमें से ५०३ नलकूप पूर्ण मात्रा में पानी दे रहे हैं। शेष ३८ नलकूपों का निकास १५,००० गैलन प्रति घंटा से कम हो गया है।

*२३—श्री महीलाल—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो कुयें बेकार हो गये हैं वह कब तक ठीक हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त ३८ नलकूपों का निर्माण विचाराधीन है। उनके आगणन पत्र तैयार किये जा रहे हैं।

*२४—श्री नारायण दत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—[७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

हल्द्वानी-पहाड़ पानी पैदल मार्ग का रख-रखाव

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले के हलद्वानी पहाड़ पानी पैदल मार्ग (जो कि पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत है) का ओखल टूंगा से खनस्यूं तक का हिस्सा क्षत विक्षत अवस्था में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। केवल वर्षा काल में स्लिप आ जाने के कारण सड़क कभी कभी खराब हो जाती है किन्तु सड़क को अच्छी हालत में रखने के लिये हर प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेगें कि इस सड़क के रख-रखाव में सालाना खर्च कितना होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरुरत होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने पंच वर्षीय योजना के अनुसार इसको मोटर मार्ग में तब्दील करने का भी फैसला किया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ ।

पी० डब्लू० डी० द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हमीरपुर को वापस की हुई सड़कें

*२६—**श्री मन्नी लाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी ने कौन सी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हमीरपुर को वापस कर दी हैं ? क्या उनकी मरम्मत के लिये सरकार द्वारा रुपया दिया गया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो सड़कें जिला बोर्ड, हमीरपुर को वापस की हैं उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

सरकार ने इन सड़कों के रखरखाव के लिये जिला बोर्ड को १७,००० रु० का अनुदान सन् १९५२–५३ में तथा २०,८०० रु०, १९५३–५४ में प्रदान किया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८९ पर ।)

कन्नौज की मुंसफी में मुक़दमों का व्यौरा

*२७—**श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ और १९५३ में मुंसफी, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में कुल कितने मुकदमे दायर तथा इजराय और फैसले हुये ?

श्री सैयद अली जहीर—सन् १९५२ और १९५३ में मुंसिफी, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में दायर और फैसल हुये मुकदमों की संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दीं हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९० पर)

*२८—**श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सन् १९५०–५१, ५२ और ५३ ई० में मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त मुंसिफ, कन्नौज में रखना पड़ा ? यदि हां, तो कितने-कितने समय के लिये ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह सच है कि मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण २२ जुलाई, १९५२ से ७ सितम्बर, १९५३ तक एक अतिरिक्त मुंसिफ की नियुक्ति की गयी थी ।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अब भी मुकद्दमों की अधिकता के कारण मुंसिफी कन्नौज में बहुत से पुराने मुकद्दमे पेंडिंग पड़े हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे इसकी कोई इत्तिला तो नहीं है । मगर मुमकिन है कि वहां काम ज्यादा हो ।

पूर्वी यमुना नहर की आय तथा व्यय

*२९—**श्री श्रीचन्द** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी जमुना नहर में १९५३–५४ में क्या-क्या और किन-किन मदों से आय हुई ?

नोट—तारांकित प्रश्न २६ श्री रामलाल ने पूछा ।

*३०—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त नहर में १९५३-५४ में क्या-क्या व्यय किन-किन मदों में हुआ ?

श्री राम मूर्ति—सिंचाई के साधनों के १९५३-५४ के आय और व्यय के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं। यह आंकड़े महालेखापाल (Accountant General) से नवम्बर तक प्राप्त होंगे।

*३१—श्री श्रीचन्द—[७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा-अछनेरा सड़क की दुरव्यवस्था

*३२—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार आगरा-अछनेरा सड़क को जो जिला बोर्ड के प्रबन्ध में है निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार इस प्रश्न पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार करेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है और यहां यातायात असंभव होता जा रहा है ? यदि हां, तो फिर मंत्री जी उसका क्या प्रबन्ध करने का विचार रखते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह जिला बोर्ड की सड़क है और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं हो सकता है कि इसकी हालत ऐसी हो। लेकिन मैं उसकी बाबत अभी ज्यादा नहीं कह सकता।

सूत पर बिक्री कर तथा देहली प्रदेश से सूत का व्यापार

*३३—श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि देहली प्रदेश में सूत पर बिक्री-कर न होने के कारण सूत प्रयोग में लाने वाले निकट के मेरठ जिले के उद्योग धधों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—अभी तक जो सूचना मिल पाई है उससे यह मालूम होता है कि मेरठ जिले में सूत की बिक्री में कमी नहीं हुई है।

*३४—श्री कैलाश प्रकाश—देहली से जो लोग सूत ले जाते हैं उस पर बिक्री-कर वसूल करने का सरकार ने क्या प्रबन्ध कर रक्खा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—दिल्ली के सूत के व्यापारियों से और उत्तर प्रदेश में सूत मगाने वालों से बिक्री-कर वसूल किया जा रहा है। और हिसाब की जांच करने और दिल्ली के उन व्यापारियों पर कर की मात्रा निर्धारित करने के लिये जो इस राज्य की खपत के लिये उत्तर प्रदेश के खरीदारों के हाथ सूत बेंचते हैं, दिल्ली में एक सेल्स टैक्स अफसर तैनात किया जा रहा है।

श्री कैलाश प्रकाश—क्या माननीय मंत्री जी पिछले चार वर्ष में सूत की कितनी खपत मेरठ में हुई है, इसके आंकड़े देने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त तो मेरे पास नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार देहली की तरह से उत्तर प्रदेश में भी सूत की बिक्री पर बिक्री-कर न लगाने पर विचार करेगी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस के मुताल्लिक यू० पी० के १ ऐसा कोई सवाल गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री कैलाश प्रकाश---क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि देहली के बाजार में जो देहली वाले सूत से माल बनाते हैं और मेरठ वाले जो सूत से माल बनाते हैं उनकी कीमतों में क्या फर्क है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सरकार ने तो जांच नहीं की है लेकिन अगर कोई साहब मुझे समझाना चाहें तो आकर के समझा सकते हैं ।

श्री कैलाश प्रकाश---क्या सरकार को मालूम है कि क्योंकि देहली में सूत के ऊपर कोई बिक्री-कर नहीं लिया जाता है और मेरठ में सूत के ऊपर बिक्री-कर लिया जाता है उस कारण जो माल छोटे उद्योग धंधों से मेरठ में बनता है उसकी कीमत देहली के बाजार में बहुत चढ़ जाती है और यदि चढ़ जाती है तो सरकार उसमें कुछ सहायता देने के लिये तैयार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं इसका जवाब अभी अर्ज कर चुका हूं अगर कोई ऐसी पोजीशन है तो मुझसे बैठकर गुफतगू की जाय तो मैं उस पर गौर करके बतलाऊंगा कि क्या होना चाहिये ।

बड़ी गंडक में बाढ़ तथा उस नदी से सिंचाई की व्यवस्था

*३५---**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---क्या बड़ी गंडक को नियंत्रित तथा उसके पानी से सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये सरकार का कोई पत्र व्यवहार केन्द्रीय तथा बिहार सरकार से हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री राममूर्ति---गंडक नहर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है । इस योजना के अनुसार ४०० मील लम्बी नहर उत्तर प्रदेश में तथा १४ मील नहर नैपाल में होकर गुजरेगी । भारत सरकार से इस कार्य के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया है । नैपाल सरकार ने अपने राज्य में सर्वे कार्य कराने के लिये सहमति दे दी है । सर्वे कार्य पूरा हो जाने के बाद नैपाल राज्य में से नहर बनाने के लिये उनकी सहमति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

बिहार सरकार ने भी अपनी त्रिबेनी तथा गंडक नहरों की योजना में इस प्रदेश से सहयोग देने के लिये कहा है, बिहार सरकार की योजना बहुत बड़ी है और उसे पूरा होने में अनेक वर्ष लगेंगे जब कि उत्तर प्रदेश की योजना केवल २ १।२ वर्षों में ही पूरी हो जावेगी और बैरेज (Barrage) बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी । फिर भी यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ४०० मील लम्बी नहर बनेगी वह कब तक बन कर तैयार हो जायगी और किन-किन जिलों में उसके पानी से लाभ पहुंचेगा और उसमें कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति---४०० मील लम्बी नहर तब बनेगी जब केन्द्रीय सरकार से रुपया मिलने की इजाजत आ जायगी । इस दरमियान में प्रदेशीय सरकार ने एक ५० लाख रुपये की योजना चालू कर रखी है जिसका सर्वे वगैरह शुरू हो रहा है । यह नहर महाराजगंज तहसील, गोरखपुर जिले में और हटा तहसील, जिला देवरिया में से हो कर निकलेगी यह करीब १५० मील लम्बी बनेगी और बाद में ४०० मील लम्बी नहर में मर्ज हो जायगी । इस स्कीम में करीब ढाई करोड़ रुपया खर्च होगा ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से किस प्रकार की कितनी सहायता मांगी गयी थी और उसका वहां से क्या उत्तर मिला है ?

श्री राममूर्ति---भारत सरकार से ढाई करोड़ रुपया मांगा गया है और वह उसके विचाराधीन है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि बिहार सरकार, नैपाल सरकार केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आपस में मिल कर कोई ऐसी योजना बनायें कि जिससे बाढ़ रोकने में और सिंचाई के बारे में सभी सरकारों को लाभ पहुंच सके ?

श्री राम मूर्ति---बाढ़ रोकने के संबंध में जो हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन मिस्टर नन्दा हैं वे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। इसलिये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार सरकार ने एक स्कीम बनायी है जिसमें करीब २५ करोड़ रुपया खर्च होगा। वह लम्बी स्कीम है। हमको उससे कोई खास फायदा नहीं होगा इसलिये हमारे यहां के चीफ इंजीनियर उससे ऐग्री नहीं करते।

श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार को ज्ञात है कि नारायनी, बड़ी गंडक नदी अपनी धारा बदल कर छोटी नदी के साथ बहना चाहती है, ऐसा विशेषज्ञों से ज्ञात हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---धारा तो नहीं बदली है लेकिन बाढ़ की वजह से छोटी सी नाली नई निकल गई है। बाढ़ खत्म होने के बाद देखेंगे कि उसको बन्द किया जा सकता है या नहीं। अब तक जितना पानी बाढ़ की वजह से आया उसको हम बन्द करने में सफल होंगे, ऐसी हमें आशा है।

श्री राम सुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह वही बड़ी गंडक नदी है जिसमें बाढ़ आने से सैकड़ों गांव प्रति वर्ष बह जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप ज्योग्रफी से पता लगा सकते हैं। आप जरा स्पष्ट सवाल करें। आप अपने प्रश्न को फिर से दुहरा दें।

श्री राम सुभग वर्मा---मैंने पूछा है कि दो नदियां है, बड़ी गंडक और छोटी गंडक तो बड़ी गंडक नदी यह वही है जिसके द्वारा सैकड़ों गांव प्रति वर्ष बाढ़ आने से बह जाते है ?

श्री अध्यक्ष---छोटी से नहीं बहते हैं।

श्री रामसुभग वर्मा---जी हां।

श्री कमलापति त्रिपाठी---बड़ी गंडक नदी में बाढ़ आने से भी गांव बह जाते हैं और इसके अलावा और भी नदियां हैं जिनसे बाढ़ आने से बह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह तो यह जानना चाहते हैं कि आपकी यह जो व्यवस्था हो रही है वह छोटी गंडक से संबंधित है या बड़ी गंडक से। यह आप बतला दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो उत्तर में ही लिखा हुआ है कि यह बड़ी गंडक नदी की योजना है। जो योजना बिहार सरकार ने बनाई है वह २५ करोड़ रुपये की योजना है और वह उत्तर प्रदेशीय सरकार से भी सहायता चाहते हैं। यह २५ करोड़ रुपये की योजना गंडक पर बैरेज बनाने की है और वहां से यह पानी दरभंगा और मोतीहारी में ले जायेंगे। इन्होंने २५ करोड़ रुपया भारतीय सरकार से मांगा है और वह चाहते हैं कि उसमें अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार की सहायक हो। इसमें हमें कोई बड़ा विरोध तो नहीं है लेकिन हमारा तात्कालिक प्रश्न यह है कि हम तुरन्त इसके पानी का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। अगर यह बिहार सरकार की योजना चली तो इसके पूरा होने में कई वर्ष लग जायेंगे और जब भारतीय सरकार इसको मंजूर करेगी तभी यह चालू हो सकेगी। इसलिये हमने छोटी सी स्कीम ५० लाख रुपये से शुरू कर दी है जो हमारे महाराजगंज तहसील और हाटा तहसील के कुछ क्षेत्रों को सींचेगी।

*३६---**श्री गेंदा सिंह**---[७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बलरामपुर विद्युत गृह में उत्पादित बिजली की मात्रा तथा वितरण

*३७--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में बलरामपुर विद्युत गृह में कितने किलोवाट बिजली पैदा होती है और कितनी किलोवाट बहराइच तथा गोंडा में खर्च होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बलरामपुर पावर हाउस में करीब ५८,७८,००० किलोवाट आवर्स (युनिट्स) बिजली पैदा होती है और उसमें से करीब १५,७७,००० किलोवाट आवर्स बहराइच में और करीब १३,२४,००० किलोवाट आवर्स गोंडा में खर्च होती है।

*३८--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार बलरामपुर बिजली गृह में नई मशीन लगा कर गोंडा और बहराइच की बिजली की मांग की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*३९--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर के बिजली घर से बहराइच तथा गोंडा के देहाती क्षेत्र को भी बिजली प्राप्त हो सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--देहाती क्षेत्र से बिजली की मांग के प्रार्थना-पत्र आने पर बलरामपुर राज्य इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१०, के शेड्यूल के क्लाज ५ तथा ६ का अनुसार विचार कर सकता है।

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बची हुई बिजली सरकारी ट्यूबवेल्स में खर्च करने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- सरकारी ट्यूब वेल्स जो बनाये जा रहे हैं उन्हीं के लिये तो यह बिजली जा रही है।

श्री अध्यक्ष--मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रश्न यह था कि कितने किलोवाट बिजली पैदा होती है और जवाब में है किलोवाट आवर्स तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसके आगे यूनिट्स लिखा हुआ है।

चन्दवक, जिला जौनपुर में पुल का अभाव

*४०--श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि जौनपुर के जिले में चन्दवक में पीपों के पुल (Pontoon Bridge) के अभाव में जनता को बड़ी असुविधा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- जी हां।

*४१--श्री राधा मोहन सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में वहां के रहने वालों की शिकायतें आई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां।

*४२--श्री राधा मोहन सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इस अभाव की पूर्ति के लिये वह क्या कर रही है और कब तक जनता की यह असुविधा दूर हो जायेगी ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४०-४२ श्री कैलाश प्रकाश ने पूछे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर रही है। समय निश्चित नहीं कहा जा सकता।

भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से मेरठ तथा आगरा डिवीजन के लिये बिजली की व्यवस्था

*४३—**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या वित्त मंत्री ने भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से मेरठ और आगरा डिवीजन के लिये बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न किया है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया।

*४४—**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या वित्त मंत्री ने इन जिलों में बिजली देने के लिये कोई अन्य Thermal Project के बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बात की है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाएंगे कि वह आगरे के लिये बिजली की क्या व्यवस्था कर रहे हैं और वहां बिजली कब से मिलने लगेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो मैं नहीं कह सकता कि कब से मिलने लगेगी। आगरे को तो मिलती ही। अगर आगरे जिले का जिक्र है तो मैं यह नहीं कह सकता कि कब से मिलने लगेगी, लेकिन यक़ीन दिला सकता हूं कि मिलने लगेगी जरूर।

श्री कैलाश प्रकाश—क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह लिखा है कि वह १० हजार किलोवाट बिजली भाखरा नाँगल डैम से देने के लिये तैयार हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आगे और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहें तो मैं इसी वक्त इसका जवाब दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष—हां, दे दीजिये। आगे यह प्रश्न कोई पूछेगा नहीं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तो, जी हां।

श्री कैलाश प्रकाश—क्या मंत्री जी कृपा कर बताएंगे कि उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया और वह बिजली के लिये लेने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह दो दफा पहले भी मैं बयान कर चुका हूं कि उस बिजली की जो वह कीमत मांग रहे हैं वह इतनी है कि जब मैं उसको यहां पर बेचूं तो गवर्नमेंट को नुकसान में रखूं, या लोगों से ज्यादा कीमत लूं।

महत्वपूर्ण अधिनियमों के हिन्दी रुपान्तर की आवश्यकता

*४५—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार उन अधिनियमों को जो सार्वजनिक महत्व के हैं और जिनमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधनों की आवश्यकता पड़ती रहती है उनके मूल रूप को जो अंग्रेजी में हैं, हिन्दी में रूपान्तर करने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—जो पुराने अधिनियम अंग्रेजी में पारित हुए हैं उनमें संशोधन भी अंग्रेजी में ही किए जा सकते हैं और उनको हिन्दी रूपान्तर प्राधिकृत यानी (authoritative) नहीं माना जा सकता। उनके हिन्दी अनुवाद कराने के प्रश्न पर सरकार यथा समय कार्यवाई करेगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कार्यवाही को करने में अधिक से अधिक कितना समय लगेगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मुझे यकीन है कि जो १५ साल की मियाद कांस्टिटयूशन में है उसी के अन्दर हो जायगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि अंग्रेजी के कानून में सिर्फ अंग्रेजी में संशोधन पेश हो सकते हैं, यह किस कायदे के मुताबिक है ? या कोई आम राय उन्होंने जाहिर की।

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दूंगा कि कोई कानून की बहस यहां हो।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि इस सदन के कितने सदस्य ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी की जानकारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि माननीय सदस्य को स्वयं यह मालूम होगा।

गाजीपुर जिले में बाढ़ को रोकने का उपाय

*४६—**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले में गंगा, मघई तथा बेसू नदी में बाढ़ को रोकने के लिये वह क्या योजना बना रही है ?

श्री राम मूर्ति—जांच पड़ताल द्वारा ज्ञात हुआ है कि गाजीपुर जिले में गंगी, मघई तथा बेसू नदियों पर अक्सर बाढ़ आने का कारण यह है कि काश्तकार अपने इधर-उधर फैले हुए छोटे-छोटे क्षेत्रों की सिंचाई के लिये इन नदियों में अनियमित रूप से बांध बना लेते हैं। इस प्रकार के बांधों के बनने पर नियंत्रण रखने के लिये बेसू नदी को कैनाल ऐक्ट की धारा ५५ के अन्तर्गत अनुसूचित किया जा चुका है और अन्य नदियों को अनुसूचित करने का प्रस्ताव है। इसके पश्चात इन नदियों पर सिंचाई की सुविधा के लिये उपयुक्त रेगुलेटर बनाने का भी प्रस्ताव है।

परगना शादियाबाद तहसील, सैदपुर में स्थित तालों से सिंचाई का प्रयत्न

*४७—**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार सैदपुर तहसील के परगना शादियाबाद में स्थित जो बड़े-बड़े ताल धुवार्जुन, बड़ागांव (दुल्लहपुर के पास) मंगारी तथा मिर्जापुर का ताल, कनुवान का ताल इत्यादि हैं, उनसे कोई सिंचाई योजना जारी करने पर विचार कर रही है ?

श्री राम मूर्ति—प्रश्न में उल्लिखित तालों से पम्प द्वारा नहरें निकालने के सम्बन्ध में छानबीन की जा चुकी है, परन्तु इन योजनाओं का कार्यान्वित होना सम्भव नहीं है।

गाजीपुर जिले में नहर निकालने की योजना

*४८—**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार गाजीपुर जिले में कोई नहर सैदपुर तहसील, आजमगढ़ या जौनपुर होते हुए निकालने पर विचार कर रही है ?

नोट— तारांकित प्रश्न ४६–४८ तक श्री रामेश्वर लाल ने पूछे।

श्री राममूर्ति—उक्त क्षेत्र में आजमगढ़ पम्प नहर द्वारा सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी। इस नहर का प्राजेक्ट बन कर तैयार हो गया है और इस योजना को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ से पम्प नहर निकालने की योजना तथा उस पर व्यय

*४९—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ से जो पम्प नहर निकलने वाली है उसके सिलसिले में अब तक कौन-कौन प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं?

श्री राममूर्ति—दोहरी घाट की छोटी पम्प नहर का प्राजेक्ट बन कर तैयार हो चुका है। इस योजना को इसी वर्ष हाथ में लेने के लिये आदेश दिया जा चुका है। आशा है इस सम्बन्ध में कार्य आगामी शीतकाल में आरम्भ हो जायगा।

*५०—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह नहर कहां से होकर कहां तक ले जाई जायेगी?

श्री राममूर्ति—यह नहर दोहरी घाट के पास से आरम्भ होगी तथा दोहरी मऊ रेलवे के किनारे-किनारे चलेगी तथा यह नहर प्रणाली घाघरा नदी तथा दोहरी घाट-नऊ भूटनी रेलवे सेक्शन के मध्य के क्षेत्र को लाभान्वित करेगी।

*५१—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस नहर के निर्माण में कुल कितने व्यय का अनुमान है?

श्री राममूर्ति—इस नहर का अनुमानित व्यय १९.८३ लाख रुपया है।

श्री झारखंडे राय— क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी सूचना मिली है कि इस प्रस्तावित नहर से जनता में असन्तोष है? घाघरा के बालू के आ जाने से उनके खेत खराब हो जायंगे?

श्री राममूर्ति—हमारे यहां इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जब सिंचाई मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ गये थे तो वहां ऐसी शिकायत की गई थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से इस प्रकार का सन्देह प्रगट किया गया था कि घाघरा का पानी उठाने से कहीं उसके साथ बालू तो नहीं आयेगा। लेकिन उसका निराकरण कर दिया गया था क्योंकि फैजाबाद में घाघरा से पानी उठाया जाता है पम्प से और वहां बालू नहीं आती है। वहां बल्कि यह मांग है कि और पानी उठाया जाय।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो बड़ी नहर दोहरीघाट से निकलने वाली है वह इसी छोटी नहर को बढ़ा करके निकाली जायगी या अलग से?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बड़ी नहर जो निकलेगी उसका मतलब यह है कि पानी हम ज्यादा पम्प करें जिसमें यह सेक्शन तो रहेगा ही और आगे भी बढ़ेगा।

*५२—५३—**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)— [७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बनारस डिवीजन में सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों का निर्माण

*५४—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बनारस डिवीजन में ४०० ट्यूबवेल्स हाइडिल विभाग के बजाय सिंचाई विभाग द्वारा बनवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री राम मूर्ति— सरकारी नलकूपों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा ही होता रहा है। अतः बनारस डिवीजन में हाइडिल विभाग के बजाय सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम नारायण त्रिपाठी— क्या यह सही है कि हाइडिल विभाग द्वारा इस प्रदेश में अब तक कोई नलकूप नहीं बनाया गया है?

श्री राम मूर्ति—नलकूप सिंचाई विभाग से ही बनाये जाते हैं।

हरदुआगंज पावर स्टेशन में ब्वायलर्स की स्थापना

*५५—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या विद्युत मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हरदुआगंज पावर स्टेशन के लिये ४ बायलर लाने के लिये सरकार ने सिविल इंजीनियरों को भेजा था? इन वायलरों को लाने के लिये कोई एलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों नहीं भेजा गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम— बायलर लाने के लिए चीफ इंजीनियर इन्चार्ज हाइडेल डिपार्टमेंट गये थे। चूंकि वह बिजली का काम करते ही थे इसलिए किसी और को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी।

*५६—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि सरकार को बहुत बड़ी रकम इन ब्वायलरों को स्थापित करने के पहले ही उनकी मरम्मत में खर्च करनी पड़ी? यदि हां, तो कितनी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—जिस इंजीनियर साहब का इसमें जिक्र किया गया है क्या वह सिविल इंजीनियर थे?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिनका जिक्र किया गया है वह चीफ इंजीनियर थे इरीगेशन और हाइडिल दोनों के।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यह ब्वायलर क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हर्दुवागंज पावर स्टेशन में किस वक्त लगाये गये थे?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम— वह तो अब लगकर खत्म हुए हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यह ब्वायलर जो फिट किये गए वह किस साल किये गये?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अभी बतलाया तो मैंने कि अभी लगकर खत्म हुए हैं, एक दो महीने हुए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ब्वायलर आये हैं ये किस कम्पनी से खरीदे गये थे और ये फर्स्ट हैंड हैं या सेकेंड हैंड?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ये नये हैं बिलकुल । कम्पनी का नाम मुझे याद नहीं है ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध के कागजात देखे हैं कि उन ब्वायलर के फिट करने के लिये पहले उनकी मरम्मत में रुपया नहीं खर्च किया गया या विभाग से जो सूचना भेजी गई थी उसी को सदन के सम्मुख उपस्थित कर दिया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझको खुद देखे भी और बग़ैर देखे भी यह बिलकुल यकीन है कि यह बिलकुल झूठ है ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--यदि मैं कहूं कि उन ब्वायलर्स के फिट करने में खर्च हुआ तो माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सवाल तो यह नहीं है कि ब्वायलर्स के फिट कराने में खर्च हुआ । कौन कह सकता है कि ब्वायलर्स के फिट कराने में खर्च नहीं हुआ । जरूर हुआ ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इन ब्वायलर्स को जिनको माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नये लाये गये थे उनकी मरम्मत कराके फिट करने में, उस मरम्मत में कुछ खर्च हुआ या नहीं, इसका यकीन माननीय मंत्री जी को है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, है ।

*५७-५९--**श्री राज किशोर राव** (जिला बहराइच)--[७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६०-६१--**श्री अनन्त स्वरुप सिंह** (जिला फतेहपुर)--[७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का पृथक्करण

*६२--**श्री जगन्नाथ सिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष कितने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से पृथक किया गया ?

श्री राममूर्ति--सन् १९५३ में सिंचाई विभाग के १८ नान गजेटेड कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरियों से बरखास्त या पृथक किया गया ।

श्री रामेश्वर लाल --जिले के कर्मचारियों में किस-किस पद के कौन-कौन से व्यक्ति हैं ?

श्री राम मूर्ति--इसकी इत्तला इस समय मेरे पास नहीं है ।

अदालतों में हिन्दी का प्रयोग

*६३--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक अदालतों में अधिकतर बहस अंग्रेजी में ही की जाती है तथा मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णय भी अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसा आदेश निकालने पर सरकार विचार करेगी कि बहस तथा निर्णय सब हिन्दी में ही हों ?

श्री सैयद अली जहीर—अदालतों में बहस हिन्दी में करने की कोई रोक नहीं है और जाब्ता फौजदारी की दफाओं की पाबन्दी के साथ मैजिस्ट्रेटों की अदालतें हिन्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं पर मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णय ज्यादातर अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं क्योंकि कानूनी शब्दों की शब्दावली पूरी तौर से तैयार नहीं है और सभी कानूनों का अनुवाद भी हिन्दी में नहीं हुआ है।

श्री रामहेत सिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से ऐसे आदेश निकाले गये हैं कि ज्यादातर बहस जो अदालतों में होती है वह हिन्दी में ही होनी चाहिए ?

श्री सैयद अली जहीर—नहीं, कोई आदेश तो नहीं है। लेकिन अदालत को और वकीलों को भी अख्तियार है कि हिन्दी में बहस करें।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह शब्दावली कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—कोई मियाद तो नहीं मुअय्यन हो सकती है। गालिबन जल्द हो जायगी।

*६४–६५—**श्री रामहेत सिंह**—[७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

विधायक निवासों के लिये अंश कालिक मेडिकल आफिसर एवं कम्पाउण्डर की नियुक्ति

*६६—**श्री प्रतिपाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवासों के लिये अंश कालिक मेडिकल आफिसर के पद की वृद्धि ३१ मार्च, १९५५ तक के लिये कर दी गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम—जी हां।

*६७—**श्री प्रतिपाल सिंह**—क्या सरकार उपर्युक्त पद को विधान मण्डल के अधिवेशन के अवसरों पर पूर्ण कालिक पोस्ट में परिवर्तित करने एवं अन्य समय के लिये एक स्थायी कम्पाउन्डर रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम—जी हां।

लखीमपुर-निघासन सड़क की दुरव्यवस्था तथा उस पर व्यय

*६८—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखीमपुर के निघासन तक पुख्ता सड़क बनाने के लिये कितना रुपया स्वीकार किया गया था और उसमें से कितना खर्च हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लखीमपुर-निघासन सड़क के निर्माण का अनुमानित व्यय ७,७५,००० रु० है तथा इस कार्य पर मार्च, १९५३ के अन्त तक कुल ५,४०,७५४ रु० खर्च हुआ। वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि अप्रैल, १९५३ ई० से अब तक इस सड़क पर कितना व्यय हुआ है। सन् १९५३–५४ ई० के बजट में इस सड़क के लिये ३३,४०० रु० का आयोजन किया गया था तथा वर्तमान आर्थिक वर्ष में १,००,००० रु० का आयोजन है।

*६९—**श्री जगन्नाथ प्रसाद**—क्या यह सत्य है कि लखीमपुर से निघासन तक जो सड़क बनवाई गई वह दो मास के पश्चात् खराब हो गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस सड़क के लखीमपुर मंगलीपुरवा भाग का मील नं० ३ जो डामर से बनाया गया था, बनने के थोड़े दिन बाद ही टूट गया था।

*७०--**श्री जगन्नाथ प्रसाद**--क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग खीरी की ओर से एक जांच असिस्टेंट इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध करवाई गई थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सड़क टूटने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक जांच समिति (इनक्वारी कमेटी) नियक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट तैयार हो गयी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--जो सड़क खराब हो चुकी है क्या सरकार उसको फिर से बनवाने का विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां जरूर बनायी जायगी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपा कर बताने का कष्ट करेगी कि यह इन्क्वायरी कमेटी कब नियुक्त की गयी थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी सूचना मिलने पर उसके बाद ही जांच कमेटी नियुक्त की गयी थी?

रेलों में फर्स्ट क्लास समाप्त होने के कारण टी० ए० रुल्स में संशोधन

*७१--**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेलों में फर्स्ट क्लास हटा देने के बाद से फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले सरकारी कर्मचारियों के टी० ए० रूल्स में कोई तरमीम की है? यदि हां, तो क्या और कब से?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--रेलों में फर्स्ट क्लास हटा दिये जाने के फलस्वरूप टी० ए० रूल्स में कुछ संशोधन करने का विचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए वर्तमान नियमों में भी व्यवस्था है जब कि किसी अफसर को उस दर्जे में स्थान न मिले जिसमें यात्रा करने का उसे अधिकार प्राप्त है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा हालत में फर्स्ट क्लास में चलने के अधिकारी, अफसर जो हैं उनको कौन से क्लास का टिकट दिया जा रहा है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जवाब में मैं पहले ही बतला चुका कि जो जिस क्लास में सफर करता है उसको उसका किराया और फर्स्ट का आधा किराया दिया जाता है।

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही

*७२--**श्री भगवान सहाय**-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस्टीमेट कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की?

श्री चभुर्तुज शर्मा--एस्टीमेट कमेटी की सिफारिशें विचाराधीन हैं और उन पर की गई सरकारी कार्यवाही की रिपोर्ट शीघ्र ही सदन के सामने प्रस्तुत की जायगी।

विभागों के व्यय में कमी के सुझाव

*७३—**श्री भगवान सहाय**—क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उन्होंने कोई पत्र विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को इस आशय का भेजा है कि वह अपने विभाग के खर्चों में संतोषजनक कमी करें ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। लेकिन २६ मई, १९५४ ई० की अपनी बैठक में मितव्ययता समिति (एकानमी कमेटी) द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के बमूजिब वित्त विभाग ने मुख्तलिफ विभागों के अध्यक्षों (हेड्स) के नाम एक पत्र भेजा है जिसमें कुछ बातों के बारे में जरूरी सूचना मांगी गई है और सरकारी खर्चे में कमी करने के बारे में उनसे अपने विचार भेजने के लिए कहा गया है। ऊपर बताई गई सूचना और विचारों पर मितव्ययता समिति (एकानमी कमेटी) गौर करेगी।

*७४—**श्री राम चन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

सिंचाई की दरों को घटाने का सुझाव

*७५—**श्री राम चन्द्र विकल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह गल्ले के भाव गिर जाने से सिंचाई की बढ़ी हुई दरों में कमी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गल्ले के भाव में कोई विशेष कमी नहीं हुई है अत सिंचाई दरें घटाने का प्रश्न नहीं उठता।

*७६—**श्री रामचन्द्र विकल**—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला हमीरपुर की राठ तहसील में बिजली लाने की योजना

*७७—**श्री श्रीपति सहाय** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में बिजली लाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस समय जिला हमीरपुर की राठ तहसील को बिजली देने की कोई योजना नहीं है। इस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिये बेतवा से कुछ बिजली पैदा करने की संभावना पर सरकार विचार कर रही है।

श्री श्रीपति सहाय—बेतवा नदी पर किस स्थान पर किस तरह से और कब यह योजना कार्यान्वित करने का विचार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—स्थान तो मुझे याद नहीं है लेकिन बेतवा की एक स्कीम है इसलिये उस पर गौर हो रहा है कि जो अगला प्लान आ रहा है, उसमें उसको जगह दी जाय।

*७८-७९—**श्री श्रीपति सहाय**—[२१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

हमीरपुर जिले में कण्टूर बंधियों का निर्माण

*८०—**श्री तेज प्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले में कितनी कण्टूर (contour) बन्धियां किन-किन स्थानों पर बनाई गई हैं? क्या सरकार बन्धीवार अलग-अलग उनके डूबने वाले क्षेत्रफलों को जो कि इन्जीनियरों ने प्रस्तावित किये थे तथा उन क्षेत्रफलों को जो वास्तव में बन्धी बन जाने के बाद डूबे हैं, बतलाने की कृपा करेगी?

श्री राम मूर्ति—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत तालिका (१) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९१-२९३ पर।)

*८१—**श्री तेज प्रताप सिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कन्टूर बन्धियों के लिये कितनी और किन-किन लोगों की दरख्वास्तें हमीरपुर जिले में सम्बन्धित अधिकारियों के पास कितने दिनों से पड़ी हुई हैं और उनमें से कितनी बन्धियों के लिये सर्वे बकिया जा चुका है? इस वर्ष हमीरपुर जिले में कहां-कहां इन बन्धियों को नाये जाने की योजना है?

श्री राम मूर्ति—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत तालिका (२) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९४-२९६ पर)

श्री तेज प्रताप सिंह—सूची को देखने से मालूम होता है कि कुछ बंधियों से प्रस्तावित क्षेत्रफल से अधिक पानी भरा हुआ है लेकिन बहुत सी बन्धियां ऐसी भी हैं जिनमें प्रस्तावित क्षेत्रफल से कम पानी भरा हुआ है, क्या माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका कारण वर्षा की कमी रही होगी।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक बंधी में प्रस्तावित क्षेत्रफल से तो अधिक पानी भरा हुआ है क्योंकि वर्षा अधिक हुई, लेकिन उसी के करीब की बंधियों में पानी क्यों कम भरा हुआ है?

श्री कमला पति त्रिपाठी—माननीय सदस्य चाहेंगे तो नोटिस मिलने पर पूरी जानकारी हासिल करके उत्तर दे दिया जायगा लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बंधियां तो इस किस्म की बनी होती हैं कि थोड़ा पानी बरसा लेकिन भर ज्यादा गईं लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कि जब तक नार्मल रेंस न हों तब तक उनमें पानी नहीं आता।

अतारांकित प्रश्न

विधायक निवासों में बिजली का व्यय

१—**श्री बाबू नन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में ३१ मार्च, १९५३ से ३१ मार्च, १९५४ ई० तक पंखे रोशनी आदि पर सब मिला कर कितने यूनिट बिजली खर्च हुई?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विधायक निवास में ३१ मार्च, सन् १९५३ से ३१ मार्च, १९५४ तक रोशनी तथा पंखा आदि में कुल ३,१०,५६८ यूनिट बिजली खर्च हुई।

जिला बस्ती में बांसी तहसील की पक्की सड़कें

२--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील के बांसी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में कितनी मील लम्बी पक्की सड़कें हैं ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--१२ मील २ फर्लांग लम्बी सड़क हैं जिसमें ९ मील जिला बोर्ड के अधीन हैं।

आगरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की योजना

३--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार वह कार्यान्वित होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम--इस समय जिला आगरा के देहाती क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की कोई खास योजना नहीं है। बिजली की मांग होने पर उस पर विचार किया जावेगा और विशेषज्ञों की राय में तथा आर्थिक रूप से यदि वह संभव हुई तो उसमें हाथ डाला जायगा।

आजमगढ़ जिले में निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कें

४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन सी सड़कें निर्माण विभाग की हैं ?

श्री गिरधारी लाल--आजमगढ़ जिले में इस समय निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों के नाम संलग्न सूची में हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९७ पर)

५--श्री कमला सिंह--[२६ अगस्त, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

६--श्री कमला सिंह--[७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर में धारा १४४ के द्वारा सत्याग्रहियों को रोकने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कल की दुर्घटना के संबंध में .....

श्री अध्यक्ष--पहले मैं आज के जो कामरोको प्रस्ताव हैं उनका जिक्र कर दूं उसके बाद आप कुछ कहें।

मेरे पास पहला काम रोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी ने भेजा है और उसमें १४४ के द्वारा कुछ सत्याग्रहियों को कानपुर में रोके जाने का जिक्र है। उसके ऊपर वह विवाद करना चाहते हैं। इसमें आपने वैधानिकता का प्रश्न उठाया है। यह तो रोजाना इन्तजाम के मामले हैं और उन पर किसी काम रोको प्रस्ताव के द्वारा यहां सदन में विचार नहीं किया जा सकता है इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

पन्नी जी शुगर मिल में सत्याग्रहियों पर मारपीट के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव पन्ना शुगर मिल के संबंध में है। यह बिलकुल अनिश्चित है। उसमें कुछ सत्याग्रहियों के ऊपर मारपीट करने और जूता फेंकने वगैरा का जिकर है लेकिन कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है इसका कुछ जिक्र नहीं है। एक चिट्ठी माननीय सदस्य के पास पहुंची है किसी सत्याग्रही की और उसके आधार पर ही यह कार्यवाही की गयी कि वह यहां कामरोको प्रस्ताव ले आये। मैं समझता हूं कि इतने अनिश्चित विषय पर काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसलिये मैं इसको भी अवैध करार देता हूं।

अनेक शहरों की साम्प्रदायिक परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी का है। उसमें उन्होंने कई शहरों की साम्प्रदायिक परिस्थिति पर विचार करने का जिक्र किया है। बहुत समय का यह विषय है इससे इसकी अरजेंसी नहीं मालूम होती है। तत्काल ही उस पर विचार करना चाहिये ऐसी चीज उसमें कोई स्पष्ट नहीं होती क्योंकि अनेक शहरों में कई समयों पर बहुत सी बातें हुयी हैं। जिनके आधार पर वह इस विषय को सदन के सामने लाना चाहते हैं। इससे अरजेंसी स्पष्ट नहीं होती है। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

दर्शक दीर्घा में हुई हुल्लड़ बाजी की जांच करने के लिये सर्वदलीय समिति नियुक्त करने की प्रार्थना

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जो आज के पत्र में यह निकला है कि संयुक्त दल की ओर से पासेज दिये गये उन लोगों का जिन्होंने कल की घटना में गड़बड़ की थी, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गम्भीरता से हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहेब ने कल कहा था कि इसकी जांच की जाय तो हम भी चाहते हैं कि उसकी जांच अवश्य की जाय कि कौन से सदस्यों की ओर से उन लोगों को पासेज दिये गये थे। संयुक्त दल के तो जितने पासेज दिये गये थे वे हमको मिले ही नहीं, और दूसरे पासेज हमारे यहां लाकर रख दिये गये और इसमें ऐसी चीजें हैं जिनको बतलाने में समय लगेगा। मैं आपके द्वारा भवन से यह प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये एक कमेटी बनायी जाय जिसमें अपोजीशन के सदस्य भी हों और गवर्नमेंट के भी हों और आप उसे नियुक्त करें। वह इस बात की पूरी जांच करे कि किस तरह से ये पासेज दिये गये और कैसे उन व्यक्तियों के हाथों में आये। कल की घटना में किसका कसूर है। हमारी पार्टी चाहती है कि आपके द्वारा इसका निर्णय किया जाय चूंकि यह हमारे ऊपर लांछन है।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव माननीय वीरेंद्रशाह जी ने रखा मैं उसका समर्थन करता हूं। कल उस दुर्घटना के पश्चात् हमने भी कुछ अपनी ओर से जांच की और उससे जहां तक हमें पता लगा मैं पूरा वर्णन तो नहीं करना चाहता चूंकि समय उचित नहीं है, लेकिन उससे यह स्पष्ट होता है और हमारा यह विश्वास है कि गलत रूप से हमारे पासेज लिये गये हैं और कुछ व्यक्ति इस सदन में ऐसे हैं जो कि अपना कार्य करने की हिम्मत नहीं रखते और किसी और के कार्य को नाजायज रूप से लेकर उसे करते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय आपसे प्रार्थना है कि इस सदन के बहुमत दल के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय। हम उसमें नहीं होना चाहते ताकि निष्पक्ष रूप से, कम से कम हमारी ओर से, चूंकि बहुमत दल के ही सदस्य यहां अधिकांश में हैं, इसलिये उनकी कमेटी इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे और आपके सामने रखे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*२—**श्री राज नारायण** (जिला बनारस)—श्रीमन्, जैसा कि भाव अभी हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने यहां प्रकट किया उसके संबंध में कल भी हमारे सामने सवाल आया था जबकि हम सेक्रेट्री साहेब के कमरे में थे जानकारी के लिये कि कौन पासेज हैं, कौन-कौन लोग हैं और कैसे पास पाये हैं। मैं अपने दल की ओर से साफ कह देना चाहता हूं कि हमारे दल में कोई भी व्यक्ति ऐसा कमजोर नहीं है जोकि किसी दूसरे के पास किसी दूसरे के नाम पर देकर किसी काम की जिम्मेदारी से बचना चाहता हो। हमारे दल में यह पूरा साहस और क्षमता है कि जो भी काम करें उसकी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभावें। कोई भी आदमी जांच करले और उसकी जितनी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आवेगी हम उसको निभाने के लिये तैयार हैं। मैं अपनी ओर से संयुक्त दल के सम्मानित सदस्यों को यह आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि हमारे किसी भी काम से अगर उनके ऊपर तनिक भी बोझ पड़ेगा तो उसके साथ उनका बोझ भी चारगुना हम अपने ऊपर ढोने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—उस सुझाव के लिये आपने नहीं कहा जो कि कमेटी नियुक्त करने का है उसके बारे में भी तो अपना दृष्टिकोण बतलाइये।

श्री राज नारायण—श्रीमन्, आपको पूरा अधिकार है यह तय करने का कि सदन में किसको पास दिये जायं और उनको किस प्रकार से वितरित किया जाय या प्रिविलेज कमेटी उसके लिये कोई तरीका निकाले। अगर आप समझते हैं कि प्रिविलेज कमेटी इसमें असमर्थ होगी तो और कोई कमेटी बिठा सकते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति न होगी। हमने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। अगर हम कोई काम करते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण में वह नियमों के उल्लंघन में आता है लेकिन हम समझते हैं कि उस प्रकार से हमें अपना मत व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, तो नियमों के अन्तर्गत जो भी सजा होगी उसको भुगतने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। मैं भी इसी सदन से हटाया गया था, मुझे उसकी सजा मिली और मैंने उसको भी भोगा था लेकिन उसके लिये भी इतना मानता हूं कि वह सजा गलत थी।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव रक्खा गया है वह बहुत ही उचित है क्योंकि जो कुछ कल हुआ उसके ऊपर प्रकाश पड़ जायगा और आगे के लिये भी ऐसा हो सकने की संभावना रुक जायगी।

श्री अध्यक्ष—दो तरह की कमेटियों के नियुक्त करने के संबंध में राय जाहिर की गयी है एक तो वीरेंद्र शाह जी की राय है कि सब दलों के सदस्यों की कमेटी हो और दूसरी श्री बालेंदु शाह जी की राय है कि चूंकि इस वाकेये का संबंध उनके दल से भी है और दूसरे दल से भी है, जिसने कि पासेज दिये हैं इसलिये वे चाहते हैं कि इन दोनों दलों के लोग शामिल न हों बल्कि केवल बहुमत दल के लोग ही उसमें नियुक्त हों। इन दो सुझावों के संबंध में आपकी अलहदा अलहदा क्या राय है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री वीरेंद्र शाह जी का जो ख्याल है उसका मैं आदर करता हूं परन्तु महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने जो तजवीज हमारे सामने रखी है उसके विषय में मेरा विचार यह है कि जब कभी प्रिविलेज का सवाल आता है तो उससे किसी न किसी दल का संबंध जरूर होता है लेकिन प्रिविलेज कमेटी में सब दल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यद्यपि बालेन्दुशाह जी का ख्याल अच्छा है लेकिन फिर भी अगर सब दल के सदस्य हों तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राज नारायण—श्रीमन्, हमको केवल इतना ही निवेदन करना है कि मैं माननीय सदस्य श्री बालेन्दुशाह जी के भावों का स्वागत करता हूं। इसके अलावा जब आप कमेटी ही बिठा रहे हैं तो उसमें ऐसी रचना कर दें कि जब कभी इस भवन में कोई डिसआर्डर (अनुशासन हीनता) या मिसबिहेवियर हो तो ऐसी दशा में क्या बाहर की पुलिस यहां आ सकती है और अगर बाहर

की पुलिस यहां आती है तो सदन का अपमान होता है या नहीं, इससे हमेशा के लिये एक स्वस्थ परिपाटी बन जानी चाहिये। हमारे पास बहुत से बाहर के लोग आये और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पुलिस उठा ले गयी थी उनको १ घंटे तक क्यों डिटेन किया गया। इस तरह से इसमें कानून का उल्लंघन होता है कि यहां बाहर की पुलिस आये। अतः इसके बारे में भी आप कोई व्यवस्था अवश्य कर दें कि अगर ऐसी घटना हों तो क्या हो। इसके अतिरिक्त यहां मार्शल होना चाहिये या नहीं होना चाहिये यह भी एक प्रश्न है। ये बातें हमारे सदन की मर्यादा पर बहुत चोट पहुंचाती हैं।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में मैं इतना तो जरूर कह देना चाहता हूं कि कल जो घटना हुई उससे इस सदन का बहुत ही ज्यादा अपमान हुआ है। इस तरह की नजीरें मिलती हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनके ऊपर सदन के अपमान का (कंटेम्प्ट का) जुर्म लगाया गया और उसके बाद उनको दंड दिया गया। अब तत्काल यह करना उचित था या न था या सदन अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार इस मामले में कार्यवाही करे या न करे, इस बारे में सदन स्वयं ही विचार कर सकता है या ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि वह किसी कमेटी के जरिये से जांच कराने के पश्चात् इस प्रश्न पर विचार करे। यह अपराध तो हो चुका है और इस सदन का हर एक सदस्य इस अदरणीय सदन की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये बाध्य है और उसका यह कर्त्तव्य भी ऐसी अवस्था में यदि किसी सदस्य का कल की घटना में अंग रहा हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तो अपराध जरा और हो जाता है। लेकिन आज मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि किस तरह से यह मामला हुआ लेकिन अभी मुझे जांच के बाद मालूम हुआ कि हमारे यहां के जो कर्मचारी हैं उनमें से एक चपरासी के द्वारा पास भेजे गये थे। सदन की प्रथा यह रही है कि सदन के सब माननीय सदस्यों के ऊपर विश्वास किया जाता है इसलिये यह, प्रथा चलायी गयी थी कि हर रोज एक-एक ब्लैंक पास माननीय सदस्यों के पास भेज दिया जाय जिसमें नाम भर कर वे जिस व्यक्ति को चाहें दर्शक की हैसियत से यहां घुसने की इजाजत दे दें। तो इस तरह से हर रोज के पासेज मिला कर हफ्ते भर के पांच-पांच की गड्डी बनायी जाती है और सदस्यों के नाम उस पर लिख कर कि किन सदस्यों के पास हैं उनके पास दफ्तर से भेजे जाते हैं पास में सेक्रेटी की मुहर लगी रहती है। तो ऐसी गड्डियां जो पांच-पांच पासेज की होती हैं दस संयुक्त दल की थीं और २७ गड्डियां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की थीं। जब चपरासी कल इन गड्डियों को लेकर गया तो उनमें से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में १७ गड्डियां तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की उठा ली गयीं। किसने उन्हें उठाया, क्या किया उसकी तो तहकीकात होगी, और जो संयुक्त दल की १० गड्डियां थीं वे भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दफ्टर में ही ले ली गयीं और जो १० गड्डियां छोड़ी गयी थीं वे तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के काम की थीं जिनको उस चपरासी के द्वारा जो उनको बांटने गया था, संयुक्त दल के पास भेज दिया गया। जब वे गड्डियां संयुक्त दल के पास पहुंची तो उन्होंने इस पर कुछ एतराज किया कि यह हमारी तो नहीं है इस पर वह चपरासी सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में फिर गया और संयुक्त दल की १० गड्डियों को मांगने लगा कि उन्हें वे वापस दे दी जायं। वहां से उसको यह जवाब मिला कि वे तो उन्होंने तकसीम कर दी हैं जो उस दिन की तारीख से संबंधित थीं। इसलिये उसको वे पासेज वापस नहीं मिले। उसके बाद हमारे सचिव ने यह सब मामला खत्म हो जाने के बाद तहकीकात की और जो पांच पांच की गड्डियों में से बची हुई थीं उनको वापस मंगा ली। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में चार-चार कार्ड की गड्डियां संयुक्त दल वाली बची हुयी थीं एक तो एक कार्ड तो उन्होंने तकसीम कर दिया था संयुक्त दल वाली फेहरिस्त में से लेकिन चार-चार कार्ड की गड्डियां मेरे पास वापस आ गयी हैं और संयुक्त दल के पास जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गड्डियां पहुंच गयी थीं वे पूरी पांचों की पांचों कार्ड वाली १० गड्डियां वापस आ गयीं। इस तरह से १० गड्डियां जो संयुक्त दल के पास गयीं थी वे मेरे पास वापस आ चुकी हैं। यह मैं सूचना के लिये सदन को बतला देता हूं कि गड़बड़ी इस तरह से हुई। तो इससे यह मालूम हुआ

[श्री अध्यक्ष]

कि जो कुछ पासेज दिये गये थे वे संयुक्त दल की तरफ से नहीं दिये गये थे बल्कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दिये गये थे लेकिन उसमें किसका अंग था या नहीं था यह बात तो स्पष्ट नहीं होती (करतल ध्वनि)।

श्री राम नारायण---श्रीमन्, यह ताली किसलिये बजी, मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर पर जब कि इतने बड़े गम्भीर विषय का प्रश्न सामने है ताली नहीं बजनी चाहिये। क्योंकि इसके ऊपर आगे तहकीकात भी होने वाली है और उसमें हर दल के सदस्य होंगे तो ऐसी अवस्था में पहले ही कोई खुशी या नाराजगी जाहिर कर देना अच्छा नहीं है। तो जितनी मुझे सूचना थी वह मैंने आपको बतला दी कि यहां तक मुझे सूचना मिली है। सदन में जो यह इच्छा प्रकट की गयी है कि एक कमेटी बनायी जाय इसको मैं भी उचित समझता हूं। ऐसे अवसर पर यह भी हो सकता है कि यह प्रश्न मैं विशेषाधिकार समिति के पास भेज देता, यह भी हो सकता था कि सदन इस मामले को स्वयं ले लेता क्योंकि उसके सामने ही यह वाक़या गुजरा है इसलिये तुरन्त ही उस प्रश्न पर इस सदन में विचार हो सकता था लेकिन उसके साथ ही साथ जो पासेज देने की व्यवस्था है वह भी संबंधित है। दूसरे श्री राज नारायण जी ने एक और जिक्र कर दिया है और मेरे पास कल श्री बीरेंद्रशाह भी इस संबंध में आये थे और शायद वह प्रस्ताव भी लाना चाहते थे और जिक्र करना चाहते थे इस तरह की जो गड़बड़ी कभी-कभी हो जाती है उस की व्यवस्था के बारे में। विधान सभाओं में कई जगह सारजेंट से अध्यक्ष काम लेते हैं। केन्द्रीय पार्लियामेंट में भी अलावा सारजेंट के वाच एण्ड वार्ड अध्यक्ष के मातहत रहते हैं जो कि गैलरी का इन्तजाम करते हैं और पासेज चेक करते हैं। मेरे लिये तो सदन की व्यवस्था चलाना आवश्यक हो जाता है, चाहे यह तरीका बहुत उचित न हो लेकिन जब यह अधिकार दिया गया है कि व्यवस्था रखना मेरे लिये आवश्यक है, तो मेरा पहला कर्त्तव्य यह है कि ऐसी व्यवस्था रहे कि वादविवाद शांतिपूर्ण वातावरण में हो, और अगर वह भंग होती है तो नियम में मुझे अधिकार है कि मैं शक्ति का उपयोग करूं और उसके उपयोग के लिये तात्कालिक काम के लिये माननीय गृह मंत्री जी की कृपा से पुलिस जो कि उनके इन्तजाम में रहती है हमारे सदन के कार्य के लिये हमारे पास भेजी जाती है और मेरी आज्ञा से अगर मैं आज्ञा दूं तो उसका उपयोग सदन में किया जा सकता है। मैं यह भी सदन को बतलाना चाहता हूं कि यदि कोई फौजदारी जुर्म कोई व्यक्ति करे और उसको गिरफ्तार होना हो, उस को पकड़ना हो तो गिरफ्तारी के लिये गृह मंत्री जी का विभाग पुलिस भेजे और इस सदन के किसी अंग में गिरफ्तारी करना आवश्यक हो तो मेरा काम केवल यही रहता है कि मैं इजाजत दूं कि पुलिस यहां आ जाय। तो जब पुलिस को दाखिल करने का अधिकार मुझे बाहरी मामलों में रहता है तो ऐसी अवस्था में सदन ही के कार्य में बाधा होने पर पुलिस नहीं आ सकती यह कहना तर्क के हिसाब से ठीक नहीं मालूम होता लेकिन अधिक उचित यह है, मैं अधिक उचित कह रहा हूं कि सदन का ही सारजेंट रहे और उसी के द्वारा कार्यवाही हो और वाच एण्ड वार्ड का भी इन्तजाम हो। लेकिन यह बात अर्थ या वित्त से भी संबंध रखती है और उस के लिये फाइनेंस प्राप्त करने का सवाल उठता है। इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय तो कोई बेजा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कमेटी इस विषय को भी ले ले और वह इस प्रश्न पर भी सुझाव दे सकती है। इस में पुलिस के उपयोग की उचितता और अनुचितता का प्रश्न नहीं है केवल फाइनेंशियल प्वाइन्ट आफ व्यू से विचार किया जा सकता है कि दूसरा तरीका कैसे कायम हो सकता है वैसे तो कमेटी केवल फैक्ट फाइंडिंग के लिये होगी कि यह घटना कैसे हुई लेकिन अगर कमेटी की राय में सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है यह सिद्ध हो तो वह प्राइमा फेसी अवहेलना प्रतीत होती है ऐसा समझा जायगा और अवहेलना का प्रश्न पहिले विशेषाधिकार समिति के सामने और फिर सदन के सामने आयेगा और फिर सदन निर्णय करेगा कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं। ब्रीच आफ प्रिविलेज नभी हुआ

हो तो भी कमेटी यह भी विचार करेगी कि पास देने की पद्धति आगे क्या होगी और इस संबंध में वह मुझे सुझाव दे सकती है और उसके बाद मैं निर्णय दूंगा कि क्या व्यवस्था नियमों के अनुसार कायम की गई है और मैं सदन के सुझाव के अनुसार व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगा। इसलिये मैं सदन की यह राय माने लेता हूं कि इस तरह की कमेटी जिस में सब दल के सदस्य हों मुकर्रर कर दूं।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, आप ने जो कहा वह बिलकुल उचित है और यह भी एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है कि यहां के लिये सारजेंट हो और वाच एण्ड वार्ड का प्रबन्ध हो लेकिन निवेदन यह है कि इस वक्त जो प्रश्न हमारे सामने है वह यह है कि गलत तौर से जो पासेज दिये जायं या जो उनका दुरुपयोग हो वह कैसे रोका जाय सारजेंट या वाच एंड वार्ड का प्रश्न अलग है।

वाच एंड वार्ड का प्रश्न अलग सा प्रश्न है और इसका अलग विचार होना चाहिये। जैसा आपने कहा कि यह वाच ऐंड वार्ड का जो प्रश्न है वह फाइनेंस से संबंध रखता है वह न जाने कहा जाय, फाइनेंस कमेटी में जाय, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाय, तो यह इतना लम्बा खिंच जायगा और इसके तात्कलिक प्रश्न पर भी रिपोर्ट आने में देर हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि पास वाले मामले से इसको अलग कर लें और उसको जिस प्रकार से आप चाहें स्वयं विचार कर लें या कोई कमेटी जैसा आप चाहें बना दें लेकिन इन दोनों को अलग-अलग कर लें तो सुविधा होगी।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, मैं विनम्रतापूर्वक इतनाही निवेदन करूंगाकि यह जनतांत्रिक पद्धति से बहुत बड़े संबंध का प्रश्न उठ गया है। श्रीमन् आपने अभी बताया कि हमारे अध्यक्ष को पुलिस मंत्री ने कृपा करके सहायता पहुंचाई तो इससे बड़ा भारी फंडामेंटल सवाल उठ गया है कि पुलिस यहां पर डाइरेक्टली पुलिस मंत्री के आदेश पर काम कर रही थी या इन्सपेक्टर जनरल के आदेश से काम कर रही थी।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं। आप गलत सवाल उठा रहे हैं।

यहां की व्यवस्था के लिये पुलिस मेरे सुपुर्द हुई है यानी गृह मंत्री की आज्ञा का सवाल नहीं उठता है। जो कुछ शक्ति का उपयोग मुझे करना है तो जब तक कि विधान सभा के सेक्रेटेरियट् के पास अगर कोई दूसरी शक्ति नहीं है तब तक यही हो सकता है कि व्यवस्था कायम करने के लिये मैं पुलिस की सहायता लूं और उसके लिये मैंने यहां केवल नम्रतापूर्वक शब्दों में कहा उन शब्दों में जो कि एक सभ्य समाज में वाक्य कहे जाते हैं वही कहे कि उनकी यानी गृह मंत्री की कृपा से पुलिस की सहायता मेरे पास पहुंची। उनकी कृपा से यह व्यवस्था हुई। इसका मतलब यही है कि पुलिस पर यहां व्यवस्था तो मेरी है लेकिन पुलिस फोर्स मुझे मंत्री जी की आज्ञा से उपलब्ध हुआ उस कारण हुई। ऐसे पुलिस फोर्स का इन्तजाम तो अध्यक्ष के हाथ में पहले से ही प्रथानुसार चला आ रहा है। इस प्रकार यह प्रबन्ध नियम के अनुसार चला आ रहा है। यह बात उसमें अवश्य है कि कोई समुचित इन्तजाम मेरे पास नहीं है इन्तजाम थोड़ा सा ही होना है कि एक छोटी सी टुकड़ी पुलिस फोर्स की दे दी जाती है यहां पर शान्ति को कायम रखने के लिये और उसी से शांति को कायम रखा जाता रहा है।

श्री राज नारायण--वह फोर्स असेम्बली के अन्दर रहती है वह आपके आदेश से काम करती है या सड़क पर इन्तजाम करने वाली पुलिस आ जाती है।

श्री अध्यक्ष--वह अलग है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय ! मैं यह जानना चाहता हूं कि कल जिन लोगों ने यहां पर उपद्रव मचाया उनको पुलिस ले गई, उसके बाद उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---यह आप जानना चाहते हैं ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---जी हां।

श्री अध्यक्ष---मैंने यहां गैलरीज से उनको हटाने के लिये कहा था तो जिस हद तक असेम्बली की हद समझी जाती है उनको उसके बाहर करना था। इस बीच में सुझाव आया था कि उनके पासेज की जांच कर ली जाय और पासेज उनसे ले लिये जायं और नाम वगैरह उनसे पूछ लिये जायं क्योंकि जांच करनी है। तो उनको उस हद के बाहर करने के समय उनके पासेज की जांच की गई जब तक इस बारे में उनसे बातचीत होती रही मैं यहां से उठकर गया तो पूछा कि क्या-क्या जांच हुई तो पुलिस अफसरों ने बताया कि गड़बड़ करने वालों ने वह सब फाड़ दिये। तब मैंने कहा कि उस प्रश्न को छोड़ दो क्योंकि अब उससे कोई नतीजा नहीं होता। उसके बाद यह जानना चाहा कि कोई नाम बता सकता हो तो नाम पूछ लो लेकिन पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि कोई नाम बताने को तैयार नहीं था।

श्री राजनारायण---पुलिस के पास कुछ नाम तो आये हैं।

श्री अध्यक्ष---बाद में कुछ ने नाम बताये हैं। इसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उनसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था। और उसके बाद वे शोर करते हुये और उसी तरह से नारे लगाते हुये चले गये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---श्रीमन् ! मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर कोई कमेटी हुई और उसने यह निश्चय किया कि हाउस का कंटेम्प्ट हुआ है तो हम उनके खिलाफ क्या ऐक्शन ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह तो हाउस में फिर आयेगा सदन निश्चय करेगा कि क्या विशेषाधिकार की कार्यवाही की जाय या नहीं ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---आपने अभी कहा कि हमें यह नहीं मालूम कि कौन लोग थे और अब वे चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष---कुछ लोगों के नाम लिख लिये गये हैं और उनसे बाद में सब पता चल जायगा।

तो मैं अब समझता हूं कि अधिकतर राय यही है कि इन दो प्रश्नों के ऊपर एक तो पास वगैरह देने के बारे में कैसी व्यवस्था हो और कल का जो वाक्या हुआ उसके बारे में किस तरह से पासेज दिये गये थे क्या हुआ, इसमें किसी का दोष है या नहीं इस संबंध में सरसरी तौर से शीघ्र इसकी रिपोर्ट देने के लिये और जांच करने के लिये एक कमेटी बैठाई जाय।

दूसरा जो विषय है माननीय गृह मंत्री भी समझते हैं कि वह आवश्यक है और उसपर किसी दूसरे तरीके से विचार हो जायगा लेकिन यह प्रश्न इस कमेटी के लिये विचारणीय नहीं होगा और किसी दूसरी तरह से इसके ऊपर बाद में विचार कर लिया जायगा क्योंकि यह प्रश्न सदन के सामने आ चुका है तो मैं समझता हूं कि यह राय सब की है और इसलिये मैं इस पर आगे कार्यवाही करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण--मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन् जी, मैं अपने आपको आफर करता हूं आपकी सेवा के लिये। जैसा कि आपने कल कहा कि उनके लिये पुलिस की शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, उस संबंध में एक बात यह निवेदन करनी है कि ऐसा मालूम हुआ है कि पार्लियामेंट में कभी-कभी सदन के सम्मानित सदस्य भी अपने आरगूमेंट (Argument) के फोर्स (Force) से दूसरों को वश में कर लेते हैं और इसलिये आप मुझे अपने डिस्पोजल पर रखिये। आप मुझसे कहते और मैं उनको हाथ पैर जोड़ कर मना लेता।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य अगर स्वयं ही न मानने वाले हों और ऐसा मौका आ जाय तो क्या हो ?

(सदन में हंसी की एक लहर)

श्री हर प्रसाद शिक्षा निधि (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि हर प्रसाद शिक्षा निधि बनारस (समझौता पुष्टीकरण) (सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ मार्च, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ मार्च, १९५४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १९ जून, १९५४ को प्राप्त हो गई और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का १२ वां अधिनियम बन गया।

माननीय वित्त मंत्री अपना भाषण जारी रखेंगे।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने का सुझाव

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--जो कार्यक्रम आज का रखा गया है उस संबंध में कल ही एक आपत्ति उठाई गयी थी कि चूंकि कल ही विधेयक पेश किये गये थे और उनको कम से कम तीन दिन का समय मिलना चाहिये, तब वे विचार के लिये सदन के सामने आने चाहिये, इसलिये इनको स्थगित किया जाय। जो विधेयक उपस्थित है उस संबंध में मैंने माननीय उपनेता सदन को भी इसकी सूचना दे दी है और आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम ऐजेंडा में है उसको मेरी प्रार्थना के अनुसार तब्दील कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जो भाषण माननीय मंत्री का चल रहा है वह तो चलेगा ही।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--किस विषय पर ? कृषि आय कर बिल पर जो बात चीत हुई थी उसी पर यह बात उठाई गई थी। इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है और उसे ठीक हो जाना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे जो कार्यक्रम में दिया हुआ है कि भाषण जारी, तो आपने अपना भाषण कल जारी कर दिया था या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)--मैंने कुछ अर्ज करना शुरू किया था लेकिन इसी बीच में कुछ बात शुरू हो गई और शाम के वक्त मैं खुद तो हाजिर नहीं था लेकिन मुझको मालूम यह हुआ कि आज बजाय एजेंडा के हिसाब से पहले नर्सेज मिडवाइव्ज़ असिस्टेंट मिडवाइव्ज़ बिल शुरू किया जाय और उसके बाद कंट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन बिल लिया जाय और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल आये।

श्री अध्यक्ष—आपको यह मंजूर है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो हाउस के मंजूर करने की बात है। मैं तो समझता हूं कि अगर हाउस इसमें इस तरह की तब्दीली चाहता है तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—कल हाउस ने क्या फैसला कर दिया था कि कार्यक्रम किस आर्डर में रखा जाय ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—कल यह फैसला हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आज लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं तो इसी निर्णय पर चलूंगा।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी—कल मेरा एतराज यह था कि जितने भी विधेयक कल आये थे वे या तो प्रवर समिति से आये थे या नये विधेयक थे, तो उनको तीन दिन तक नहीं रखा जाना चाहिये था। इस एतराज पर यह कहा गया कि सदन स्थगित कर दिया जाय और कल से फिर हम बैठेंगे। उस समय माननीय राजस्व मंत्री उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि जिस क्रम से हम काम शुरू कर सकें उस क्रम से शुरू कर देना चाहिये लेकिन आज का जो एजेंडा छपा हुआ है मैंने जो सुझाव रखा था उस हिसाब से नहीं है जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनको हम बाद में लें और बाकी को पहले ले लें तो इसमें मैं नहीं समझता कि हमारे माननीय उपनेता सदन को क्या आपत्ति हो सकती है और आपत्ति तो असल में हमें है और वह अपनी जगह पर लागू है कि कल हमने एक आपसी तरीके से बातचीत की थी। नियमानुसार उपाध्यक्ष महोदय से यह निर्णय दे चुके थे कि वह विधेयक तीन दिन के बाद ही लिया जा सकेगा। अगर उसी पर चलें तो माननीय उपनेता सदन का काम नहीं चलेगा। अगर वह चाहते हैं कि समझौते के मुताबिक कार्यवाही न हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि यह बात किससे तय हुई ?

*अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है कि रामनारायण जी ने जो विचार प्रकट किये, थोड़ा सा उसमें भ्रम लगता है। जिस समय राजस्व मंत्री जी ने अपना विधेयक प्रस्तुत किया था उस वक्त रामनारायण जी की तरफ वे आपत्ति की गई थी कि आज नहीं लिया जा सकता और उसके बाद दूसरे बिलों पर उनको आपत्ति थी। तो यह तय हुआ कि जिस क्रम में एजेण्डा के अन्दर कार्यक्रम है उसी तरह से लिया जाय। इलेक्ट्रिसिटी बिल का कल कोई जिक्र भी नहीं था। यह था कि एजेण्डा जिस क्रम में है उसी क्रम में लिया जाय। पहले इलेस्ट्रिसिटी बिल आया हालांकि जिक्र नहीं था उसके बाद राजस्व मंत्री का बिल, रेंट कण्ट्रोल ऐंड एविक्शन बिल और दूसरे बिल और साढ़े तीन बजे इसी आश्वासन पर असेम्बली स्थगित हो गई।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने इसकी मुझे रिपोर्ट दी थी।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी थी। श्रीमन्, यह तय हुआ, जैसा बनारसी दास जी ने कहा, कल जो बातचीत हमने की थी कि प्रवर समिति से जो बिल आये हैं उनको हम तीन दिन नहीं ले सकते हैं। उस पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह हुआ कि आज असेम्बली स्थगित हो जाय और कल भवन के सामने जिस आर्डर में बिल आवें उसी हिसाब से ले लिये जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसी दास जी ने अपने कथन में यह कहा कि बिजली के बिल का कोई जिक्र नहीं था। वह तो पहले ही पेश हो चुका था और मैंने एतराज उठाया था कि हमें जो एजेण्डा डाक से भेजा गया था उसके अनुकूल नहीं है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि वह कल ले लिया जायगा। दूसरी बात यह है कि माननीय बनारसी दास जी खुद ही कह रहे थे कि नर्सेज के सम्बन्ध में जो बिल है वह अभी ले लिया जाय। तो मैंने यह कहा था कि कल जब लिया ही जाने वाला है तो कल ही हो जायगा आज क्यों सदन रोका जाय। अगर वह लोग जाब्ते की बात करना चाहते हैं तो मैं प्रस्ताव देखना चाहता हूं जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था। सिर्फ हमारे और राजस्व मंत्री जी के बीच वार्तालाप हुआ उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा कर दी कि कल होगा। ऐसी स्थिति में मैंने जो सुझाव.....

श्री अध्यक्ष—आपकी बात मैं समझ गया। इस विषय में सूचना देने को मेरे पास श्री वीरेन्द्रशाह जी ने सदन के खत्म होते ही आये और उन्होंने यह कहा कि इस तरह की बातचीत तय हुई है कि आज सदन आगे कार्य न करे बल्कि कल करे और समझौते में यह बात थी कि जो कार्यक्रम इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से कल काम होगा और कोई एतराज इस विषय पर नहीं होगा कि नोटिस काफी नहीं मिला और उसके साथ-साथ एक और समझौता था उसमें कि जो कोई सदस्य संशोधन पेश करना चाहे उसके लिये भी यह बाधा न होगी कि नोटिस काफी नहीं दिया गया। तो इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी और उसी के अनुसार मैंने दफ्तर से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि समझौते का अर्थ यही था। अब समझौते के लिये हर दम वोट नहीं लिया जाता। इस बात पर सदन में समझौते के पक्ष में बहुमत था। कई पार्टियों के भाषण में भी यही बात आयी कि इसी क्रम में कार्यक्रम होगा। दो, चार ऐसे हो सकते हैं, जिन्हें गलतफहमी यह रही हो कि हम कल भी क्रम को जिस तरह से चाहें उसे तय करा लेंगे। लेकिन सबके दिल में यही भावना थी कि इसी क्रम से चलेंगे जैसे तय हो चुका है और संशोधन के लिये भी कोई मियाद नहीं रखी, संशोधन की मियाद भी उठा दी जायगी यह बात तय थी। इसलिये यह क्रम जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं फिर से कर दूं और वह यह है कि अगर आपकी राय है कि कल यह समझौता हुआ तो उसे मुझे क्वेश्चन नहीं करना है। मैं एक नये प्रस्ताव के रूप में माननीय उपनेता सदन के सामने रखना चाहता हूं और फिर उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—(श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम से) उनकी दरख्वास्त इस बात की है कि कल चाहे जो समझौता रहा हो लेकिन जो छोटे-छोटे बिल्स हैं, जो जल्दी दस पांच मिनट में खत्म होने वाले हैं वे पहले ले लिये जायं, इसलिये नर्सेज और मिडवाइव्ज वाला पहले ले लिया जाय और फिर दूसरा ले लिया जाय यह वह चाहते हैं। यह बात अगर आपको स्वीकार हो तो मैं उसके लिये तैयार हूं क्योंकि फिर भी समझौते से अगर कोई बात तय हो तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, जो कुछ मैंने यहां सुना उसके लिहाज से मुझको आज स्वीकार करने या न करने का कोई मौका ही नहीं है। वह मौका तो तब था जब कि इतनी बातें जो कल यहां गुजरी हैं वे न गुजरी होतीं। जब कि आर्डर पेपर पर लिखा हुआ है कि एजेंडे में बिजनेस इस तरीके से हो उसके लिये हाउस की मर्जी इस तरीके से है तो मैं यह नहीं कह सकता हूं....

श्री अध्यक्ष—तो आप अपना भाषण जारी रखें। आपने अपना विधेयक विचार के लिये पेश किया था।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

†उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, जो बिल कि मैंने पेश किया था उसका मकसद यह है कि बिजली पर इस राज्य में जो इस वक्त कंट्रोल है और जिसकी मियाद ३० सितम्बर सन् १९५४ को खत्म होने वाली है उसकी दो साल के लिये मियाद और बढ़ जाय, यानी यह कन्ट्रोल ३० सितम्बर सन् १९५६ तक रह सके। कंट्रोल का जहां तक सम्बन्ध है सन् १९४२ में बिजली पर इस स्टेट में जंग की जरूरतों की वजह से जो उस वक्त डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स जारी थे और जिसमें कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के अख्तियारात थे उस वक्त हुआ था। जब लड़ाई खत्म हो गयी थी और सन् ४६ में अपने लोगों की गवर्नमेंट आयी तो उस वक्त जब डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स का आपरेशन खत्म हुआ तो इस पर विचार हुआ कि अब बिजली पर यह नियंत्रण बाकी रखना चाहिये या न रखना चाहिए। तो राय यह हुई कि रखा जाय। तो सन् ४६ में एक बिल पेश हुआ और उसकी मियाद दो साल रखी गयी और उस वक्त से इस वक्त तक बराबर दो साल के बाद उसको इस हाउस के जरिये से इजाफ़ा होता रहता है। तो जो हमने कंट्रोल का ऐक्ट बनाया वह इसलिये बनाया कि हमारे पास जो बिजली है उससे बहुत ज्यादा माँग है और बिजली दी नहीं जा सकती। ऐसी हालत में जहां भी कंट्रोल होता है जरूरत इस बात की होती है कि देखा जाय कि कमी की हालत में बिजली बेकार न खराब हो, यानी अगर कोई मकसद ऐसा हो कि जिसको बिजली देने की कोई खास जरूरत न हो तो तो उसको न दी जाय और ऐसे कामों के लिये बिजली दी जाय जिनकी वाकई सोसायटी को जरूरत हो और जिनसे सोसायटी का फायदा होने वाला हो। तो जहां एक तरफ कंट्रोल किया जाय किसी चीज का वहां उसके साथ यह भी जरूरी है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाय, ताकि जिस कमी की वजह से कंट्रोल किया जाता है वह जितनी जल्द से जल्द खत्म हो सके उतना अच्छा है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट ने बिजली का कंट्रोल किया और दूसरी तरफ बिजली के जनरेशन को बढ़ाने के लिये भी तरीके अख्तियार किये। चुनाँचे सन् १९४७ से लेकर इस वक्त तक इस स्टेट में दो तरीके से बिजली बढ़ी है। एक तो लायसेंसीज के जरिये से बिजली बढ़ी है जिनको सरकार की तरफ से लायसेंस मिला हुआ है। वह बिजली बनाते हैं और तकसीम भी करते हैं। जैसे कि लखनऊ में एक कम्पनी है वह बिजली बनाती है और तक्सीम भी करती है। ऐसे ही आगरे में है और इलाहाबाद में भी है। जहां-जहां लायसेंसीज हैं वह बिजली बनाते भी हैं और खुद ही तक्सीम भी करते हैं। एक सूरत तो बिजली बढ़ाने की यह हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२६ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

दूसरी सूरत यह है कि जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली लगायी गयी मसलन उन्नाव में, अल्मोड़े में, हल्द्वानी में और बाराबंकी में, यह जगहें हैं और अब तक इनमें नयी बिजली लगायी गयी हैं और वह लगायी गई लायसेंसीज़ के जरिये से या म्युनिसिपैलिटी के जरिये से। बाराबंकी में लायसेंसीज़ के जरिये लगायी गयी है और उन्नाव और अल्मोड़े में भी कम्पनी के जरिये से लगायी गयी है। एक सूरत तो यह है और दूसरी सूरत यह है कि खुद गवर्नमेंट ने बिजली बनायी, गवर्नमेंट ने खुद पावर हाउस बनाये या जो पावर हाउस बने हुए हैं उनमें एक्सटेंशन किया। जहां तक पहले जरिये से बिजली बढ़ाने का सवाल है, उसके फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं यह बतला सकता हूं कि आगरे में बिजली बढ़ी, लखनऊ में बढ़ी, इलाहाबाद में बढ़ी, बरेली में बढ़ी और बनारस में बढ़ी, यही सब जगहें हैं जिनमें बिजली इस तरीके से बढ़ी।

लखनऊ में ४ हजार किलोवाट बढ़ी और गालिबन इलाहाबाद में भी इतनी ही बढ़ी है, लेकिन इसका टोटल तो मेरे पास नहीं है। सरकार के जरिये से कितनी बिजली बढ़ी है उसका टोटल मैं अर्ज़ कर सकता हूं। वह है कि ४५ हजार ६ सौ किलोवाट बिजली सरकार के जरिये से बढ़ी है, मसलन सुहावल पावर हाउस का इक्सटेंशन हुआ और मुहम्मद पर पावर हाउस के जरिये से बिजली बढ़ी। जहां सरकार बिजली पर कंट्रोल करती रही वहां पर सरकार इस बात का भी ध्यान रखती रही कि बिजली की जो अपने यहां कमी है उसको नयी बिजली पैदा करके पूरा करने की कोशिश जारी रखी जाय। लिहाजा वह कोशिश की गयी और जो भी कोशिश होती रही वह मैंने अर्ज़ कर दी आगे के लिये बात दूसरी है।

आज जो हमारी बिजली की जरूरत है वह पूरी नहीं हो पा रही है। जितनी बिजली हमें चाहिये उतनी नहीं है। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि आगे कुछ जमाने के लिये बिजली के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत रहेगी ताकि इसका गलत इस्तेमाल न होने पाये। उसके रोकने की गरज से जरूरत रहेगी कि कन्ट्रोल रखा जाय तो इस ऐक्ट का एक्सटेंशन साल, दो साल या तीन साल के लिये किये जाने की जरूरत है। जैसा कि प्रपोज़ल है दो साल के लिये किया जाय वह करने की जरूरत है।

आगे क्या नतीजा निकलेगा वह मैं अर्ज़ किये देता हूं। वह यह है कि जहां तक इस वक्त सूबे को बिजली के लिहाज से तक्सीम करने का सवाल है, वह इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो वह हिस्सा जिसका नाम पहले से ही ग्रिड एरिया दिया हुआ है, जो सहारनपुर से शुरू होता है और जिसमें अलीगढ़ और बरेली आ जाते हैं और दूसरा वह हिस्सा जिसे अगर अंग्रेजी अल्फाज में कहें तो नान ग्रिड एरिया, तो एक तो ग्रिड एरिया हुआ और दूसरा नान ग्रिड एरिया। तो मैं दोनों की बाबत थोड़ा थोड़ा अर्ज़ किये देता हूं। आखिर हमारे और प्रास्पेक्ट्स अब हैं? क्या तो जहां तक ग्रिड एरिया का ताल्लुक है उसकी बाबत तो वह बात तो कई दफा एवान में आ चुकी है, क्वेश्चंस के जरिये से और जो डिस्कशंस होते हैं उन में भी। वहां पर एक पावर हाउस रुड़की के पास पथरी में बना हुआ है। दूसरा पावर हाउस एक मुकाम हरदुआगंज है, अलीगढ़ में, वहां बना हुआ है और उस हरदुआगंज पावर हाउस का एक्सटेंशन हो गया। तो वहां पर पंद्रह हजार और सात आठ हजार क्लोवाट बिजली दोनों जगह से बढ़ने वाली है जो इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू में बढ़ जायगी। मेरा मतलब फाइनेंशियल ईयर से है, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक में कह रहा हूं कि उस साल के आखिर तक हमको इन पावर हाउसेज की बिजली मिल जायगी और ग्रिड एरिया के अन्दर जो कमी है बिजली की वह नहीं रहेगी जितनी कि इस वक्त है। तो जहां तक ग्रिड एरिया का ताल्लुक है उसकी निस्बत तो मैं यह भी कह सकता हूं कि मैं इस वक्त यह कंसीडर करा रहा हूं कि वहां कोई कंट्रोल बिजली पर रखा जाय या नहीं। किस नतीजे पर पहुंचेगा, यह तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक ख़याल है हमारा वह यह कि हम इस चीज़ को कर सकें। इसलिए हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि वहां बिजली का कंट्रोल रखा जाय या नहीं। फर्ज़ करो हमको ग्रिड एरिया पर कंट्रोल की जरूरत नहीं रही और हम उसको डिकंट्रोल कर दें, जैसा कि बहुत से टाउंन्स में कर रखा है, जैसे लखनऊ में कोई कंट्रोल नहीं है, आगरे में नहीं है, इलाहाबाद

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

में नहीं है, बनारस में नहीं है और और जगह भी हैं उनके अलावा जो डिकंट्रोल्ड है, जहां हम समझते हैं कि हमारे पास बिजली इतनी हो सकती है कि हम वहां की मांग को पूरा कर सकते हैं और वहां बिजली आजादी के साथ मिल सकती है। तो ऐसा मुमकिन है कि ग्रिड एरिया में भी हम ऐसा ही कर दें। तो उसको हम देखेंगे। हमने एक कमेटी बैठा रखी है। वह इस बात को देखेगी और जांच पड़ताल करके इस नतीजे पर पहुंचेगी कि हम डिकंट्रोल कर दें, लेकिन जो बाकी दुनियां है, नान-ग्रिड एरिया, वहां जैसा कि है अर्ज कर रहा हूं जो पावर हाउससेज बन रहे हैं, गोरखपुर में पहले एक था और वहां एक कम्पनी बिजली देती थी, तो वहां एक और नया पावर हाउस बना रहे हैं। एक मऊ में नया बना रहे हैं। एक देवरिया में बन रहा है, मैनपुरी के अन्दर हम एक पावर स्टेशन बना रहे हैं। वहां के वास्ते रेहेंड डैम का सवाल उठ रहा है, उसके काम के शुरू होने का वक्त आ ही गया है और दो, तीन, चार महीने के अन्दर काम शुरू होने वाला है। जितनी बिजली इस वक्त हमारे पास है वह थोड़ी है। आज हमको एक तरफ तो ट्यूबवेल्स के लिये इरिगेशन के चलाने के वास्ते बिजली की जरूरत होती है, उधर अपने टाउन्स में मुखतलिफ कामों के लिये और उद्योग-धंधों के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो उस एरिया में तो बिजली है नहीं। वहां बिजली के कंट्रोल की जरूरत किस वक्त पैदा हो सकती है यह तो कोई नहीं कह सकता। अगर एक जगह को हम लें, जैसे उन्नाव है, वहां नया इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, वहां कंट्रोल की जरूरत नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन आज मांग इतनी बढ़ रही है कि अगर एक साल के अन्दर या ६ महीने के अन्दर मांग इतनी बढ़ करके वह हालात पैदा हों कि बिजली की कमी महसूस हो तो उस वक्त अगर यह ऐक्ट न हो तो गवर्नमेंट फिर कैसे क्या करे? दूसरे यह कि कितनी ही कम्पनियोंके जरिये से जो शहरों को बिजली मिल रही है, उनके पास बिजली इतनी है नहीं कि वह पूरी दे सकें और उन पर कंट्रोल है और उन पर से कंट्रोल नहीं उठ सकता है। जब तक कि और बिजली तैयार नहीं होती है तो कंट्रोल की जरूरत तो है। लेकिन कोशिश इस बात की है कि जो जनरेशन हमारे यहां बढ़ता जाय, बिजली ज्यादा पैदा होती जाय। वह प्रबन्ध हो रहा है। थोड़े अर्से के अन्दर इस सूबे के अन्दर जितनी बिजली होगी उसकी तादाद बयान करना भी मेरे ख्याल में ऐसी बात है कि मैं किसी को चांद और सूरज की उम्मीद दिलाऊं। लेकिन यह अन्दाजा कर सकते हैं कि बहुत थोड़े अर्से के अन्दर यह सारी हालत जाती रहेगी और बिजली की इफरात हो जायगी तो बिजली की इफरात करना तो हम सबका मकसद है। उन तमाम चीजों के लिये बिजली रख ली जाय जिनके लिए जरूरत है, यह हम सब चाहते हैं। लेकिन जब तक इतनी बिजली नहीं हो जाती तब तक तो इस किस्म के कामों को करना ही है। इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुयी कि अब की सितम्बर में इसकी मियाद गुजरेगी। इसके पहले जो सिटिंग हुयी थी उसमें ही यह बिल पेश हो गया था लेकिन उस वक्त यह हुआ नहीं। अब मैं तवक्को करता हूं कि मेम्बरान इस बात की जरूरत को महसूस करेंगे कि कंट्रोल की जरूरत अभी किसी न किसी जगह पर रहेगी और रह सकती है, लिहाजा गवर्नमेंट को कंट्रोल के अख्तियारात जो हासिल हैं वह गवर्नमेंट के पास रहें उस वक्त तक जिस वक्त तक कि उनकी जरूरत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कुछ निवेदन करूं, माननीय मंत्री जी से केवल एक सूचना जो उन्होंने दी है, उसकी पुष्टि चाहता हूं। उन्होंने बतलाया कि प्रदेश में कुल ४६ के बाद ४५,६०० किलोवाट बिजली पैदा हुयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह स्टेट और लाइसेंसी दोनों अंडरटेकिंग्स का टोटल है या केवल एक अंडरटेकिंग का।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं हुजूरवाला के जरिये से इस हाउस से अपील करता हूं कि मैंने इतना साफ कहा कि उसमें किसी किस्म का शक कोई कर नहीं सकता। लाइसेंसीज के जरिये से या और गैर सरकारी उपायों से जो बिजली बढ़ी है उसकी तादाद मेरे पास नहीं है। जो सरकारी जरिये से बढ़ी है, सरकारी पावर स्टेशंस की, उसकी तादाद मैंने बतलायी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा विरोध इसलिये नहीं है कि मैं इस बात की आवश्यकता नहीं समझता कि आज हमारे प्रदेश में विद्युत प्रणालियों पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मेरा विरोध तो इसलिये है कि हमारा यह विधेयक एक प्रकार से अधरा विधेयक रहा है। इसके प्रीऐम्बुल में, कथानक में तो कहा गया है कि यह प्रदेश की विद्युत प्रणालियों के संचालन, उत्पादन और वितरण प्रोडक्शन, सप्लाई ऐंड डिस्ट्रिब्यूशन इन तीनों से संबंध रखता है। लेकिन सन् ४७ से लेकर आज तक जिस प्रकार से इस विधेयक को अमल में लाया गया है, वास्तविक रूप दिया गया है उसको देखते हुए इस विधेयक की मंशा को पूरा नहीं किया गया है। आज मैंने माननीय मंत्री जी का जो भाषण सुना उस भाषण को सुनकर मुझे ठीक उसी भाषण की याद आयी जो कि आज से दो साल पहले इसी अगस्त के महीने में इसी माननीय सदन में उन्होंने दिया था। उन्होंने इसी प्रकार उदाहरण से शुरुआत की, यही कारण बतलाया और यही कहा कि चूंकि बिजली की कमी है, जितनी प्रांत को बिजली की जरूरत है, उतनी बिजली नहीं है इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता है। एक दो साल के अन्दर इस बात की आवश्यकता शायद पूरी हो जाय। इसलिये एक साल के लिये हम इस विधेयक को रख रहे हैं यह कहा गया। श्रीमन्, ६ बार माननीय मंत्री जी इस बात को इस सदन में दोहरा चुके हैं। सन् १९४७ में उन्होंने एक साल के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इस बात की आशा की कि एक साल के अन्दर इस प्रांत में बिजली की कमी को पूरा कर लेंगे। सन् ४८ में मालूम हुआ कि एक साल में यह आशा पूरी नहीं हुयी तो दो साल के लिये उन्होंने और समय मांगा। सन् ५० तक भी उनकी वह आशा पूरी नहीं हुयी, मृग मरीचिका हो गयी तो सन् ५२ में उन्होंने समझा कि सन् ५२ तक हम अपने कार्यक्रम के जरिये, अपनी योजनाओं के जरिये बिजली की कमी को पूरा कर लेंगे। आज छठी बार इस बात को महसूस करना और सदन के सामने इस बात को प्रस्तुत करना कि चूंकि बिजली की कमी अभी पूरी नहीं हुयी है इसलिये हमें कंट्रोल अभी रखने की आवश्यकता है। इस बात को साबित करता है कि सरकार खुले आम अब इस बात को मानती है कि वह अपनी योजनाओं में असफल रही और प्रांत की जनता की बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकी है। अपनी योजनाओं के रहते हुए, अपने व्यापक अनुदानों के रहते हुए अपनी ही आशाओं को पूरा नहीं कर पायी।

दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में जो कहना चाहता हूं वह यह कि आखिर इसका नाम रखा गया है कंट्रोल ऐक्ट, आप किसी चीज का किसी प्रणाली का कंट्रोल करेंगे। तो इसको लागू करने वाली कोई संस्था, कोई अधिकारी, कोई इंस्पेक्टर, कोई पूर्ण व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार मकानों के कंट्रोल आदि के सम्बन्ध में पूरी प्रणाली है। उसके इंस्पेक्टर्स भी है, तो माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अलग-अलग अंडरटेकिंग्स है। चाहे वह व्यक्तिगत हैं या सरकारी, कौन सी ऐसी मशीनरी है जिसके जरिये आज प्राप्त में बिजली का उपभोग करने वाला उपभोक्ता इस बात की शिकायत कर सकता है कि उसको बिजली नहीं मिली या जिसको बिजली लेनी है वह शिकायती प्रार्थनापत्र दे या जिसने अपने घरेलू, कृषि सम्बन्धी या औद्योगिक कार्य के लिये बिजली मांगी है उसकी शिकायत किसी से कर सके। उसकी जांच करने वाला प्रांत में शायद एक इंस्पेक्टर है। मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार माननीय मंत्री जी और उनकी सरकार इस बात की आशा करती है कि केवल एक इंस्पेक्टर इतने बड़े ऐक्ट के मंतव्य को व्यावहारिक रूप दे सकेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 'इनफोर्मेशन' के दृष्टिकोण से हमारे मंत्री जी का विधेयक एक कागजी विधेयक रह जाता है।

तीसरी चीज इस सम्बन्ध में यह उठती है कि जहां हमको कंट्रोल की बात सोचनी है, जहां हमको यह सोचना है कि हम नियंत्रण इस वास्ते करेंगे कि जितनी मांग है उसको हम पूरी कर सकें। इसी आधार पर इस बिल को नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि श्रीमन्, किसी भी वेलफ़ेयर स्टेट में जो यह समझती है कि हमें जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करना है तो उसका एक ही अर्थ है डिमांड्स लगातार बढ़ती रहेंगी। ज्यों-ज्यों हमारी योजनाएं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सफल होती रहेंगी त्यों-त्यों बिजली की मांगें बढ़ती रहेंगी। डिमांड्स कोई स्केल नहीं बना सकतीं। गंगा हाईडल ग्रिड है, आज एक लाख की डिमांड है तो कल दो लाख नहीं हो जायगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्यों ज्यों जनता का स्टैण्डर्ड आफ लिविंग बढ़ेगा उसी प्रकार बिजली की मांग बढ़ती जायगी। इसलिये थोड़े कंट्रोल की प्रणाली की हमेशा आवश्यकता रहेगी। बिजली की मांग बढ़ती जायगी तो बिजली के पैदा करने की आवश्यकता भी बढ़ जायगी, कंट्रोल की आवश्यकता बढ़ जायेगी। तो यह कहना कि दो साल के लिये बढ़ाना चाहते हैं या एक साल के लिये बढ़ाना चाहते हैं यह सत्य से मुंह मोड़ना है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के दृष्टिकोण को देखें तो कल्याणकारी राज्य को चलाने की दृष्टि से देखें। केवल ला एंड आर्डर की मेंटलिटी से हमको कंट्रोल करना है, केवल एक अंडरटेकिंग के लिये व्यवस्था करनी है, एक विधेयक पास करना है, इसलिये सदन का समय लें और एक विधान बना दें तो मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता।

चौथी बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी तक सरकार को पता ही नहीं है कि हमारी बिजली की आवश्यकताएं वास्तव में क्या हैं? आप कंट्रोल किस बात का करेंगे। हमारी बिजली की आवश्यकतायें क्या हैं? अभी सरकार को इस बात का कुछ पता नहीं। श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश जितनी बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है उसका स्थान भारतवर्ष में तीसरा है। वेस्ट बंगाल की आबादी ढाई करोड़ के लगभग है और वहां पर साढ़े पांच लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है। बम्बई की आबादी लगभग ४ करोड़ के है और वहां पर भी लगभग ढाई करोड़ किलोवाट बिजली पैदा होती है लेकिन हमारे प्रदेश में पिछले साल तक पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार केवल एक लाख ६ हजार किलोवाट तक ही बिजली पैदा होती है। लेकिन आश्चर्य यह है कि जितनी बिजली पैदा करने की क्षमता यहां है उसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत फर्म्स को इस बात का बढ़ावा दिया कि वे अपने इंजनों की ताकत को बढ़ावें और अपनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी का पूरा-पूरा उपयोग करें। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक का ठीक-ठीक इस्तेमाल किया होता, अगर इसको लागू करने के लिये ठीक प्रणाली होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी हमारी अंडरटेकिंग्स की थी चाहे प्राइवेट हों या सरकारी हों उनका पूरा पूरा उपयोग किया जा सकता था और अपने प्रान्त की जनता की हम अधिक सेवा कर सकते थे और हर कारखाने को अधिक बिजली दी जा सकती थी और छोटे-छोटे कामों के लिये जो परेशानी होती है वह भी दूर हो सकती थी। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं उनको इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे वह यह बतला सकें कि जो लाइसेंसीज कम्पनीज हैं उन्होंने कितनी बिजली पिछले सालों में बढ़ाई, मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य है कि सरकार को यह भी पता न हो कि प्राइवेट इलेक्ट्रिकल कम्पनीज ने पिछले सालों में कितनी बिजली बढ़ाई। इसलिये मैंने अभी दोबारा उनसे स्पष्टीकरण भी चाहा।

एक तरफ तो सरकार यह सोचती है कि वह बिजली कम्पनियों को नेशनलाइज करेगी और दूसरी तरफ सरकार इतनी लापरवाह है, इतनी अजान है, इतनी भोली बनती है कि उसको यह भी पता नहीं है कि प्राइवेट अंडरटेकिंग्स ने कितनी बिजली बढ़ाई जबकि उसी के आदेश से, उसी के निवेदन पर आज बिजली कम्पनियां बिजली का उत्पादन बढ़ा रही हैं। इससे बड़ी उपेक्षा इस विधेयक के सिद्धांतों के लिये दूसरी कोई हो नहीं सकती यह मेरा ५ वां विरोध का कारण है। माननीय मंत्री जी को याद भी दिलाऊं अगर वह अपने पिछले दो साल पहले के इसी सदन में दिये गये भाषण को पढ़ें तो उसमें वह कुछ आंकड़ों को देखेंगे। उसमें कुछ आंकड़े उन्होंने बतलाये थे कि १६ हजार किलोवाट बिजली ४ साल के अन्दर लाइसेंसी कम्पनी ने बढ़ायी। इन दो साल के आंकड़े तो उनको मालूम थे, लेकिन इन दो साल के अन्दर उनकी और उनके डिपार्टमेंट की लापरवाही इतनी ज्यादा हो गयी कि अब उनको मालूम नहीं है। यह बात मुझे कहते हुए दुख होता है।

रही बात डिमांड के बारे में। सन् १९५० ई० में जब यह बिल रखा गया था तो उस समय यह कहा गया था कि हमारे प्रदेश में ७ लाख किलोवाट बिजली की डिमांड है। अब आप विचार करें कि इस समय सवा लाख किलोवाट बिजली जो कि इस समय की रिपोर्ट में बतलाया गया है, बनती है। जब शारदा बावर हाउस, पथरी पावर हाउस बन जायगा और यू० पी० के जितने पावर हाउस हैं वह सब बन जायेंगे तब हमारे पास २। लाख किलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी और १५ साल के बाद जब हमारा रिहण्ड डाम बन जायगा और उससे जो बिजली पैदा होने लगेगी उसको मिलाकर हमारे यहां १५ साल के बाद ५।। लाख किलोवाट बिजली बनने लगेगी। तो माननीय मंत्री जी विचार करें कि सन् १९५० ई० में ही उनके पास ७ लाख की डिमांड है और १५ साल के बाद भी केवल ५।। लाख किलोवाट बिजली बनेगी तब क्या आप यह भी समझते हैं कि उस समय कि तक डिमांड और ज्यादा नहीं बढ़ेगी ? तो फिर इस प्रकार की डिमांड के आधार पर अधूरा विधेयक हमारे सामने रखने से क्या लाभ हो सकता है।

छटी बात जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि इस कंट्रोल के सम्बन्ध में इस विधेयक के अनुसार वितरण के लिये ४ व्यवस्थाएं मानी गयी हैं। जहां पर लाइसेंस कम्पनी का वितरण है वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्राथमिकता को तय करते हैं और लाइसेंसिंग कम्पनी के पास अर्जियां आती हैं और कम्पनी उनकी तारीख के अनुसार उनको लगाती है और उसी के हिसाब से लोगों को बिजली दी जाती है। हाईड्स ग्रिड एरिया में अर्जियों पर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर प्राथमिकता तय करते हैं। ऐग्रीकलचरल मामलों में खेती का विभाग प्राथमिकता तय करते हैं मैं माननीय मंत्री जी से एक बाद जानना चाहता हूं कि जहां पर आपने डिकंट्रोल कर दिया जैसे कि लखनऊ शहर है या बरेली शहर है या इलाहाबाद शहर है। वह पर प्रोडेक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन को कौन कंट्रोल करता है ?

वहां पर तो बिजली के नियंत्रण की कोई समस्या नहीं है और बिजली के उत्पादन की कोई समस्या नहीं है लेकिन वहां पर उन कंज्यूमर्स के 'इन्टरेस्ट' को सेफ करने के लिये क्या कदम उठाया गया है ? क्या वहां पर कोई समस्या बिजली के उत्पादन और नियंत्रण की नहीं है और क्या वहां पर कोई कंज्यूमर्स की कोई समस्या नहीं है ? आज लखनऊ में जो बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी बहुत सी शिकायतें हैं। एक कोई कमेटी किसी शहर में आप बिठावें तब आप को मालूम होगा कि लोगों की कितनी शिकायतें हैं। मैं अपने अनुभव की बात ही आप को कहता हूं कि यहीं लखनऊ में एक रिफंड लेने में मुझको लगभग ३ महीने लगे जहां पर आप ने 'डिकंट्रोल' कर दिया है वहां पर बटवारे की व्यवस्था करनी चाहिये। अगर आप यह समझते हैं कि वहां पर सब ठीक है और कोई समस्या नहीं है तो आप ग़लत। फहमी में हैं। लोगों की डिमांड बराबर बढ़ रही है इसको भी आपको देखना है।

सातवीं बात इस सम्बन्ध में यह रखना चाहता हूं कि जो प्राइवेट लाइसेंसी अण्डर-टेकिंग हैं जैसे कि मार्टिन कम्पनी है या दूसरी हैं उनके रेट के मुताल्लिक़ मुझे निवेदन करना है। मैं उस लिस्ट को पढ़ना नहीं चाहता हूं कि मिर्जापुर में क्या है, और गाजीपुर में कुछ ज्यादा है या कहीं पर डिसकाउन्ट दिया जाता है और कहीं पर नहीं दिया जाता है। कहीं इंटेरेस्ट फ्री मिलता है तो कहीं ४ १/२ परसेंट बढ़ाया जाता है। इस सारे ब्योरे में मैं सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन आखिर यह जो रेट्स में इतना बड़ा फर्क़ है, इतनी बड़ी खाई है, अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज़ में या अलग अलग बिजली घरों में, यह क्यों है ? मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर पहले से ही समझ लेता हूं और वह यह कहेंगे कि चूंकि बिजली पैदा करने के खर्च अलग अलग हैं और कहीं पर कम बिजली खर्च होती है और कहीं पर ज्यादा होती है इसलिये कहीं रेट्स ज्यादा हैं। लेकिन कभी क्या उन्होंने इस बात की जांच की कि ये खर्चे के एस्टीमेट्स ज्यादा तो नहीं हैं ? जिनकी बुनियाद पर रेट्स मुक़र्रर किये जाते हैं ? इसकी जांच के लिये उन्होंने क्या कभी कोई कमेटी बैठाई ? दो साल पहले भी हमने इस इस सवाल को उठाया था। इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री कृष्णशरण आर्य ने रामपुर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के बारे में भी इस सवाल को उठाया और मिसालें दी थीं कि इस बारे में क्या हाल है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उनके बारे में क्या किया। मैं इस सदन के सदस्यों की शिकायतों के लिये कह रहा हूं। जनता की शिकायतों को तो कहना ही क्या। लेकिन जो बातें असेम्बली में सवालों के जरिये और वक्तव्यों के जरिये उठाई गईं उनके बारे में कह रहा हूं। २० या २२ अगस्त की बात है कि उस दिन माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट, १९४८ के अनुसार, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, ११ कमेटियां बनाईं इस बात के लिये कि वे कम्पनीज़ के एकाउन्ट्स की जांच करें कि आया वे पांच परसेंट ही मुनाफा लेती हैं अपनी कैपिटल का या ज्यादा। इस सम्बन्ध में ११ कमेटियां अलग-अलग जिलों में आज काम कर रही हैं। अब २ साल हो चुके हैं और मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि उनमें से किसी की भी रिपोर्ट हमारे सामने अभी तक क्यों नहीं आई या उनके सामने भी आई है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी के विभाग की तरफ से सन् ५२ के पहले ही ११ जिलों में इस बात की जांच करने के लिये कमेटियां बैठायी गयीं कि आया प्राईवेट बिजली कंपनीज़ जो मुनाफा लेती हैं वह उनके टोटल कैपीटल, सारी पूंजी का ५ प्रतिशत है या नहीं। इसके साथ ही साथ वह कमेटी इस बात की जांच करने के लिये भी बिठाई गई थी कि वे जो रेट्स वसूल करती हैं वे वाजिब हैं या नहीं। मुझे आज विभाग के द्वारा मालूम हुआ कि उन ११ कमेटियों में से एक की भी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। मैं इस सम्बन्ध में आप की इजाज़त से केवल इतना ही अर्ज़ कर देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी के भाषण, जो उन्होंने २६ अगस्त, सन् ५२ को दिया था, उसका एक हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—"दूसरी बात यह है कि सन् ४८ के ऐक्ट में एक प्राविज़न कर दिया है कि किसी जगह के रेट के मुताल्लिक़ कंज्यूमर्स सैटिसफाईड (उपभोक्ता संतुष्ट) हों, कम्पनी या गवर्नमेंट चाहे तो वह कमेटी बिठा सकती है। चुनांचे इसके मातहत हमने ११ जिलों में कमेटी बिठा रक्खी है कि वह देखे कि रेट्स ठीक हैं या नहीं और जो मुनाफा कम्पनीज़ ले रही हैं वह ५ फीसदी से ज्यादा पड़ता है या नहीं। ११ कमेटियों का काम हो रहा है"।

ये कमेटी सन् ५२ से बैठी हुई है और एक कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे सामने नहीं आने पायी। इससे यह मालूम पड़ता है कि सरकार इस सम्बन्ध में इसको कितना कम महत्व देती है और इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी ढिलाई व्यक्तिगत कम्पनीज़ को दे रक्खी हैं। श्रीमान्, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट १९४८ इस प्रदेश में लागू है, उसकी बहुत सी दफायें लागू हैं। उस एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट की धारा ४ में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड बनाया जायगा जो प्रान्त की बिजली के नियन्त्रण के सम्बन्ध में, केवल नियंत्रण के ही प्रश्न पर नहीं बल्कि सार्वभौम दृष्टिकोण से बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में वह बोर्ड कार्य करेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आया उस ऐक्ट के अनुसार सरकार कोई कमेटी कायम करने वाली है, क्या वह इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड बनाना चाहती है या नहीं। उसने प्रान्त में अलहदा-अलहदा कंपनियों के लिये ११ कमेटियां बनाईं लेकिन उसने एक सेंट्रल कमेटी बनाने की बात क्यों नहीं सोची जो विस्तीर्ण रूप से जांच करके उस बारे में रिपोर्ट कर देती। श्रीमन् जो मुझे मालूम हुआ कि ५०–५१ के लगभग इस सदन में इसलिये कमेटी बनाई गयी कि मुहम्मदपुर पावर हाउस के उत्पादन पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाय, किस प्रकार से उसकी बिजली का बटवारा किया जाय। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जब एक ही पावर हाउस के बिजली के बटवारे के लिये एक कमेटी बन सकती है तो क्यों नहीं सारे प्रदेश के पावर हाउसेज़ की जांच और नियंत्रण के लिये सदन के सदस्यों की कमेटी बनी? मुहम्मदपुर

पावर हाउस तो बहुत छोटा है उससे कई बड़े पावर हाउसेज यहां बनने जा रहे हैं उनके लिये कमेटी क्यों नहीं बनाई गई ? मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह अबिलम्ब इस सदन के माननीय सदस्यों की और जानकार ऐक्सपर्ट्स की, जो उस मामले को अच्छी तरह से जानते हों, एक कमेटी बनाये जो इस बात का फैसला करे कि केवल मुहम्मदपुर पावर हाउस ही नहीं, हरदुआगंज पावर हाउस ही नहीं, गंगा हाइलड ग्रिड या शारदा पावर हाउस जो बन रहा है उसका ही नहीं बल्कि जितने भी सरकारी या गैरसरकारी बिजली घर इस प्रदेश में काम करते हैं उन सभी को परिधि में लाया जाय और बिजली के बटवारे के तरीकों और बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिये वह अपनी सिफारिश दे कि इस प्रकार की चीज होनी चाहिये। विषय की महत्ता को देखते हुये, इस सार्वजनिक महत्व के विषय को देखते हुये मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आवश्यक बहुत कम विषय इस प्रान्त में हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान मार्टिन एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसनें इतना बड़ा रेट रखा है वह एक यूनिट के लिये आठ आने चार्ज करती है जितनी और किसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में नहीं है। यह इस्टेबलिश्ड कम्पनी मानी जाती है जो इंडिया में शायद सबसे बड़ी है, जिसके पास पूंजी अधिक है, जिसका मुनाफा अधिक है लेकिन वह भी यूनिट सबसे ज्यादा चार्ज करती है जब कि छोटी छोटी कम्पनियां उससे कम चार्ज करती हैं। विदेश के कुछ लोग जो कम्पनी का संचालन करते हैं वे अगर किसी प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को नाजायज ढंग से, ग़लत सिद्धांत के आधार पर लूटते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार इस बात के लिये जिम्मेदार है कि वह देखे कि एक आना यूनिट भी अगर जनता से ज्यादा लिया जाता है तो उसके लिये हमारी सरकार को पूरी कार्यवाही करनी चाहिये। मैं और समझता हूं कि सरकार इस माने में पूर्णतया असफल रही है।

जहां तक बिजली के वितरण का सवाल है, सरकार ने एक नियम बनाया और उसके लिये प्रायरिटी तय कर दिया कि ६० परसेंट तो इंडस्ट्रीज के लिये होगा, ३० परसेंट ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिये होगा और १० परसेंट डोमेस्टिक परपजेज के लिये होगा। मैं समझता हूं कि यह १० परसेंट जो प्रायरिटी रखी गयी है चाहे वह 'गंगा हाइडल ग्रीडसर्किल' के लिये हो चाहे किसी और सर्किल के लिये हो वह बहुत ही कम है। डोमेस्टिक परपजेज के लिये जो १० परसेन्ट बिजली का वितरण रखा गया है उसमें भी सरकार का घरेलू खर्च 'सरकारी कनेक्शन' भी शामिल है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही कम है। क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार ने जहां इंडस्ट्रीज के लिये रखा है वहां उसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं और ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिये जहां ३० परसेंट है उसमें सरकारी ट्यूबवेल का खर्चा भी शामिल है। इसी तरह डोमेस्टिक के अन्दर केवल नागरिक ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं। तो इस तरह से जहां आप बिजली उत्पादन की बात करते हैं वहां दूसरी ओर जो शहर के मध्यम वर्ग और जनता के निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की जो बिजली और बिजली के पंखे के कनेक्शन की मांग है उसको भी पूरा करना चाहिये। इसके लिये जो १० परसेंट की लिमिट है वह बहुत ही कम है या इसमें सरकार को अपने दफ्तर का कनेक्शन शामिल नहीं करना चाहिये। अगर सरकार एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की धारा १६ के अनुसार एलेक्ट्रिक सप्लाई कौंसिल बनाती है तो शायद जनता को कोई बात कहने का मौका मिलता। लेकिन सरकार ने बड़ी होशियारी के साथ इस बिल की सब धाराओं को लागू नहीं किया कि जिनमें जनता या प्रतिनिधियों का सवाल आता है। वह तो बड़े बड़े एक्सपर्टों की जो जनता से दूर हैं उनकी कमेटी बनाते हैं और उन्हीं के जरिये से सब कुछ करना चाहते हैं। एडहाक कमेटियों के बारे में मंत्री जी को शिकायत हुई और कहा कि इलाहाबाद की लोकल एडहाक कमेटी ने कुछ ग़लत काम किया। अगर किया भी तो इस का यह अर्थ नहीं हुआ कि हम बिजली के बटवारे के सम्बन्ध में हाथ न रखें। आप प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं और ईमानदार प्रतिनिधियों को

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रख सकते हैं अगर सरकार इस दृष्टिकोण से काम करे कि हर प्रतिनिधि बेईमान है और प्रतिनिधि बोर्ड में जरूर बेईमानी होगी तो किसी भी जनप्रिय व प्रतिनिधि कही जाने वाली सरकार को बिजली के इंतजाम में प्रतिनिधियों को भेद से देखना पूर्ण रूप से अनुचित होगा। एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट सन् ४० की धारा १७ के मुताबिक अधिकार सरकार को है कि बिजली के मामले में कोई लोकल बोर्ड बनाये जांय। इसी पर मेरी मांग है कि अलग अलग केन्द्रों में फिर से दोबारा लोकल ऐडवाइजरी कमेटियां बनाई जायं और उस में वहां की नगर पालिका के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायं और अगर आवश्यकता पड़े तो इस सदन के सदस्यों को भी शामिल किया जाय और फिर चेष्टा की जाय कि बिजली की व्यवस्था को केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन ही न रखा जाय।

बार-बार इस सदन में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही सब कुछ बना दिया गया है और सदन के बहुत से सदस्यों का ख़याल है कि वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो वहां एक तानाशाह हैं लेकिन आज की प्रणाली के अनुसार आज का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट केवल डिक्टेटर ही नहीं है बल्कि वह बहुत से मामलों में जनता का माईबाप भी बना दिया गया है। जो काम कि माता पिता को करना चाहिये वह काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है, मकान का मामला हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बिजली का मामला हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हर मामले में प्रायर्टी तय करने का अधिकार भी उसी को दिया गया है। उनके अलावा कोई सलाह देने वाला नहीं है। कम्पनी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा जनता कहीं नहीं आती। बिजली के वितरण के सम्बन्ध में जितने अधिकार हैं वह एक "सामूहिक बाडी" को देकर उनका प्रतिनिधीकरण किया जाय और सब मामलों को प्रतिनिधियों के सामने आने दिया जाय और उनको भी अपनी बात सामने रखने दिया जाय।

तीसरी एक नई बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार बार-बार हमसे गलत बात न कहे कि हम फलां तारीख तक किसी काम को पूरा कर देंगे और इस लिये उस तारीख तक उसको बढ़ाना चाहते हैं। यह झूठ सरकार के लिये ठीक नहीं है। मैं "झूंठ" शब्द का प्रयोग करता हूं इस का मुझे दुःख है लेकिन इसमें मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि शारदा पावर हाउस और पथरी पावर हाउस का जिक्र करते हुये सन् ५२ में मंत्री जी ने कहा था कि शारदा पावर हाउस सन् ५३ के आखीर तक या सन् ५४ के शुरू में बन जायगा और उसका नतीजा यह होगा कि ४१ हजार २०० किलोवाट बिजली मिलने लगेगी। मैं मन्त्री जी के शब्दों को पढ़ दूं ताकि कोई यह न कहे कि गलत बात है। मंत्री जी ने कहा था कि "चुनांचे इसी वजह से पावर हाउसेज अभी तक अंडर कान्सट्रक्शन हैं और उनमें से जहां तक पथरी और शारदा पावर स्टेशन्स का ताल्लुक है उनसे बिजली बन कर के हमको सन् १९५४ में या आधे जमाने तक मिलने वाली है और इसलिये हमने अपना यह जमाना मुकर्रर किया कि हम दो साल और बढ़ायें क्योंकि उस वक्त हमको ४२ हजार किलोवाट बिजली और मिलेगी। सन् १९५४ में इन पावर हाउसेज के जरिये से उस वक्त हमको यह मौक़ा होगा कि हम अपने डिसीजन को फिर से रिवाइज करें।" तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने सन् १९५२ में जो साल की मांग की थी वह इस ख़याल से की थी कि शारदा और पथरी के बिजलीघर ५४ के शुरू में या बीच में अर्थात् जून तक, अब यह अगस्त का महीना है, पूरे हो जायेंगे और यह पंचवर्षीय योजना के महाचमत्कार अपना काम करना शुरू कर देंगे। वह नहीं हो सका तो मेरा निवेदन है कि सरकार निश्चित तिथि दे ही नहीं, कहे ही नहीं, सदन से कभी नहीं कहे कि फलां तारीख या समय तक बन जायगा और अगर कहती है तो जिस तारीख तक कहा जाता है उस तारीख तक उस काम को हो जाना चाहिये। शारदा और पथरी के मामले में तो तीन बार तारीखें बदली जा चुकी हैं और अब चौथी बार तारीख की बात हमारे सामने आती है। शायद फिर भी माननीय मंत्री जी शायद भ्रम में हैं और यह सोचते हैं कि दो साल के बाद सन् ५६ तक यह शारदा, खतीमा और पथरी काम करने लगेंगे। अगर इस ग़लतफहमी से बिल ला रहे हैं तो मेहरबानी कर

के न लावें । तीन बार तो वह तारीखें बदल चुकी है तीन बार तो गलती साबित हो चुकी है अब चौथी बार यह ग़लती साबित न हो इसलिये २ साल की तारीख न बढ़ावें, यह तो मेरा उनसे निवेदन है ही।

दूसरी बात जो विचारने लायक है वह यह है कि आखिर हमारे बिजली के उद्योग के भविष्य का उसके बटवारे और पैदावार के भविष्य का क्या होने वाला है । माननीय मंत्री जी ने कई बार कहा है कि जो व्यक्तिगत पूंजी है वह बेकार हो चुकी है और प्राइवेट कैपिटल अब काम नहीं करती क्योंकि ५ परसेंट मुनाफा नहीं मिलता, सन् १९५२ में भी यही कहा था । तो आखिर इसका मतलब बिल्कुल साफ है । अब अगर इस ऐक्ट के प्रिएम्बिल के मुताबिक इस प्रदेश की बिजली बढ़ाई जाने वाली है तो इसकी एक मात्र जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार के ऊपर है । जब प्रान्तीय सरकार के ऊपर बिजली की पैदावार के बढ़ाने की जिम्मेदरी आ गई तो मैं समझता हूं कि बिजली के उत्पादन करने का जो इस समय संगठन है उसका भी राष्ट्रीय करण करे और अपने हाथ में ले और व्यक्तिगत कम्पनियों के हाथ में , मार्टिन सप्लाई के हाथ में इस प्रकार बिजली के उद्योग को न छोड़े क्योंकि इस प्रकार से, हर प्रकार से, बिजली के उत्पादन के भविष्य पर कुठारा घात करना है । तो इसलिये बिजली उद्योग के भविष्य को देखते हुये भी इस बात की आवश्यकता है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया जाय और जितनी इस प्रदेश में काम करने वाली बिजली की कम्पनियां हैं उनका नियंत्रण सरकार अपने हाथ में ले ले जिससे बिजली की 'इंस्टाल्ड कैपेसिटी' का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके । जब सरकार बिजली के कंट्रोल करने की बात कहती है तो वह प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की बात क्यों नहीं कहती ? माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि बिजली जो पैदा की जा रही है उसके बटवारे को तो कंट्रोल करे लेकिन पैदावार को कंट्रोल न करे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वितरण को आप किस प्रकार कंट्रोल करेंगे जब तक आप कारखानों को हाथ में नहीं लेंगे । जब तक आप इंडस्ट्रियल यूनिट को अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक बिजली पैदा करने पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि बिजली उद्योग का राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण , नौकरशाहीकरण नहीं, राष्ट्रीकरण जिसको सामाजीकरण का दूसरा सच्चा प्रारूप कह सकते है वैसा राष्ट्रीयकरण करें। तो श्रीमन् मैंने अपने संक्षिप्त भाषण में, अगर सदन की आज्ञा से मैं लम्बा करना चाहता तो कर सकता था लेकिन मैंने जहां तक हो सका है संक्षिप्त में, इस बात को प्रस्तुत करने का साहस किया है। मैंने इसीलिये प्रारंभ में ही स्पश्ट कर दिया था कि मेरे इस विरोध करने का उद्देश्य केवल विरोध करना मात्र नहीं है बल्कि मेरे हृदय में स्पष्ट भावनायें और विचार अंकित है कि आज इस प्रदेश की जनता नाना प्रकार से बिजली को प्राप्त करने के सम्बन्ध में दुखी है। इलेस्क्ट्रिसिटी ड्यूटी के सम्बन्ध में इस समय कहना नहीं चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी शायद इसे संगत नहीं समझेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रेटों और ड्यूटी आदि के लिये जाने की प्रणाली चल रही है उससे आज जो बिजली की डिमांड है उधर भी धक्का लग रहा है और साथ ही स्टेट एक्सचेकर को भी धक्का लग रहा है। सरकार ने ट्यूबवेल्स में बिजली लगायी है लेकिन कई माननीय सदस्य पूर्वी जिलों के हैं जो ट्यूबवेल्स लगे हैं क्या वे कह सकते हैं कि वहां की जनता उन ट्यूबवेल्स के पानी का पूरा-पूरा फायदा उठा रही है ? नहीं, क्योंकि वह उतना रेट नहीं दे सकती है, उतनी कीमत अदा नहीं कर सकती है और इसलिये पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि वह उसकी ताकत के बाहर है। इसलिये इस सारी प्रणाली को बदलना होगा, रेट्स को बदलना होगा, रेट्स के स्ट्रक्चर को बदलना होगा और उसके लिये सर्वांगीण प्रयत्न करना होगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस विधेयक को वे वापस लें और अगर वापस नहीं लेना चाहते और समझते हैं कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय तब तक बढ़ाना जरूरी है और यदि मांगना ही चाहते हैं तो ६ महीने का समय मांगे। इस बीच में सदन के माननीय सदस्यों

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

की कमेटी बैठे और वह सारे प्रश्न पर विचार करके इस बात का फैसला करे कि हमें इस का राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण करना है और इन सारी आवश्यकताओं को दूर करना है।

श्री परिपूर्णा नन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर ! मैंने अपने माननीय मित्र का वित्त मंत्री के प्रस्ताव के विरोध में भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मुझे कुछ ऐसा लगा कि संभवतः बहुत जल्दी में केवल विरोध करने के नाते वह कुछ कह गये और उन्होंने जो सामग्री उनके सामने सदन के सम्मुख, माननीय वित्त मंत्री के विभाग की ओर से समय समय पर प्रस्तुत की गयी है, उसको पढ़ने की चेष्टा भी नहीं की । मुझे तो उनका तर्क कुछ ऐसा विचित्र सा मालूम पड़ा श्रीमान्, कि मैं क्या निवेदन करूं, समझ नहीं पाता। आज उत्तर प्रदेश में बहुत से जेल हैं औरउन जेलों का अगर एक ही इंस्पेक्टर जनरल है तो साफ यह कहा जाय कि इतने जेलों का प्रबन्ध केवल एक ही इंस्पेक्टर जनरल करता है तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि यह बड़ी गलत बात है। हमारे माननीय मित्र ने यह कहा कि इतने बड़े प्रदेश में बिजली का कंट्रोल एक ही इंस्पेक्टर करता है। यह ठीक है कि इंस्पेक्टर तो एक ही है लेकिन उसके पास कितने असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स हैं और किने लोग इस प्रदेश का दौरा करके हर एक चीज की निगरानी किया करते हैं यह बात भी अगर उनको मालूम हो जाती तो शायद वह यह न कहते कि इतने बड़े प्रदेश के लिये एक ही इंस्पेक्टर है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---आप ही बताइये कि उनके नीचे कितना स्टाफ है ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---उनके नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स तीन हैं और उसके बाद बहुत से कर्मचारी हैं। पूरी जानकारी तो वित्त मंत्री ही दे सकते हैं लेकिन अपनी जो जानकारी है उस के हिसाब से मैं कहूंगा कि प्रदेश में एक ही इंस्पेक्टर की बात करना अनुचित है, असंगत है।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कही उसका मतलब यह नहीं था कि जितने लाइसेंसीज हैं और उनका जितना प्रोडेक्शन होता है, उस पर उन लाइसेन्सीज का क्या खर्च होता है आदि बातें न तो सरकार को मालूम है और न वित्त मंत्री को । एक दम से इस बारे में उन्हें कोई आंकड़े देना कठिन हो सकता था ।

यदि हमारे माननीय सदस्य ने, और कुछ बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, आज से थोड़े दिनों पहले इस सदन में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का रिपोर्ट वितरित की गयी थी, यदि उसको ही पढ़ लिया होता तो जो कष्ट उन्होंने सरकार पर लांछन लगाने के लिये उठाया वह न उठाना पड़ता। उत्तर प्रदेश में लाइसेंसीज की संख्या २६ है और यह भी स्पष्ट है कि ३१ दिसम्बर, १९४६ में जब लाइसेंसीज के बिजली की उत्पत्ति ४९, ८२१ किलोवाट थी श्रीमन्, उन्हीं लाइसेंसीज की ३१ दिसम्बर, १९५३ को बिजली की उत्पत्ति ७६,७३१ किलोवाट थी और जब हमारे माननीय मित्र माननीय वित्त मंत्री द्वारा बतलायी हुयी सन् १९५३ की स्टेट ओंड कैपेसिटी है उसका दोनों का मिलान करें तो उनको मालूम होगा कि वास्तव में बिजली की उत्पत्ति ३१ दिसम्बर, १९५३ को २ लाख ३२ हजार और कुछ सौ किलोवाट के करीब थी और तब उनको पता चलेगा कि सन् १९४६ और १९५३ के बीच में ४५,६१५ किलोवाट की अधिक उत्पत्ति केवल स्टेट बोर्ड के बिजली के कारखानों द्वारा हुयी। सन् १९४७ में श्रीमान् १,०९,९५९ किलोवाट बिजली उत्तर प्रदेश स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा पैदा होती थी और वही संख्या सन् १९५३ के दिसम्बर में १,५५,५९६ हो गयी थी। इस हिसाब से सन् १९४७ और १९५३ के बीच में ४५,६१५ की अधिक उत्पत्ति स्टेट ओन्ड ऐन्टरप्राइजेज के द्वारा हुयी। और इसी अवधि में, इसी बीच में लाइसेंसीज के द्वारा श्रीमन्, २६,९१० की अधिक बिजली की उत्पत्ति हुयी।

मैंने यह आंकड़े अपने माननीय मित्र की सेवा में इसलिये उपस्थित कर दिये कि जिस बात पर सरकार की आलोचना की, वह कुछ और न करते वह जो रिपोर्ट उन्हें दी गयी थी उसी को देखते तो एक चीज़ तोप्रशंसा की जरूर होगी कि आज ४,५ साल के भीतर लाइसेंसीज के द्वारा २६,००,९१० किलोवाट की अधिक बिजली की उत्पत्ति क्या प्रशंसा की चीज है या नहीं और आपने कुछ ऐसा भी कहा कि कुछ पता नहीं चलता। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि छपी हुयी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि इस अवधि के बीच में कितनी अधिक बिजली पैदा होने लगी। शायद ६ ठें या ७ वें पन्नें पर होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--कहां पर है जरा बता दीजिये।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--श्रीमन्, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट छपी हुई है और सन् १९५४ की है। उसको पढ़ लेने की चेष्टा करें। यदि यहां अवकाश न हो तो मेरे पास आ जाय मैं बता दूं। तो श्रीमान् मुझको निवेदन करना है कि इस प्रकार से आंकड़ों का तोड़ मरोड़ कर देने से कोई लाभ नहीं होता जहां तक कि उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन का सम्बन्ध है कई चीजें ऐसी हैं जिनमें कि जहां तक मैं समझता हूं यह कहना कि सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया बहुत काफी गलत बयानी करने की चेष्टा होगी। एक खास बात कंट्रोल के बारे में बात करने से पहले मैं निवेदन कर दें कि हमारे मित्र ने हाइडल ग्रिड के बारे में और हाईडल ग्रुप की उत्पत्ति के बारे में यह आलोचना की कि कुछ पता नहीं चलता कि क्या पैदा होगा।

जहां तक हरदुआगंज पावर हाउस है वह मार्च, १९५४ और उसके बाद ऐसी आशा थी जुलाई, १९५४ में २० हजार किलोवाट बिजली की उत्पत्ति करना प्रारम्भ कर देगा और शायद कर भी दिया। दूसरी चीज हमारे मित्र को जानकारी होगी पथरी पावर हाउस के बारे में। पथरी की उत्पत्ति मार्च, १९५५ में २०,४०० किलोवाट होने वाली है और शायद उनको यह भी मालूम होगा कि सन् १९५५ के मार्च के महीने में खटीमा में ४१,००० हजार किलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी और यह भी शायद सदन को मालूम है और सदन को न मालूम हो तो बहुत से हमारे सदस्यों को जरूर मालूम होगा कि जैसी कि सरकार की योजना है और जिस योजना के अनुसार स्टेट आन्ड एलेक्ट्रिक पावर हाउससेज काम कर रहे हैं उसके अनुसार सन् ५६ में २,६८,९५९ किलोवाट के करीब बिजली पैदा करने लगेंगे। अगर हम इतनी बिजली पैदा करने लगेंगे तो यह कहना कि बिजली की उत्पत्ति प्रगति बहुत कम है इसके बारे में तो एक ही बात कही जा सकती है और वह यह कि क्या बिजली की उत्पत्ति है क्या नहीं है इसका अनुमान लगाने के लिये और प्रदेशों की बिजली की उत्पत्ति के भी आंकड़ों का जरा मिलान कर लिया जाय और तब ऐसा प्रतीत होगा कि जिस प्रकार और बहुत सी दिशाओं में उत्तर प्रदेश आज और प्रदेशों के मुकाबिले में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार बिजली के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है और उस प्रगति को देखते हुए यह कहना कि हमारे प्रदेश की बिजली की जरूरत कैसे पूरी होगी उसके बारे में जिसने रेहेंड डैम की योजना का अध्ययन किया होगा अगर उस योजना के अनुसार काम चला और हमारे मित्रों ने अपोजीशन न किया और सहयोग दिया तो बहुत ही जल्द वह समय आने वाला है कि उत्तर प्रदेश के लिये इतनी अधिक बिजली पैदा होगी कि उसको खपाने के लिये एक समस्या उत्पन्न हो जायगी। रेहेंड डैम इतनी अधिक बिजली पैदा करने वाला है, इतने बड़े दायरे में चक्कर लगाने वाला है कि उसकी वजह से जो वास्तव में अपने काम का विस्तार कर सकते थे वे रेहेंड डैम के भय के कारण अपने प्लान्ट्स का उतना विस्तार नहीं करते हैं।

इसकी एक और मिसाल मैं देता हूं, चूंकि हमारे माननीय मित्र ने प्राइवेट एंटरप्राइज का जिक्र किया था, मैं गाजीपुर की एक मिसाल देता हूं। गाजीपुर के पावर हाउस के सामने एक बड़ी समस्या यह होती है कि यदि वह अपनी बिजली का विस्तार करे तो रेहेंड डैम की

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बहुत सस्ती बिजली जब आ जायगी तो उनकी बिजली क्या होगी। जहां तक विस्तार की बात है बहुत सी चीजें हमारी गवर्नमेंट के सामने हैं। उदाहरण के लिये बिजली की दर की बात कही गयी। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं कि बिजली की दरों के विषय में जानकारी होनी चाहिये। रेटिंग कमेटी जो बैठी उसके सामने १४ जिलों की समस्या थी। वह कमेटी ने नानपारा, अल्मोड़ा और पीलीभीत के बारे में अपनी जांच पूरी नहीं कर पायी। ग्यारह जिलों के बारे में जांच हो गयी और वह पूरी हो गयी। सदन के सम्मुख उसकी रिपोर्ट या उसकी जांच का परिणाम क्या है ये सब चीजें बजट के मौके पर आ सकती हैं। लेकिन इस जांच के बारे में बहुत सी परेशानियां हुयी और अगर उसकी जांच के सम्बन्ध में माननीय मित्र थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की चेष्टा करें तो उनको मालूम होगा कि क्या दिक्कतें हुयीं। जहां तक दरों की शिकायत का सम्बन्ध है सबसे बड़ी शिकायत अगर किसी ने की और लिखित भेजने की किसी ने परेशानी उठायी तो आजमगढ़ जिले ने। वह इस बारे में थी कि आजमगढ़ जिले में लड़ाई के जमाने जो वार का सरचार्ज गया था वह वापस कर दिया जाय और वह वापस किया हुआ सरचार्ज उनके पास शायद वापस भी होने वाला है। तो एक तरफ तो यह चीज है और दूसरी तरफ यह चीज थी कि कंट्रोल के बारे में यह कह देना कि हर साल सरकार सोचती है, मैं नहीं जानता कि क्या सोचती है, मेरे माननीय मित्र अधिक जानते होंगे, मैं तो यह जानता हूं कि बिजली का वर्तमान कंट्रोल ३० सितम्बर, १९५४ को खत्म होने वाला है। डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के समाप्त होने के बाद अधिकारियों को इसकी जरूरत महसूस हुयी और वह इसलिये कि उत्तर प्रदेश के सन् १९१० के कानून में सन् ३७ में संशोधन किया गया था और जो संशोधन किया गया था सन् ४२ में वार के जमाने में उसको खत्म करके डिफेंस आफ इंडिया रूल्स काम में लाया गया और डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीयकरण किया और जो ५० किलोवाट बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन का काम अपने हाथ में ले रखा था उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे अपने हाथ में ले लिया और इससे लोगों को सरकार ने बहुत सुविधाएं भी दीं। हमारे मित्र का जो यह कहना है कि लोगों को डोमेस्टिक परपजेज के लिये बिजली मिलने में कठिनाइयां होती हैं तो जहां तक हाईडिल ग्रिड का सवाल है वहां तो कुछ दिक्कतें हैं और जितनी कि बिजली की मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। जब पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि ०.१५ बिजली पंखे और रोशनी के लिये दी जाती है तो इससे पता चलता है कि डोमेस्टिक परपजेज के लिये जरूर बिजली दी जाती होगी।

आजकल जो वर्तमान कंट्रोर की परिस्थिति है उसके अनुसार उसके तीन टुकड़े इस प्रकार से किये जा सकते हैं। एक तो यह कि हमारे उत्तर प्रदेश में १३ ऐसे नगर हैं जिनमें किसी प्रकार कतई कंट्रोल बिजली पर नहीं है और हमारे प्रदेश में ६ नगर ऐसे हैं जहां पर बिजली का पार्शियल कंट्रोल है यानी बिजली का इस रूप में कंट्रोल है कि सिर्फ पावर पर ही कंट्रोल है और डोमेस्टिक परपजेज के लिये कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा हिस्सा वह है कि हमारे यहां १९ नगर ऐसे हैं जहां पर बिजली पर यही कंट्रोल है कि कंज्यूमर्स को बिजली प्रायोरिटी के हिसाब से दी जाती है। अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाय तो मालूम होता है कि हमारे यहां किस तरह से बिजली का वितरण होता है। जो कुछ इसमें बातें हैं वह मालूम हो सकती है और जनरेलाइज कर देने से फैसला नहीं होता है।

एक बात और है और वह यह है कि यहां पर यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बहुत काफी अधिकार दे दिये गये हैं। वहां पर पार्शियल कंट्रोल का सवाल है तो वहां पर कोई विशेष अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं हैं। लेकिन हां जहां पर प्रायरिटी से बिजली दी जाती है वहां पर जरूर उनको कुछ अधिकार दिये गये हैं। डोमेस्टिक परपजेज के लिये जैसे जैसे अर्जियां आती हैं उनको उसी हिसाब से बिजली देते चले आते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि बीमारी है, अस्पताल है और शिक्षण तथा सार्वजनिक हित की संस्थाएं हैं

उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गयी है जिनके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अधिकार से स्वीकृति दे सकता है।

तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह यह है कि जैसे हमारी आइस कैंडी फैक्टरीज के लिये सिनेमाज के लिये और टाकीज के लिये नियंत्रण है। डोमेस्टिक परपजेज के लिये भी यही नियंत्रण है जो मैंने बतलाया है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे मित्र को आया इन आइस कैंडी फैक्टरीज वगैरह के बारे में शिकायत है या फिर न जाने किस बारे में शिकायत है।

यह कह देने से ही काम नहीं चल सकता है कि बहुत से पावर हाउस हमारे यहां ऐसे हैं जिनसे बिजली का विस्तार बढ़ सकत था, यदि उन पर उचित ध्यान दिया जाता और कंज्यूमर्स के इंट्रेस्ट को ध्यान में रख कर अवश्य ऐसा करना चाहिये था कि जिससे बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ जाय। यह कह देना तो बहुत आसान है। हमारे यहां ऐसे पावर हाउस हैं जो इस बात की चेष्टा करते हैं और चाहते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़े लेकिन उनकी बहुत सी कठिनाइयां हैं जैसे उनको कंवर्टर मशीन को बदलने के लिये बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और उनका आसानी से काम नहीं हो पाता है। महीनों वह लटके रहते हैं कि मशीन कब बाहर से आये तब इंतजाम हो। इसी तरह से ट्रांसफार्मस के लिये दिक्कतें होती हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में थर्मल बिजली और हाइडिल बिजली ही नहीं हैं बल्कि डीजल बिजली भी है। इस डीजल बिजली से हमारे यहां के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। अगर हमारे मित्र यह कहते कि इस तरफ काफी काम किया गया और काफी मात्रा में बिजली बढ़ी लेकिन जितनी जरूरत थी उतनी नहीं बढ़ सकी तब तो मैं कहता कि हमारे मित्र ने इसकी गहराई में जाने का प्रयत्न किया है। लेकिन यह कह देना कि इधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तानाशाह बना दिया गया है और लोग डोमेस्टिक परपजेज के लिये इधर उधर घूमते फिरते हैं और उनको बिजली नहीं मिलती है और इंडस्ट्रीज के लिये बिजली दे दी जाती है। यह ऐसी आम शिकायत हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं। बिजली के उत्पादन की संख्या भी आपके सामने है और यह भी आपको मालूम है कि कितने ऐसे नगर हैं जहां पर कंट्रोल है। मैं पुनः कहे देता हूं कि हमारे प्रदेश में १३ ऐसे जिले हैं जहां कोई कंट्रोल नहीं है, ६ जिले ऐसे हैं जहां पर पार्शियल यानी पावर कर कंट्रोल है और १९ जिले ऐसे हैं जहां पर प्रायोरिटी से बिजली का वितरण होता है। जहां तक हाईडिल ग्रिड का सम्बन्ध है वहां पर इसकी समस्या विकट है। जितना उत्पादन बढ़ता जाता है उसके साथ ही साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। इन्डस्ट्रीज का एक्सपेंशन कहें चाहे कुछ भी कहें, चाहे जैसी भी उत्तर प्रदेश की हालत समझे लेकिन यह तो एक आम बात है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन प्रदेश का हुआ और अगर कोई इस चीज को नहीं मानता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि महज तमाशे के लिये केन्द्रीय सरकार के पास नये नये कल-कारखाने खोलने की अर्जियां नहीं जाती हैं और कंट्रोल के हिसाब से उनका एलाटमेंट करने के लिए जो अर्जियां जाती हैं वह मजाक के लिए नहीं जाती हैं और केन्द्रीय सरकार भी उन पर विचार करती है। तो उसके आंकड़े तो हमारे सामने स्पष्ट है और कोई उनसे इन्कार नहीं कर सकता।

हमारे मित्र ने अच्छा ही किया कि विद्युत कर का जिक्र नहीं किया और मैं भी नहीं चाहता कि उसके बारे में कुछ निवेदन करूं। एक बात का अवश्य जिक्र करूंगा कि अक्सर सदन में हमारे मित्र कहते हैं कि आंकड़े तो मैंने बहुत ही गलत और झूठ पेश कर दिये और पता नहीं कि वह कहां तक ठीक है। यह कहने का एक फैशन हो गया है और यह एक बहुत अच्छा तरीका है गम्भीर बात को हंस कर टाल देने का। यहां के सम्बन्ध में आंकड़े पेश किये गये। वह यह बताते कि यह कर किस आदमी के ऊपर कितना जाता है और इसका

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

भार किसके ऊपर कितना पड़ता है, छोटे पर ज्यादा पड़ता है या बड़े पर और उसके लिये आंकड़े पेश करते तो हम भी मान जाते। अगर वह आंकड़ों को आंकड़ों से काट देते तो मैं समझता कि मुझे उनसे सीखने और समझने की बहुत काफी जरूरत है, लेकिन उसका तो प्रश्न नहीं उठता। तो जैसा उन्होंने कहा, मैं विद्युत कर की समस्या को उठाना नहीं चाहता, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक इतना निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्नों पर इस तरह से आसानी से कोई मत प्रकट करना अनुचित और अवांछनीय होगा। तो जरा फिगर्स को देखिए दूसरे प्रदेशो को देखिये और मुकाबला कीजिए कि इतनी प्लान्ट और मशीनरी की दिक्कत होते हुए सिवाय नानपारा के और स्टेट इंडस्ट्री किस प्रकार चल रही है। लायसेंसीज बराबर उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। रेटिंग कमेटीज सब जगह काम कर रही हैं। दो तीन जिलों को छोड़ कर सबकी समस्याएं हल हो चुकी हैं और होने वाली हैं।

इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इतना तो प्रदेश के विषय में हमें गौरव होना चाहिये कि अपनी सास्याओं को सुलझाने के लिये हम कोशिश कर रहे हैं और वह वास्तव में सराहनीय है और अगर रेहेंड डैम सफल हो गया, पथरी हरदुआगंज और खटीमा योजना हमने सफल कर दी तो यही उत्तर प्रदेश है और हमारा कृषि विभाग है जबकि पैसे, पैसे और डेढ़-डेढ़ पैसे बिजली चारों तरफ मारी मारी फिरेगी। उसका हमें लाभ उठाना होगा और हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने विरोध को वापस ले लें।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सबको प्रान्त का विकास करना है। मैं समझता हूं कि विकास का मतलब यह है कि मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकतायें हैं, फंडामेन्टल नैसेसिटीज आफ़ लाइफ़ हैं, वह सुगमता से सबको मिल सकें। बड़ी परेशानी बढ़ जाती है जब इस सदन में हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी बोल उठते हैं। वह आंकड़ों का ऐसा जाल पिछा देते हैं कि उसी आंकड़े के जाल में खुद फंसते चले जाते हैं। श्रीमान्, मैं मोटी मोटी बातें इस विषय में कहना चाहता हूं, ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हर समय "मैं नारायण दत्त जी की बात को बहुत ध्यान से सुनता हूं" जब जब परिपूर्णानन्द जी बोले एक इस वाक्य को वह बराबर कहते रहे हैं। जिस सम्मानित सदस्य की बात को ध्यान से सुनने की बात वह कहते हैं तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा आगे के लिये कि महज़ ध्यान से सुनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। ध्यान से सुनना और ध्यान से सुन करके कहते समय भी ध्यान रखना कि क्या कहते हैं तब तो ध्यान से सुनने का महत्व होगा, वरना वह बात निर्थक हो जाया करती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में खेती का विकास करना है। इसके लिये नहरें भी खोल रहे हैं, ट्यूबवेल भी लगवा रहे हैं और एक बिजली से चलाने की स्कीम है सरकार की। मैं अपने यहां बनारस की कांस्टीट्यूएंसी के बारे में जानता हूं अधिकार-पूर्ण तरीके से कि वहां ट्यूबवेल बिजली के कितने चल रहे हैं औरआज किसानों के अन्दर एक ग़लत धारणा बन गयी है कि ट्यूबवेल से तुमको पानी मिलने लगेगा। श्रीमन्, आप जानते हैं कि ओले से क्षेत्र पीड़ित हो गया था। तमाम फसल मारी गयी थी। वहां कहा गया कि अब तो पानी मिल जायगा, ट्यूबवेल लग गये। बार बार मैंने कहा कि ट्यूबवेल लग जाने मात्र से ही किसान का कल्याण नहीं होगा। सरकार यहां एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दे कि दो हजार की तादाद में ट्यूबवेल लग गये इससे काम चलने वाला नहीं है। जब वह चलें, उससे किसान को सस्ता पानी मिले, उनको सुगमता हो तब तो किसान अपने अन्न के उत्पादन को बढ़ा पायेगा या महज़ ट्यूबवेल लग जाने से हो जायगा। माननीय परिपूर्णानन्द जी माननीय वित्त मंत्री को साथ में ले कर जरा उन गांवों में जायं और देखें कि बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कितनी खपत होने की आवश्यकता है कितनी पैदा हो रही है, उसका वितरण किस तरह से हो रहा है। ४५ हजार किलोवाट बिजली सरकार की तरफ से बढ़ गयी और २६ हजार किलोवाट लाइसेंसीज़ की ओर से बढ़ गयी। छः करोड़ की आबादी प्रान्त की है और किस द्रुत गति से आबादी बढ़ती जा रही है। कितने अन्न की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में हम विकास करें तब जा कर हम अपने सूबे की नीड्स को सैटिस्फाई कर पायेंगे। यह सवाल नहीं है कि पचास हजार किलोवाट बढ़ गयी। इन सब बातों से काम चलने वाला नहीं है। मैं एक सुझाव माननीय वित्त मंत्री को देना चाहता हूं कि सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल फिर खड़ा न हो और मैं अपने सम्मानित सदन के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि सिंचाई के रेट में वृद्धि हुई। किसानों ने उसके विरोध में आन्दोलन किया। आप जानते हैं श्रीमन्, कि २७ सौ २८ आदमी जेल में हैं। और अगर फर्रुखाबाद में गिरफ्तारी हुई होती तो समाचार पत्रों ने दस हजार की फीगर दिया है, २० हजार आदमी गिरफ्तार हुये होते।

श्री उपाध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध इससे क्या है ?

श्री राजनारायण—मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं ताकि सरकार के लिये प्रतिष्ठा का सवाल फिर आगे न आ जाय। बिजली के उत्पादन की व्यवस्था बिजली के वितरण की व्यवस्था, और बिजली पर जो ड्युटी बढ़ी है इसमें शहर के रहने वालों और ग्रामीण जनता दोनों को जिनको बिजली की आवश्यकता पड़ती है एक परेशानी पैदा कर दी है। हो सकता है कि निकट भविष्य में सरकार के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न फिर न पैदा हो जाय बिजली का रेट कम करने पर विचार के समय, और उस वक्त बिजली के सवाल को लेकर सरकार को फिर मात खानी पड़े।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी, बिजली के रेट में, ड्यूटी में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होनी चाहिये, इसकी जानकारी के लिये अभी से बना दें क्योंकि नित्यप्रति शहर के प्रतिनिधि, देहात के प्रतिनिधि हमारे पास आते रहते हैं और वह भी एक मूवमेंट की शक्ल में आने के लिये तैयार हैं। मैं सरकार की परेशानी बचाने के लिये बराबर उत्सुक रहता हूं। मगर हमारी अजीब मुसीबत है। श्रीमन्, यहां अच्छा काम भी करो तो उसके लिये भी कोई श्रेय नहीं। जैसे मुझे बड़ा अफसोस है और दुःख भी है, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। उनके पी० ए० मौजूद हैं। उन्होंने समाचार पत्रों में अपना बयान दे दिया है कि फर्रुखाबाद में जब माननीय मुख्य मंत्री जी की कार रोकी गयी थी तो राज नारायण जी मौजूद नहीं थे। मैं इन छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं देना चाहता हूं और इस झूठ का क्या जवाब दूं ? मैं वहीं खड़ा था जहां माननीय मुख्य मंत्री जी की कार रुकी थी और माननीय मुख्य मंत्री चारों तरफ से घेर लिये गये थे। मालूम पड़ता है कि पांडेय जी या तो महुआ के रंग में रंगे रहते हैं और या जनता जनार्दन की विशाल शक्ति को देख कर उनकी आंखें झंप गयी हों। तो अपने प्रान्त का वातावरण शान्त रहे इसलिये मैं निहायत अदब के साथ बहुत ही विनम्रता के साथ माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि तत्काल माननीय मुख्य मंत्री से मिल लें और एक इसी सदन की कमेटी बना दें क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिजली का रेट जिस प्रकार बढ़ा है उसको पसन्द नहीं करते, कुछ लोग व्यक्तिगत तरीके से हमसे कहते भी हैं। तो इन्हीं बातों को रखने के लिये मैं खड़ा हो गया, न चाहते हुये भी मुझे बोलने की जरूरत पड़ गयी कि माननीय वित्त मंत्री जी माननीय परिपूर्णानन्द जी के आंकड़े से ही संतोष न कर लें। जो ४५ हजार किलोवाट बिजली बढ़ी है वह हमारे लिये काफी नहीं है। वह बहुत ही नगण्य है अपने प्रान्त के लिये। अपने प्रान्त के लिये जो जरूरी चीजें हैं उनको देखें और सही माने में उन चीजों को अगर देखेंगे माननीय वित्त मंत्री जी तो वह हमारे साथ आयेंगे और हमारे साथ अपनी आवाज मिला कर के तो जरूर इस बात को कहेंगे कि

[श्री राजनारायण]

हां आज जो बिजली की व्यवस्था है, उत्पादन की, वितरण की, विनियमन की, वह सब दोषपूर्ण है। सारा ढांचा ही सड़ा हुआ है। उसकी जगह एक नवनिर्मित ढांचे की आवश्यकता है जिसमें जनता हो, प्रोड्यूसर हो चाहे वह प्रोड्यूसर सरकार ही, चाहे माननीय परिपूर्णानन्द जी की बात को ही थोड़ी देर के लिये मान लें, कोई लाइसेंसी हो, बीच का आदमी हो, मगर प्रोड्यूसर भी हो, कंज्यूमर भी हो और जो उसकी टेक्निक को समझने वाला हो, वह भी हो। फिर अन्तिम चेतावनी दे कर मैं बैठ जाता हूं इतना ही कह कर कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारी इस कामना को हमारी इस प्रार्थना को माननीय मुख्य मंत्री के पास पहुंचा दें और तत्काल एक हफ्ते के अन्दर इसकी घोषणा कर देंगे तो हम भी बहुत मुसीबत से बच जायेंगे क्योंकि हम बता देना चाहते हैं कि आग लगने वाली है। शहरों में बड़ा जबर्दस्त आन्दोलन होने वाला है और इसी बिजली को ले कर के होने वाला है। इसी लखनऊ में आप ने देखा कि दो दो दिन तक बिजली का जलाना, बल्ब का जलाना लोगों ने बन्द कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अन्धेरे में रहेंगे मगर बिजली नहीं जलायेंगे। इसी तरह से उन्होंने अपने विरोध का प्रदर्शन किया लखनऊ में, इलाहाबाद में और बनारस में। तो इन्हीं बातों को फिर दुहराते हुये कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति न आये कि सरकार को भी परेशानी हो और एक जनता के पक्ष को सचेत हो कर के, सजग हो कर के परेशान होना पड़े, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को भी परेशानी हो और जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको भी परेशानी हो। सरकार को न तो जेल के दरवाजे खोलने पड़े और फिर बन्द करने पड़े। न स्पेशल पावर ऐक्ट लागू हो और न स्पेशल पावर ऐक्ट सजीव मुर्दा बना दिया जाय।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय राज नारायण जी को चाहे जितनी भी आपत्ति हो, या चिढ़ हो, परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस ध्यान से माननीय परिपूर्णानन्द जी ने माननीय नारायणदत्त जी को सुना था, उससे कहीं अधिक ध्यान से मैं उनको सुनता रहा और साथ ही साथ समझने की भी कोशिश करता रहा। श्रीमन्, जहां तक वित्त मंत्री जी का प्रश्न है, इस सूबे में जिस क़दर उन्नति बिजली की उत्पत्ति में हुई है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और आंकड़ों में भी मुझे कोई आशंका नहीं है। जहां तक माननीय परिपूर्णानन्द जी का यह कहना है कि रिहैंड डेम की वजह से वह आज इस प्रदेश में जितनी बिजली की न्यूनता है, उसको पूरा करने में वह समर्थ होंगे, मैं समझता हूं यह उनकी भूल है। यदि कानपुर से कुछ आगे चल करके वह देखते तो उन्हें इसका पता चल जाता। फैजाबाद में आकर अगर उन ट्यूबवेल्स की दशा देखते तो मैं आप से क्या बताऊं, बिजली की यह हालत है कि जापानी मैथड से कल्टीवेशन हो गया मगर बिजली की खराबी की वजह से आज तक पानी नहीं मिल पाया। और ट्रान्सप्लांटेशन के लिये जो बीज रक्खे गये थे वे मवेशियों को खिला दिये गये और माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो इसकी जांच करा कर पता लगा सकते हैं।

श्रीमन्, प्राइवेट प्रापर्टी पर कुछ आपत्ति नारायणदत्त जी ने और उस तरफ के माननीय सदस्यों ने की। मैं किसी की नेकनियती और बदनियती पर हमला करना नहीं चाहता लेकिन जिस शानदार तरीके से प्राइवेट प्रापर्टी का अपहरण किया जाता है, वह प्रदेश के निवासियों को मालूम है और अगर माननीय नारायणदत्त जी उससे अवगत हों तो विशेष अनुकम्पा होगी। इन सब बातों को देखते हुये डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स को समाप्त किया गया और उसके बाद सन् ४७ में यह अधिनियम बना। इसकी समाप्ति सन् ५० में थी परन्तु उसके उपरान्त भी एक्सटेंशन लिया गया और विश्वास दिलाया गया कि संभवतः सन् ५२ के पश्चात् इसके एक्सटेंशन की आवश्यकता न रहे। मुझे इस अधिनियम के एक्सटेंशन में कोई आपत्ति नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से इतना अवश्य अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वह सप्लाई और डिमांड के प्रश्न पर ही इसका निर्धारण करते रहेंगे तो वह परिस्थिति बहुत दिनों तक नहीं आ सकेगी। डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स की समाप्ति के पश्चात् सन् ४७ से अब तक फ्यूल, कोल, केरोसिन आयल वगैरह में जो कठिनाइयां थीं वे दूर हो चुकी हैं। अगर सरकार प्राइवेट एंटरप्राइजेज को यह विश्वास दिलाये कि उनकी प्राइवेट सेंकटिटी को किसी तरह नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जायगा तो मैं समझता हूं कि बिजली का उत्पादन और भी अधिक हो सकता है।

माननीय राज नारायण जी ने जो चेतावनी दी कि कहीं आग न लग जाय वह उचित है क्योंकि न पिटने की लज्जा इधर है और न उधर है क्योंकि दोनों ही जनता की सेवा करते हैं और इसमें अगर कोई पिटता है तो कोई आपत्ति न होनी चाहिये लेकिन साथ ही साथ नियत दुरुस्त होनी चाहिये। लेकिन कठिनाइयों को देखते हुये ऐसे लेजिस्लेशन एमरजेंसी में बनाये जाते हैं लेकिन वह एमरजेंसी इस समय नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी को सदैव के लिये इसकी आवश्यकता महसूस होती हो तो फिर इस अधिनियम को एक पर्मानेण्ट फीचर दे दिया जाय और हर दूसरे तीसरे साल इस सदन का समय ऐसे विषयों पर नष्ट न किया जाय।

माननीय परिपूर्णानन्द जी के आंकड़ों का जहां तक संबंध है उनकी तकरीरें बड़ी शानदार होती हैं, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह हो सकता है कि हम उनसे सहमत न हों। आंकड़ों में फंसना फंसाना किसी माननीय सदस्य के लिये यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि हर माननीय सदस्य के पास समझने के लिये बौद्धिक शक्ति होनी चाहिये लेकिन कहीं वह ग़लत आंकड़ों में न फंस जायं। परन्तु श्रीमन्, जो तरक्की हुई है वह नगण्य है और उनमें मैं कोई ऐसी विशेष बात नहीं पाता जिनके लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी को विशेष गौरव हो। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने दौरान तक़रीर में फरमाया कि केवल एक ही इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि तीन असिस्टेंट्स भी हैं। हो सकता है कि माननीय नारायण दत्त जी ने इस पर ध्यान न दिया हो, भाषण देते समय इसको भूल गये हों और इस कोई प्रकाश न डाल सके हों लेकिन अगर तीन भी हैं तो मैं आपके द्वारा माननीय परिपूर्णानन्द जी से यह कहूंगा कि तब भी अंडर स्टाफ है। चाहे वह कितने भी जिले हों उनमें भी जरूरत हो सकती है। आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि शिकायतें हैं तो वहां पर भी स्टाफ रखने की आवश्यकता है। श्रीमन्, यदि यह विधेयक आज इसकी अवधि बढ़ाने के लिये इसमें २ वर्ष का प्रश्न होता है तो सम्भवतः मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा न होता किन्तु इसमें तो बहुत बड़ा प्रश्न है। पाँच साला स्कीम में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये बिजली की आवश्यकता होगी और वह देनी है और खेती के लिये भी बिजली की आवश्यकता होगी। उसको आप भूल नहीं सकते हैं और उसमें भी उन्नति करना है क्योंकि हमें अपने यहां का डोमेस्टिक स्तर भी ऊंचा करना है और उसको ऊंचे उठाना परम आवश्यक है। इस विषय को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति फिर दो साल के बाद आयेगी जो कि आज हमारे सामने है। इन शब्दों के साथ इस बिल का विरोध करता हूं और श्री परिपूर्णानन्द जी से कहूंगा कि वह आंकड़े देने में घबरायें नहीं चाहे श्री राज नारायण जी कितनी ही आपत्ति उठाते रहें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में बहुत शान्ति पूर्वक बैठे हुये श्री नारायणदत्त तिवारी जी को सुना, तथा श्री राजनारायण जी को सुना। आवश्यकता इस बात की है कि बिजली के ऊपर नियन्त्रण रहे और मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री नारायणदत्त जी ने भी इसका समर्थन किया है और उन्होंने भी इसको तस्दीक किया है कि जरूरत के समय में सरकार को कंट्रोल रखना चाहिये। श्री नारायणदत्त जी ने यहां तक कहा कि सरकार को हमेशा के लिये ही कंट्रोल इसके ऊपर रखना चाहिये क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

[श्री शिवनारायण]

उनका भी विचार है कि रहना चाहिये। उन्होंने इसका विरोध किया पर वह मेरी समझ में नहीं आया कि वह किस बात का विरोध कर रहे थे। उन्होंने जब कहा कि रहना चाहिये और सदैव के लिये रहना चाहिये तो फिर विरोध का कारण समझ में नहीं आया। हमारी सरकार बिजली पैदा करने की कोशिश कर रही है और घर-घर बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रानीखेत में भी बिजली पहुंचाने की कोशिश कर रही है जहां पर उपाध्याय जी को भी बिजली मिल सके। सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि बटन दबाया और बिजली घर-घर पहुंच गयी। वह तो राजनारायण जी के पास है कि बटन दबाया और प्रकाश हो गया। हमारी सरकार के पास नहीं है।

डिकंट्रोल का जिक्र किया गया और वहां की शिकायत की गयी कि वहां पर बटवारे के बारे में बड़ी गड़बड़ी है और वहां पर जो प्रबन्ध है वह फेल है और सरकार को चाहिये कि उसको अपने हाथ में ले ले और वहां पर भी कंट्रोल रखे। तो सरकार से मैं भी कहूंगा कि वहां पर कंट्रोल कर दें और अपने हाथ में वहां का इन्तजाम ले लें। लेकिन सरकार धीरे-धीरे इन्तजाम अपने हाथ में ले रही है। एक भाई ने कहा कि हमारे पास २००, ४०० आदमी रोजाना आते हैं और उनके पास बड़ी भीड़ रहती है तो उनको चाहिये कि वह एक अपना हुकुम सरकुलेट कर दें कि उनके पास वह न आयें और अगर आये तो फिर १० हजार आयें। आज जो प्रबन्ध सरकार बिजली का चला रही है वह ठीक प्रकार से सरकार चला रही है। गवर्नमेंट को जरूरत है कि बिजली पर कंट्रोल रखे।

दूसरी बात रेट की कही गयी। हम भी चाहते हैं कि यूनिवर्सल रेट हो, एक रेट हो। जिन कम्पनीज को ठेका दिया गया है उनमें से कोई आठ आने ले रहा है कोई १० आने और मेरे भाई कहते हैं कि कोई १४ आने तक ले रहा है। तो सरकार को उस पर चेक रखना चाहिये। आज आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा है। अगर ऐसा न किया जाय तो कल आप कहेंगे कि पूंजीपति और भी ज्यादा लूट मचा रहे हैं। वे लोग देश के या किसी के सगे नहीं हैं। अगर वे ऐसे होते हैं तो ९ आने और १४ आने नहीं लेते। वे भामाशाह नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार का कौन सा अन्याय उनकी समझ में आया है। पंडित नेहरू ने भी कल अपील किया है कि माल अच्छा बनाओ ताकि हमारा व्यापार चौपट न हो। तो अगर कल को बिजली कंट्रोल हट जायगा तो नहीं मालूम पूंजीपति लोग क्या करेंगे। यह कहिये कि सरकार क नियंत्रण ही है जिसके कारण आज बस्ती में भी बिजली हो गई है। हमारी सरकार से अपील है। डुमरियागंज, बांसी और हरैया की सड़कों पर बिजली पहुंचा दे। हम लोग गांवों से आते हैं। शहरों को हमने सब कुछ दिया और शहर वाले ही उल्टा हमको गालियां देते हैं। गांव वालों को हमने चना खिलाया। लेकिन उसका उलटा नतीजा हो रहा है। हमारे यहां सहरिया एक जगह है। वहां राज नारायण जी और रामनारायण त्रिपाठी जी पहुंचते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वहां गांव वालों की तकलीफों को देखें। शहर वाले उनके साथी नहीं हैं। मैं उनसे कहता हूं कि गो टू दी मासेज। उनके दुःख-सुख में शरीक होना चाहिये। वहां बिजली पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये। सरकार से कहिये कि नियंत्रण रखे। यह नहीं कि सिर्फ गाल बजाने से ही काम चल जायगा। हम अवधेश प्रताप जी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने मंजूर किया कि सरकार कुछ कर रही है। फैजाबाद हमारे पड़ोस में है और हम चाहते हैं कि उसे भी बिजली दी जाय। हमारी सरकार सब जगहों का इन्तजाम कर रही है। वह कछुवे की चाल चल रही है। खरगोश की नहीं चल रही है कि रास्ते में देर हो जाय।

दूसरी बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बस्ती में पिछली आंधी में हमारे बिजली के तमाम खम्भे गिर गये हैं और सरकार उनको जल्दी से ठीक करवाये। हमारे पड़ोस में अंधेरा रहता है और म्युनिसिपैलिटी में रोशनी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट से हम अपील करेंगे

कि बस्ती की म्युनिसिपैलिटी की तरफ़ भी नजर रखे। प्रतापगढ़ भी हमारे पड़ोस में है। हम लोग सरकार की मशीनरी को ठीक तरह से ले चलना चाहते हैं और बिजली को घर-घर पहुंचाना चाहते हैं। सरकार इस बारे में जो कुछ कर रही है वह ठीक कर रही है इसलिये मैं उसके इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने साथियों को आश्वासन देता हूं कि सरकार का मिशन घर-घर प्रकाश फैलाने का है न कि अंधकार फैलाने का। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

* श्री खूब सिंह (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का, जो कि इस भवन के सामने प्रस्तुत है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बहुत संतोष की बात है और न सिर्फ संतोष की ही बात है बल्कि खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में थोड़े से अर्से में ही बिजली के मामले में बहुत तरक्की हो गयी है, यह एक बहुत बड़ी बात है। आज से पहले सूबे में बिजली की जितनी मांग थी वह हमें सब को मालूम है और यह भी मालूम है कि उस मांग की कमी होती जा रही है। यह इस बात की सूचक है कि बिजली काफी तादाद में पैदा हो रही है। आज चारों तरफ बिजली की मांग है। तिजारत वाले, इंडस्ट्री वाले, काटेज इंडस्ट्री वाले, रोशनी और पंखे वाले सब की ओर से बिजली की मांग हो रही है। ऐसी हालत में सरकार ने अपनी नीति बनायी है यानी यह कि वह प्रायरिटी उनको देगी जिसकी मांग ऐग्रीकल्चर के वास्ते होगी सिवाय उन केसेज के जिसमें तन्दुरुस्ती की वजह से रोशनी और पंखे की मांग की गयी है। हमारे प्रदेश में सरकार की जो नीति है उससे सब को संतोष है। यह बात भी भुलाने की नहीं है कि बिजली के मामले में जितनी प्रगति हो रही है उससे जितनी भी ज्यादा प्रगति होगी उतना ही अच्छा है। मैं सरकार के नोटिस में भी चीज लाना चाहता हूं कि आज कल न सिर्फ शहरों को ही बिजली की आवश्यकता प्रतीत हो रही है बल्कि गांव वालों को भी हो रही है। जिन गांव की सड़कों पर पहले रोशनी का इन्तजाम नहीं था वहां आज पंचायत राज कायम हो जाने के बाद केरोसीन की लालटेनें नजर आती हैं और आज वे इस बात की इच्छा करने लगे हैं कि उनकी सड़कों पर भी बिजली की रोशनी हो। मैं सरकार को इस बात के लिये आगाह कर देना चाहता हूं कि यह मांग शीघ्र ही जोर पकड़ लेगी और गांव वालों को भी शहर वालों की तरह बिजली देनी होगी। इसलिये जरूरत है कि बिजली के मामले में ज्यादा तेजी दिखाई जाय।

इस दौरान में मैंने जो दो तीन स्पीचेज विरोधी दल की दरफ़ से सुनीं उन्हें सुन कर सचमुच मुझे बड़ा दुःख हुआ और अगर मैं यह कह दूं कि हमारे इस हाउस के विरोधी दल के जो नेता हैं या पार्टी है उससे बड़ी रिऐक्शनरी पार्टी मैंने नहीं देखी तो यह बात अत्योक्ति नहीं होगी। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे ऐसी स्कीमों को सपोर्ट करेंगे जिससे आम जनता का लाभ होगा, कल्याण होगा। परन्तु इस हाउस में उनकी तरफ से यह बात बराबर कही गयी कि बिजली की शरह कम होनी चाहिये, आबपाशी की शरह कम होनी चाहिये, यह इस बात का सबूत है कि यह पार्टी कितनी रिऐक्शनरी पार्टी है। बिजली भी सस्ती हो और आबपाशी भी सस्ती हो, इन दोनों बातों की जड़ें और बुनियादें एक ही हैं। हमें उस बुनियादी बात पर पहुंचना होगा। और तब हम इस बात का निर्णय कर सकेंगे कि किन हालतों में बिजली और आबपाशी की शरह सस्ती हो सकती है। इस जमाने में जिसको विकास का जमाना कहते हैं इससे पहले के जमाने की तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह काल अंग्रेजों का शासन काल था। उस वक्त बिजली की दरें भी काफी कम थीं और आबकाशी की दर भी काफी कम थीं और कम होने का कारण यह था कि उस वक्त बिजली की जरूरत कम थी। बिजली की जरूरत यों कम थी कि उस वक्त मुल्क में इंडस्ट्रीज का विकास नहीं हुआ था। जब लोगों में यह सेंस पैदा हुआ कि हमें अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज का विकास करना है और इस किस्म के साधन हैं जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं जिससे हमारी इंडस्ट्रीज और दूसरे कारोबार की तरक्की होती है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूब सिंह]

तब बिजली की ज्यादा मांग हुई। यह तो मानी हुई बात है कि जब किसी चीज की डिमांड नहीं होती है तो उसका रेट भी सस्ता हुआ करता है और आज विकास के जमाने में जब कि हमने निश्चय किया है कि हर उस हिस्से में आबपाशी की कमी है वहां आबपाशी के साधन देंगे, जब हमने यह निश्चय किया है कि ऐसे मुकामात पर जहां बिजली नहीं है वहां हम बिजली और आबपाशी के लिये कुएं और नहरें फराहम करेंगे यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिये पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस पैसे को पूरा करने के लिये अगर कुछ टैक्सेशन लगाया जाय या आबपाशी की दरें बेशी करनी पड़े या बिजली की दरें कुछ बढ़ा कर पैसा वसूल किया जाय और उन आमदनी को उन मुकामात पर लगाया जाय जहां लोगों को पानी व बिजली नहीं मिलती है तो मैं समझता हूं कि इससे विकास का काम भी बढ़ेगा और लोगों को पानी व बिजली की सहूलियत भी मिल जायगी। यह सही है कि आज कल जितनी बिजली या आबपाशी के साधन हैं अगर उनको उतना ही रहने दिया जाय और अब आगे बढ़ाया न जाय तो निश्चय है कि जो मौजूदा शरह है उसमें कमी हो जायगी। और मेरे ख्याल में आज जो दरें हैं उनमें ५० से ७० फीसदी तक कमी वाकई हो जायगी। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये बार-बार कहा जाय कि जमीन का बटवारा होना चाहिये। कोई भी मजमून हो, कोई भी स्पीच हो, कोई भी सवाल हो लेकिन उसमें जमीन के बटवारे की बात सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जरूर आ जाती है। इस बिजली के प्रश्न पर भी कहा जा रहा है कि आबपाशी की शरह कम होनी चाहिये, नहीं तो इससे यह आग बरसने वाली है और यह आग शहरों में भी फैलने वाली है। जिस तरह से जमीन के बटवारे के लिये उनको एक मिनिया है उसी तरह से एक विकास के जमाने में, इस तरक्की के जमाने में जब कि बिजली के कुएं और नहरें बना कर विकास को करना है उस वक्त इस तरह की बातें कहना बिल्कुल गलत है। मैं तो कहूंगा कि वे रिएक्शनरी और प्रतिक्रियावादी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिये गांव की ही एक मिसाल इनके लिये देता हूं। आप मुझे माफ करेंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर गंजे को नाखून हो जाय तो वह अपना सर खुजलाते-खुजलाते उसे लहूलुहान कर देगा। वही हालत इनकी भी है। अगर इनके हाथ में कहीं विकास का काम दे दिया जाय तो यही नहीं कि विकास के सारे कार्य को ही ये सत्यानाश कर देंगे बल्कि सारे मुल्क का ही सत्यानाश कर देंगे। एक जगह इनकी पार्टी ने मिनिस्ट्री बनायी लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के लीडरों ने शोर मचाना शुरू किया कि इस्तीफा दो, और एक पब्लिक इनक्वायरी कमेटी मुकर्रर करो। एक तरफ तो इस्तीफा देने की बाद भी कही जाती है और दूसरी तरफ इनक्वायरी कमेटी मुकर्रर करने की बात भी कही जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपने दमाग को बिल के ऊपर ही लगावें।

श्री खूब सिंह--जी हां, मैं उसी पर आ रहा हूं और मैं अब खत्म भी कर रहा हूं। मैंने कहा कि बिजली के मामले में गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है वह सन्तोषजनक है और यह बड़ी खुशी की बात है। जो बिल अब हाउस के सामने है वह कुछ उत्पादन, कुछ वितरण और कुछ रेट के सिलसिले में है। मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से इस का समर्थन करूंगा और आशा करूंगा कि हाउस इस को बड़े बहुमत के साथ स्वीकार करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है उस के सम्बन्ध में में मैं मैंने भाषण सुने लेकिन इस बिजली की रोशनी में मुझे ऐसे भी भाषण सुनाई पड़े जिन की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन आप की कृपा से वह भाषण सुनायी पड़े। इसलिए मैं भी आप से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम यदि उन का उत्तर न दिया जायगा तो उस का सदन पर असर यह पड़ेगा कि हम उन की बातों को मानते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय आप हम पर भी इतनी कृपा करें। बहुत सी खूबियां बतायी गयी और बड़ी दिलचस्पी इस में बहुत से सदस्यों ने ली। जहां तक बिजली के कंट्रोल का सम्बन्ध है श्री नारायणदत्त

जी ने इस ऐक्ट को लेकर काफी विवेचना के साथ सदन के सामने विचार रखे। मैं भी थोड़ी सी बातों पर अपने विचार प्रकट करूंगा और साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि कुछ सदस्यों ने भ्रांति में पड़कर या उद्विग्न हो कर बहुत सी बातें कही हैं। उस के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

जहां तक बिजली के कंट्रोल का सम्बन्ध है, यह साधारण सी बात है कि जहां पर बिजली का कंट्रोल है वहां पर बिजली की पावर कैसे मिलती है, कैसे कनेक्शन मिलते हैं और किस तरह से बटवारा होता है यह बहुत विचार करने की बात है। यदि अकेले श्री परिपूर्णानन्द जी की ही कमेटी बनायी जा सकती है तो वह माननीय वित्त मंत्री जी बना दें और केवल वह इन्क्वायरी कर लें कि इस प्रदेश में इस मामले में कितनी धांधली होती है और जनता को कितनी परेशानी होती है और किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और मैं उन के वरडिक्ट को मानने को तैयार हूं, क्योंकि रोजमर्रा मेरे पास आकर लोग वहां की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से वह १०० रुपया फी हार्स पावर देकर इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिल जाते हैं। जो पहले से रजिस्टर्ड होते हैं वह रह जाते हैं और किस-किस तरह से बारीकियां निकाली जाती हैं और जिसके कारण से जनता की परेशानी कई गुना बढ़ गयी है। नये-नये तरीके बिजली लेने के निकाले गये हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी कनेक्शन मिल जाता है। चाहे किसी को आवश्यकता हो या न हो, मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर जनता को टेम्पोरेरी बिजली का कनेक्शन मिल जाता है और फिर वह कुछ दिनों में परमानेन्ट हो जाते हैं और जिन का नाम रजिस्टर में लिखा होता है वह सब रह जाते हैं। श्री परिपूर्णानन्द वर्मा की ही एक व्यक्ति की कमेटी बना दी जाय। तो हमें संतोष हो जाय और उनकी रिपोर्ट मानने में हमें कोई एतराज न होगा। कभी कुछ दिन पहले मैंने इसी सिलसिले में आज की सरकार को कहा था लेकिन अब हम इस सरकार को लखनऊ के पुराने दिनों के हिसाब से देखते हैं तो नवाबों के साथ उन की समता समझ में आने लगती है। जिस अनियंत्रित ढंग से बिजली का मामला जा रहा है और जिस तरह से माननीय मंत्री जी का बिजली के कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं है वह एक अजीब सी चीज है। आज ही मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मन्त्री ने यह फरमाने की कृपा की था कि हरदुआगंज में जो ४ ब्वयलर्स आये थे वे बिलकुल नये थे और उनकी मरम्मत पर कोई खर्चा नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी मुझे निमंत्रित करें और मैं अधिकारपूर्ण तरीके से कह सकता हूं कि सेकण्ड हैंड ब्वायलर्स लाये गये थे और उनकी मरम्मत की गयी तब वे लगाये जा सके। जो कनेक्टेड पेपर्स हैं वे मेरे सामने दिखलावें तो मैं उनको साबित कर दूंगा कि किस प्रकार से उनकी मरम्मत पर खर्च किया गया है। मुझे खुशी होगी जिस प्रभावशाली तरीके से उन्होंने उसका जिक्र किया है वह मुझे अवश्य दावत देंगे और वे कनेक्टेड कागजात मेरे सामने पेश किये जायेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब के जरिये से आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वे शायद कागजात को छिपा लेंगे। अगर आपको मालूम है तो मुझे बता दीजिये कि फलां फलां कागज हैं मैं उनको निकलवा लूंगा। कागजात मेरी इल्म में नहीं है उन्हीं की जानकारी में है तो वह मुझसे छिपावेंगे। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बतावें कि ये ये कागज हैं तो मैं निकलवा लूंगा और वे भी देख सकेंगे और मैं भी देख सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--इस विषय में दोनों माननीय सदस्य किसी समय भी बातें कर सकते हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--मेरे पास क्या सोर्सेज हैं जिससे मैं डिस्क्लोज कर सकूं यह तो उनका फर्ज है कि जो उन्होंने बयान किया है कि वह सत्य है तो इस हाउस में वह कागजात दिखावें। इसीलिये मैंने कहा था कि बिना कागजात देखे हुए माननीय मंत्री जी उत्तर दे देते

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हैं। जो नीचे के लोग लिख देते हैं उनपर विश्वास कर लेते हैं और अगर विश्वास न करें तो उनको कठिनाई होगी यह सही है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो ब्वायलर्स आये हैं वे पुराने हैं और उनकी मरम्मत पर काफी खर्च किया गया है। उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास कागजात हैं और यह उनका फर्ज है कि वे कागजात को दिखावें। यह तो रहा बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने एक सब्जबाग सदन के सामने रखा है कि प्रदेश के किसी कोने में कोई परेशानी नहीं है, बिजली की इतनी प्रगति होती चली जा रही है। उस सिलसिले में भूल से गाजीपुर पावर हाउस का उदाहरण उनके मुंह से निकल आया कि उसके सामने यह समस्या है कि रिहंड डैम अगर बन जायगा तो उनके पावर हाउस की प्रगति रुक जायगी। मैंने सदन में पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि हमारे यहां जितनी भी बिजली की योजनायें हैं सब ऊलजलूल ढंग से बनायी गयी हैं। अब मऊ, गोरखपुर और सोहावल (फैजाबाद) में १० हजार किलोवाट के पावर स्टेशन बन रहे हैं। अगर गाजीपुर के पावरहाउस वालों को यह चिन्ता हो रही है कि रिहण्ड डैम से क्या होगा तो इतने बड़े-बड़े इंस्टालेशंस शुरू कर दिये गये हैं उनके लिये भी हमें सोचना होगा। यमुना प्रोजेक्ट जो है, जो हमारे प्राविंस का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, उसके लिये जो मकान निर्माण किये गये हैं उनमें टी० बी० के पेशेंट्स रखे जाते हैं। शारदा की स्कीम को देखें। किस तरह से वहां अपव्यय हो रहा है। ढ़ाई करोड़ की स्कीम साढ़े सात करोड़ हुआ और उसके बाद साढ़े ग्यारह करोड़ हुआ और अब १५ करोड़ है अगर आप इसको पूरा कर देंगे तो मैं मुबारकबाद दूंगा। तो इसतरह से जहां तक करोड़ों रुपया जनता का बरबाद किया जाय और उसके बाद २६ हजार किलोवाट के बढ़ाए जाने का सब्ज बाग जनता के सामने रखा जाना उचित नहीं है। मैं परिपूर्णानन्द जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने पावर हाउसेज हैं उनकी इंस्टाल्ड कैपिसिटी कितनी है और कंजम्प्शन कितना है और इन्सटाल्ड कैपेसिटी के मुताबिक कन्जम्प्शन हो रहा है या नहीं। इस पर वे विशेष ध्यान दें और इस के विभाग के किस्से कहानी इस समय मैं क्या कहूं उसके लिये मैं अलग से वित्त मंत्री जी को तो लिखूंगा ही। ऐसे ऐसे करिश्मे इस विभाग के हैं जिनके लिये कहने में भी लज्जा आती है। एक आदमी के खिलाफ शिकायतें हैं, ग्रेव चार्जेज इम्बेजिलमेंट के हैं और वही आदमी इन्क्वायरी कमेटी में बैठा दिया जाता है जिसके खिलाफ शिकायत होती है। इसलिये मुझे लखनऊ के नवाबों की बात याद आ जाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री की इज्जत करता हूं, वह हाफिजे कुरान हैं और पाक साफ आदमी हैं लेकिन उन पर भी लखनऊ का असर पड़ सकता है और वह यह कि उनका अपने डिपार्टमेंट पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये मैं बता देना चाहता हूं कि इस ओर माननीय वित्त मंत्री को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है।

अभी एक माननीय सदस्य ने एक नयी बात कही और वाकई हम को भी इसके बारे में खोज करनी पड़ेगी। श्री खूब सिंह जी के लिये तो यह खूबी की बात है कि वह हमारे दल को रिएक्शनरी कहें। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी शब्द रिएक्शनरी की परिभाषा ही उनको ठीक तरह से ज्ञात नहीं है और उनको इसके लिये शब्द कोष देखना जरूरी है। हम रिएक्शनरी हैं जो भूमि का बटवारा चाहते हैं, पूंजी का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं और चाहते हैं कि सब समान हों और जिस मिनिस्ट्री में १२ या १५ सदस्यों के परिवार के लिये दो बीघा जमीन भी नहीं है और दूसरी तरफ एक आदमी का दस हजार बीघे का फार्म पड़ा हुआ है, वह प्रगतिशील है, इसका निर्णय वह खुद ही कर लें। आज जनता पर टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं। बच्चों की फीस बढ़ा दी गयी है, रेल का किराया बढ़ा दिया गया है, जनता पर बरडन बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कानपुर के पूंजीपति और टाटा और बिड़ला स्वछंदता से विचर रहे हैं और जिस गवर्नमेंट ने यह घोषणा की हो कि १० साल तक वह राष्ट्रीयकरण के मसले को छूयेंगे नहीं उस तरफ तो आपका ध्यान जाता नहीं लेकिन हमको बताया जाता है कि हम रिएक्शनरी हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारे कांग्रेस दल के सदस्यों की एक खूबी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले तो माननीय मंत्री की प्रशंसा के पुल बांध देंगे और फिर बाद में यह कहेंगे कि हमारे जिले में यह कमी है। यहां यह प्रथा चल पड़ी है और दूसरे सब जिले अच्छे कहे जायं और अपने जिले में थोड़ी सी खराबी दिखा दी जाय। पिछली बार जब मिनिस्टरों के पोर्टफोलियो बदले तो उस समय हमने एक होशियारी से काम लिया। एक मिनिस्टर साहब को कहलाया कि आप इस डिपार्टमेंट के लिये नये हैं और इसलिये आशा है आप पिछली सारी इररेगुलेरिटीज को ठीक कर देंगे। एक लहर सी आ गयी और हर मिनिस्टर ने यह ही कहा कि पिछली इररेगुलैरिटीज अब नहीं चल सकतीं और इस तरह से हर एक मिनिस्टर ने एक दूसरे की निन्दा कर डाला। माननीय शिवनारायण जी ने भी पहले खूब प्रशंसा की और फिर बाद में बस्ती की शिकायत पेश कर दी। तो भाषणकर्ताओं के जिलों को छोड़ कर और सब जिलों का इंतजाम बहुत अच्छा है अगर यह माना जाय तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके क्या माने हैं और क्या हमारे प्रदेश की प्रगति है। माननीय खूब सिंह जी ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में बिजली की दर कम थी और सिंचाई के रेट भी कम थे। मैं समझता हूं कि उनको यह नहीं कहना चाहिये था। यह बात सदन के सामने एक कांग्रेस पार्टी का मेम्बर कहे और यदि प्रेस वाले यह चीज नोट कर लें और अखबारों में शाया कर दें तो यह बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। माननीय सदस्य को उपदेश देने का सवाल तो नहीं है लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह बात कांग्रेस पार्टी के लिये मुनासिब नहीं है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, रिहैन्ड डैम पर जो व्यय हो रहा है क्या वह किसी योजना के हिसाब से हो रहा है? मेरा यह दावा है कि यह योजना के हिसाब से नहीं हो रहा है। एक सवाल पूछा गया था कि क्या यह योजना उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार ने मिल कर बनायी है? वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था कि हमने बिहार सरकार से इस बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। रिहन्द डैम की योजना भी लागू की जा चुकी है यह बाद में मालूम हुआ और अगर यह शेड्यूल के मुताबिक हो जाय तो मैं वित्त मंत्री जी को हजारों बार धन्यवाद देने को तैयार हूं लेकिन जो पिछला इतिहास है उसको देखने से ऐसा ही मालूम पड़ता है कि यह होगा नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों ने यह राय दी कि यदि इसमें सीमेंट के बजाय पत्थर से बांध बांधा जाय तो इससे बेकारी की समस्या हल हो जायगी।

यह तो दमाग है इस सरकार के ऐक्सपर्ट्स का। लेकिन बहरहाल मैं जानता हूं कि यू० पी० सरकार ने इस बात को सुना नहीं। कंट्रोल के बारे में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हामी है और इससे पीछे नहीं हटती। हम तो प्लांड इकोनोमी के हामी हैं। लेकिन जहां आपने डिकंट्रोल कर दिया है कभी आपने देखा कि कंट्रोल कर देने की जरूरत थी।

विकास के बारे में कहा जाता है। हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो जिससे ९० प्रतिशत किसान जनता का भला हो। एक ऐसा किसान जिसके पास जमीन नहीं है आज उसके विकास के लिये सरकार के पास क्या योजना है? बिना योजना सब काम चलाये जाते हैं और जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जाता है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री अपने ऊपर लखनऊ का असर न आने दें और ऐसी योजनायें न बनें कि अमीर आदमी ही अमीर होता जाय और गरीब की और परेशानियां बढ़ती जायं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और हर कांग्रेसी माननीय सदस्य जानते हैं कि जनता को क्या परेशानियां हैं, हर विभाग में क्या परेशानियां हैं। दिन प्रति दिन जनता ऊबती जाती है। यह सरकार जनता के लिये बनायी गयी थी। इसे आंखें खोलनी चाहिये। अगर आप समझते हैं आपकी ढाई साल की ही जिन्दगी है तब तो कोई बात नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को और साथ साथ उन कांग्रेसी माननीय सदस्यों को जो कि पूरी जानकारी न रख कर हमारे लिये 'रिऐक्शनरी, शब्द का प्रयोग कर देते हैं, उनको भी सावधान करना चाहता हूं कि हमको सबक न सिखायें। यकीन मानिये उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाषणों का जनता पर असर इसलिये नहीं पड़ता कि कांग्रेसी पार्टी ने

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अपने रवैये से पोलिटिकल पार्टी के ऊपर से जनता का विश्वास हटा दिया है। क्या इंकार कर सकते हैं सदन के माननीय सदस्य इससे ? जहां भी हम या और कोई जनता के बीच में कुछ कहता है तो जनता हो यही समझती है कि सब अपना मतलब ठीक करने के लिये बोल रहे हैं। यह भावना जनता में कांग्रेस के कार्यों से हो फैली है। उपाध्यक्ष महोदय, इस थोड़े से शब्दों के साथ मैं भी सावधान कर देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री को कि लखनऊ के नवाबी अंदाज से काम न करें और ऐसे काम करें जिससे इस देश की ९० प्रतिशत जनता का कल्याण हो। तभी जनता आपके साथ रहेगी और उसकी वजह से वह भी रहेंगे और जनता अगर साथ नहीं रहेगी तो ईस्ट पाकिस्तान की मुसलिम लीगी सरकार की तरह इस सरकार का तख्ता पलट जावेगा। उसको भी सावधानी बरतनी चाहिये। यह हमारे भारत की ही, जो पुराना भारत था, वहां की मिसाल है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—त्रावणकोर की बात आपने नहीं बतायी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—त्रावणकोर की बात भी सुन लीजिये। एक मिसाल पेश की है डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि अगर उनकी मिनिस्ट्री ने दफा १४४ लगायी और लोगों पर लाठी चार्ज हुआ तो उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। मैं समझता हूं कि उन्हें इस विधेयक के बाहर बोलने न दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं तो माननीय रामनरेश जी की मांग पर बोलने के लिये खड़ा हो गया, मैं तो बैठ रहा था। मैं तो आपको मिसाल दे रहा था कि हमारी पार्टी ही बुरा भला कह रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी कांग्रेसी सरकार के किसी ऐक्शन को किसी कांग्रेसी नेता ने इस तरह कंडेम किया है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भाषण आज विरोधी दल के हुए हैं उनको मैंने बड़े गौर से सुना। आज जो विधेयक आया है वह सिर्फ इसलिये आया है कि इसकी मियाद दो साल और बढ़ा दी जाय। इसमें तो दो रायें नहीं हैं कि आज बिजली की कमी है और मांग ज्यादा है। जब मांग ज्यादा है तब नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसलिये मियाद तो बढ़नी ही चाहिये। मगर इसके सम्बन्ध में विरोधी दल वालों ने बहुत सी बातें कह डालीं। जो इस सदन के सामने आंकड़े आये हैं उनसे ज्ञात है कि इन दस वर्षों के अन्दर ७५ फीसदी बिजली बढ़ गयी है, ४५ हजार किलोवाट सरकार की ओर से और २६ हजार और कम्पनियों की ओर से और यह बढ़ोत्तरी उस हालात में हुयी जबकि सामान की इतनी अधिक कमी है। लड़ाई के असरात से सामान दूसरे मुल्कों में भी नहीं मिल रहा है और बिजली बढ़ाने के लिये इतनी अधिक दिक्कतें हैं इस पर भी ७५ फीसदी बिजली का बढ़ना हमारे लिये एक गौरव की बात है और इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारी योजनायें सब बड़ी हैं उनके बढ़ाने में बड़ा समय लगेगा तो क्यों नहीं छोटी-छोटी योजनायें करके बिजली बढ़ा लेते। मैं समझता हूं कि उनकी यह बात बिल्कुल भूल पर निर्भर है। हमारे सामने दो बड़ी योजनायें हैं, एक रिहेंड डैम की और दूसरी पथरी की। पथरी से तो इस साल में बिजली तैयार हो जायगी और मिलने लगेगी। जो दूसरी बड़ी योजना रिहेंड डैम की है उससे बिजली ही पैदा नहीं होगी बल्कि आबपाशी भी हमारे प्रांत की और बिहार की भी इतनी अधिक हो जायगी कि जिससे जनता का बड़ा भारी लाभ होगा। उस रिहन्द डैम की शुरुआत के लिये एक सीमेंट फैक्टरी तैयार हो गयी है जिसकी सीमेंट निकलने वाली है। बिना सीमेंट के रिहेंड डैम का बनना बड़ा मुश्किल था। जितनी जल्दी उसके लिये केन्द्रीय सरकार से हमें रुपया मिल जायगा उतनी ही जल्दी वह तैयार हो जायगा और

मैं समझता हूं कि तीन, चार साल के अन्दर यह योजना पूरी हो जायगी। साथ में हमारी सरकार के सामने एक और डैम की योजना है और वह रामगंगा का डैम है। अगर वह योजना तैयार हो गयी तो आपके प्रांत में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में रामगंगा से बिजली आयेगी और पूर्व के हिस्से में रिहेंड डैम से आयेगी। यह कमी तो जभी पूरी होगी जबकि यह योजनाएं पूरी होंगी। आज बिजली पहले से कितनी ज्यादा बढ़ गयी है लेकिन इसके साथ साथ डिमांड भी उतनी ही तेजी से बढ़ गयी है। जब तक यह योजनायें पूरी नहीं होंगी बिजली की डिमांड पूरी नहीं हो सकती है।

अब रही बात यह कि हमारे मित्रों ने खर्चे के बारे में कहा। जब बड़े-बड़े काम आयेंगे तो रुपया कहां से आयेगा। रुपया तो जनता ही देगी और वह टैक्स से ही वसूल हो सकता है। एक मित्र ने कहा कि बिजली के वितरण में बड़ी इर्रेग्यूलेरिटीज और बेईमानी हो रही है। मुझे जहां तक मालूम है वह यह है कि सरकार ने तो यही आदेश दिये थे कि जिनकी दरख्वास्त पहले आयी है उनको पहले बिजली दी जाय और जिनकी दरख्वास्त बाद में आयी उनको बाद में दी जाय। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह तो आदेश दे सकती है। काम करना या न करना यह तो उसके कर्मचारियों का काम है और जैसी हमारी जनता है वैसा ही उसका सब जगह प्रभाव भी पड़ता है इसलिये जहां तक सरकार का कर्त्तव्य था उसने तो बिजली के वितरण में न्यायपूर्वक ही काम किया है।

एक चीज मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक प्राइवेट कम्पनीज की बात है वहां उनका काम बाज जगह संतोषजनक नहीं है। इतना कर बढ़ा दिया है कि उससे कंज्यूमर्स का ही नुकसान नहीं है बल्कि सरकार का भी नुकसान है। सरकार ने जब बिजली पर टैक्स लगाया था तो यह तय कर दिया था कि ९ आने से ज्यादा दर नहीं बढ़ने पायेगी। जैसे कि मार्टिन एंड कम्पनी है उसने ६ आने से अब ८ आने बिजली की दर कर दी है। इससे सरकार को एक आना ही मिल रहा है, यदि ७ आने होती तो सरकार को पौने दो आना और यदि ६ आने होती तो डेढ़ आना मिलता होता। इस तरह से जनता का ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि सरकार का भी नुकसान हो रहा है। अगर इन कम्पनियों के हिसाब की जांच की जाय तो खर्चा कम हो सकता है। मार्टिन ऐंड को० सन् १९५१ में ६ आने लेती थी अब सन् १९५२-५३ से आठ आने लेने लगी है जबकि जो खर्चा उस समय था वही आज भी है। इसलिये अगर इनके हिसाब की जांच की जाय तो बिजली की दर फिर से ६ आने हो सकती है। इससे न सिर्फ जनता का ही लाभ होगा बल्कि सरकार का भी लाभ होगा और इससे लाखों रुपए की आमदनी सरकार को हो जायगी।

इस तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने इधर बिजली बढ़ाने में जो कोशिश की है इसके लिये वे हाउस की ओर से बधाई के पात्र हैं और हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस छोटे से बिल में काफी लम्बी चौड़ी बहस हो गई और मुझे खुशी यह है कि इसमें हमारे बहुत से भाइयों ने आज भाग लिया और खुशी और भी ज्यादा इसलिये हुई कि उन्होंने इसको पर्सनल मैटर बना लिया। माननीय मंत्री जी को सहायता देने के लिये बिजनौर के ही दो भाइयों ने भाषण दिये और इस तरह से उन्होंने पड़ोसी का नाता भी रखा। मुझे खुशी इस बात की हुई और मैं इसलिये बोलने के लिये खड़ा हुआ कि श्री शिव नारायण जी ने ऐलान कर दिया है कि रानीखेत होकर बिजली जाने वाली है और मुझे भी उससे फायदा होने वाला है। इसलिये मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं कि मैं इसके लिये उनको तथा सरकार को धन्यवाद दूं और मुझे खुशी इस बात की हुई कि माननीय शिवनारायण जी लिख कर नोट बना भाषण दे रहे हैं और इसका नतीजा उनके लिये

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अच्छा होगा और अफसोस इस बात का है कि हम सारे मेम्बर्स को बतलाना चाहते हैं कि यह हमारी बदकिस्मती है कि शिवनारायण जी पारसाल तो फेल हो गये थे, वह इस साल भी फेल हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ऐसी अप्रासंगिक बात कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--सवाल यह है कि उनका खयाल है कि हम लोगों ने चिट्ठी लिख कर उनको फेल करा दिया है। इसलिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बिजली हमारे यहां से होकर जाने वाली है, तो मुझे दुःख इस बात का है कि बजाय इसके कि बिजली के बारे में कोई बात कहते, उन्होंने कभी तो हमारी मिनिस्ट्री पर अटैक किया, और कभी लोहिया साहब की बात कही, दुनिया भर की बातें कहीं और जब हम यहां कुछ कहने के लिये तैयार हों तो उधर से प्रस्ताव हो जाता है कि बिल पर बात करें।

मैं समझता हूं कि सरकार का हुक्म अवश्य निकला होगा। माननीय मंत्री जी ने आदेश भी दिये कि यहां से जो बिजली का वितरण हो वह तरीके से होना चाहिये। अफसोस तो इस बात का है कि माननीय मंत्री जी का आदेश है और सरकारी हुक्म है और उसके बावजूद भी उसके ऊपर अमल न किया जाय, तो हम क्या कहेंगे? अगर बावजूद इन हुक्मों और आर्डर्स के, इंस्ट्रक्शंस के, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी उन हुक्मों को नहीं मानते हैं तो उसका इलाज क्या है? जैसा हमारे उप-नेता माननीय त्रिपाठी जी ने कहा, माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें, उन शिकायतों को देखें और उनको उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। हमारा प्रयत्न यही है कि जो वह अच्छा काम करते हैं उसके लिये उन्हें बधाई देते हैं। रिहेंड डैम की स्कीम बनी है, हरदुआगंज की स्कीम है, और जितने अच्छे काम किये हैं उनकी तारीफ की ही जाती है। जो बिजली पैदा होगी उससे प्रान्त की जनता का फायदा होगा। लेकिन जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि इतनी बिजली ६ करोड़ की आबादी में बहुत कम रहेगी। १५ साल में रिहेंड डैम के बनने के बाद भी इतनी बिजली नहीं हो सकेगी जिससे हमारे प्रान्त की पूरी पूर्ति हो सके। यह हमारे लिये अफसोस की बात है।

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि दो-दो साल मशीनों के मंगाने में लगे और उनके आने में दो-दो साल लग जाते हैं और यह भी कहा कि रिहेंड स्कीम ऐसी है जो कि १५ साल में पूरी होगी। इतनी लम्बी स्कीम के बजाय छोटी बिजली की स्कीमें भी सरकार के पास हो सकती थीं। आज पहाड़ों की ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां हाइडेल बिजली बहुत चीप हो सकती है। छोटे छोटे प्लांट बन सकते हैं। हमें सोचना यह है कि जब शारदा स्कीम तैयार हो जायगी तो जो हाइडेल की मशीनें नैनीताल में पड़ी हुई हैं वह खाली हो जायंगी, तो क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी योजना है कि जो मशीनें नैनीताल में हाइडेल बिजली जनरेट करती हैं उनको दूसरी जगह उपयोग में लाया जा सके? उनका क्या होगा? मैं जानता हूं कि अल्मोड़ा में बिजली की मशीनें डीजेल से चलती हैं। वह और किसी जगह पहुंचाई जा सकती हैं, जहां बिजली की आवश्यकता हो। वह जरा कीमती बिजली होती है। १४ आने फी यूनिट बिजली की प्रोडक्शन की कास्ट है और वहां की म्यूनिसिपैलिटी ७ आने में दे रही है और ७ आने का नुकसान उठा रही है। शारदा की बिजली जाने के बाद वह बिजली हमको सस्ती मिलने लगेगी, तो वहां का जो प्लांट है उसका क्या होगा? वह दूसरी जगह लगाई जा सकती है, जहां कोई दूसरी मशीन की व्यवस्था न हो। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कभी इस पर विचार किया?

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जनवरी, फरवरी में शारदा की बिजली हमें मिल जायगी, खटिमा की, लेकिन जो मशीनें खाली हो जायंगी जिनमें जंग लग जायगा, क्या वह ऐसी जगह नहीं पहुंचाई जा सकतीं जहां खटिमा की बिजली नहीं पहुंच सकेगी? टेहरी गढ़वाल के किसी इलाके में, जहां बड़े-बड़े फाल्स हैं और बिजली जनरेट की जा सकती है, उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। हमारे विभाग के अफसर उधर कभी नहीं जाते हैं। वह वहीं जाते हैं जहां मोटरें जा सकती हैं, बल्कि कच्ची में भी चलने के लिए तैयार नहीं हैं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पक्की सड़कों पर जहां कहीं जाते हैं, वहां बता देते हैं कि यह स्कीम बनेगी और यह होगा और यही कारण है कि अध्यक्ष महोदय कि आज हमारे गढ़वाल के इलाके, टेहरी और अल्मोड़ा के इलाके और नैनीताल के बहुत से देहाती इलाके हैं जहां कोई बिजली का प्रदेश नहीं है। नैनीताल में सब जानते हैं कि अंग्रेज हाइडिल लगा गये थे जिससे बिजली पैदा करते हैं। अल्मोड़ा शहर में बिजली लगी। लेकिन इनके अलावा पहाड़ों में कितनी ऐसी जगहें हैं जहां बिजली नहीं लगी है और जहां लाखों यूनिट सस्ती बिजली पैदा हो सकती है। अगर सरकार मदद करे, कोआपरेटिव सोसाइटियों को ही कुछ रुपया दे, या लोन के रूप में ही कुछ रुपया हमें दे तो हम वहां बिजली पैदा करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी जगह पर भी बिजली का प्रबन्ध किया जाय। रिहैंड डैम से नीचे बिजली जायगी। लेकिन अल्मोड़े और रानीखेत में और-और पहाड़ी जगहों में जहां लाखों आदमी रहते हैं, २२ लाख की जहां की आबादी है, वहां के लिए बिजली का कोई प्रबन्ध क्या सरकार सोच रही है। रिहैंड डैम से हमारे यहां बिजली आने वाली नहीं है, खटीमा से हमारे यहां बिजली आने वाली नहीं है। फिर हमारे लिए क्या फैसला होगा। पर्वतीय प्रदेशों के लोगों का क्या फैसला होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बड़ा भारी प्लांट है, हाइडिल है नैनीताल में अगर उसी का कोई प्रबन्ध किया जाय। तो बहुत जगह बिजली पहुंचायी जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह बिजली अवेलेबुल हो सकती है, वह हम बतायेंगे, लेकिन इंजीनियर लोग चल कर देखें तो। हम उनको स्कीमें बना कर देने को तैयार हैं। आज हमें यह मौका मिला कि इस बारे में कुछ कह सकें। हर साल कहता हूं बजट के समय भी कहता हूं और आज भी फिर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज पर वह सोचें उनसे हमें आशा है, वह बड़े पुराने तजुर्बेकार हमारे यहां के मेम्बर हैं हमारे बुजुर्ग हैं। वह हमारे साथ चलें और जनता का सहयोग लें तो मुझे आशा है कि प्रदेश में जो बिजली की कमी है उसको तो हम अवश्य ही दूर कर लेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जरा वह हम लोगों की तरफ भी ध्यान दें। शहरों में ही आदमी नहीं रहते हैं, वहां बहुत कम रहते हैं हम तो देहात के रहने वाले हैं। और हमको रोशनी के लिये बिजली की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में दिये भी रोशनी का काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां बिजली की आवश्यकता इसलिये है कि हमारे यहां पानी तक पीने के लिये नहीं मिलता है। नदियां नीचे बहती हैं। ऊपर के लोग पानी के लिए तरसते हैं। तो जब तक बिजली का हमारे यहां प्रबन्ध न होगा तब तक न हमारी पानी की व्यवस्था ही हो सकती है और न हमारी काटेज इंडस्ट्रीज ही चल सकती हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि इस ओर भी वह ध्यान अवश्य दें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--मेरा पहले कुछ बोलने का इरादा नहीं था, इसलिये नहीं कि इस विधेयक को मैं कोई महत्वपूर्ण विधेयक नहीं

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

समझता बल्कि इसलिए कि जो कुछ इस सम्बन्ध में मुझे कहना है वह एक बार पहले भी मैंने कहा था और मैंने यह समझा कि उसको एक बार फिर दुहराने से कोई लाभ न होगा। मुझे आज माननीय उपाध्याय जी का भाषण सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं उनको बधाई देता हूं और जिस प्रकार से उन्होंने इस प्लेन्स के सागर में पर्वतीय क्षेत्र की भी जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं उनको पेश किया है, जिस प्रकार से पेश किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। हम सब मानते हैं कि सरकार अपने विचारानुसार प्रदेश का उत्थान करने में लगी है। हां, मैं यह कह सकता हूं कि शायद एक चीज़ पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मदन मोहन जी किसी और विषय के सम्बन्ध में यही चर्चा कर सकते हैं, यही आलोचना कर सकते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि सब यह मानेंगे कि किसी न किसी रूप में उत्थान हो रहा है और उत्थान की चेष्टा में लोग लगे हुए हैं। दुख की बात यह है कि उत्थान करने के सम्बन्ध में आर्थिक दृष्टिकोण सदैव सामने रखना पड़ता है। यानी अगर कहीं एक बिजली का डैम या बिजली योजना चलने वाली हुई तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि इस योजना को चलाने से सरकार को कितना आर्थिक लाभ होगा, कितनी जनसंख्या को लाभ होगा। इस जांच पर हम पर्वतीय क्षेत्र वाले छूट जाते हैं। यदि पर्वतीय क्षेत्रों की उन्नति करनी है तो दो साधन सामने आते हैं।

सब से प्रथम वहां की सड़कें बनें। इस समय सड़कों के सम्बन्ध में कहना तो उचित न होगा। किन्तु इतना ही कह कर मैं छोड़ दूंगा कि यदि सड़कों के बनाने के सम्बन्ध में कुछ भी कहा जाता है तो सब से प्रथम हमें यह उत्तर मिलता है कि जहां एक मील सड़क बनाने में पचास हजार रुपया खर्च होता है वहां हमारे पर्वतों में तीन लाख रुपया लगता है। इसका जवाब हम कुछ नहीं दे पाते। यह एक वास्तविक बात है। इसको हम आंकड़ों से खेल कर कोई उल्टा उत्तर दें यह भी उचित न होगा। किन्तु सरकार का फर्ज यह नहीं है कि जहां लाभ हो वहां उन्नति हो और जहां घाटा हो वहां वैसा ही पड़ा रहे। यह सरकार के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी नीति इसी आधार पर चली है। या तो जहां अधिक से अधिक जन संख्या को किसी उन्नति से लाभ हो वहां वह किया जाय या जहां पर उन्नति करने से सरकार के खजाने में पैसा आये तो वहां उठाया जाय। मदन मोहन ने बहुत सत्य कहा और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि यदि सस्ता नहीं तो अधिक पैसा खर्च करके भी न होगा। हमारे यहां टेहरी जिले में भी बहुत से उपयोगी वाटर फाल्स मिल सकते हैं जहां हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। उनको टैप करें या आर्टिफिशल डेम से बनायी हुई बिजली से जनरेट किया जाय इस पर निर्णय करना सरकार और मंत्री महोदय पर निर्भर करता है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि यदि निर्णय करते समय यही क्राइटेरिया रखा गया तो हम हमेशा के लिये पीछे रह जायंगे, वहीं के वहीं रह जायंगे। मदन मोहन जी ने स्पष्ट बताया कि नैनीताल जिले में नैनीताल से बिजली है। नरेन्द्रनगर में बिजली है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या नैनीताल जिले में केवल नैनीताल ही है, अल्मोड़ा जिले में केवल अल्मोड़ा ही है, टेहरी गढ़वाल जिले में केवल नरेन्द्रनगर ही है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नरेन्द्रनगर में बिजली पहुंचाई और अच्छी तरह से पहुंचाने की उन्होंने एक योजना चालू की है। लेकिन यह एक प्रकार से काम्प्लेसेंसी दिमाग में आ जाना कि हर एक जिले में बिजली पहुंचा दी, यह ग़लत बात है। नरेन्द्र नगर बिल्कुल सीमा में पड़ता है। यदि टेहरी तक भी बिजली पहुंचा दें तो वह कह सकेंगे कि गढ़वाल के वास्ते कुछ किया गया। वहां कागजों में नरेन्द्रनगर ही हेडक्वार्टर माना जाता है लेकिन टेहरी-गढ़वाल का वास्तविक केन्द्र टेहरी ही माना जाना चाहिए। वहां की जनता का आना जाना टेहरी में बारम्बार रहता है। वहां तक अगर बिजली पहुंचायी जाय तो कम से कम वहां की जो

बैकवर्ड जनता है वह इस नयी चीज को भी देख लेगी। उसमें उत्सुकता पैदा होगी और अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करेंगे। इस समय तो वह बिजली का नाम भी नहीं समझते जिस प्रकार टेहरी-गढ़वाल के लोग रेलगाड़ी के सम्बन्ध में नहीं जानते। मैं कहूंगा कि बिजली ही वहां सब से पहले पहुंचायी जाय। मैं जानता हूं कि बिजली से पहले और चीजें आयेंगी मगर साथ ही साथ यह कहना आवश्यक हो जाता है कि उन्नति के सिलसिले में सरकार को अपनी नीति परिवर्तित करना आवश्यक हो गया है।

इस समय उस पर अधिक न कह कर और केवल बिजली के सम्बन्ध में ही कह कर इतना कहूंगा कि जहां तक बिजली की प्रगति का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में सरकार को यह निश्चय करना पड़ेगा कि पहाड़ी जिलों में जो नेचुरल रिसोर्सेज पाये जाते हैं उनको सरकार टेप करने को तैयार है या नहीं। जैसा कि माननीय मदन मोहन जी ने कहा कि जो डेम्स की स्कीम्स सरकार ने बनाई है उनसे पहाड़ी जिलों को बिजली देना असंभव है। अब प्रश्न यह होता है कि अगर उससे पूर्ति नहीं हो पाती तो क्या इस बात को मानते हुये कि वहां यदि कोई योजना खोली जायगी तो उससे आर्थिक लाभ होगा, उससे अधिक जनसंख्या को सुभीता पहुंचेगा, मेरी समझ में उससे केवल इतना ही होगा कि वर्ग मील के लिहाज से काफी सुविधा पहुंचेगी। एक मुख्य लाभ यह भी होगा कि जो इस प्रदेश के पिछड़े हुए जिले हैं वहां पर सरकार की निगाह पहुंचेगी। इसलिये अधिक न कह कर सरकार से इतना ही कहूंगा कि उन्नति के हर रास्ते पर और बिजली के सम्बन्ध में भी अपनी नीति को रिआरियेन्ट करना अतिआवश्यक हो गया है "चलती का नाम गाड़ी" यह तो बहुत मशहूर मिसाल बन गई है। जहां प्रगति कुछ रफ्तार पकड़ लेती है वहां उतना ही होकर रह जाती है और जहां कुछ भी नहीं हुआ है वहां काम शुरू होने में अड़चनें और दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। हम अभी इसी स्तर पर हैं कि जहां काम शुरू हो गया वहीं उसका अन्त भी हो जाता है। उत्तर में कह दिया गया कि नरेन्द्र नगर में बिजली है। मेरा कहना है कि उसे और बढ़ाइये और टेहरी तक पहुंचाइये। मुझे यह कहना है कि जो पिछड़े जिले हैं उनमें से विशेषकर जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर यदि कुछ न किया गया तो वह जो प्रगति का कार्य है, उन्नति का कार्य है, उसका होना असंभव हो जायगा। एक तरह से यह जो ब्रेकिंग दी आइस' का प्रश्न है इसे हल किये बगैर और कुछ होना असंभव है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहाड़ी जिलों का सम्बन्ध है मुझे अपने साथियों से पूरी हमदर्दी है कि पहाड़ी जिलों की उन्नति होनी चाहिये, लेकिन जिस समय किसी भी इलाके का आदमी यह मांग करता है कि वहां पर बिजली जानी चाहिये वह एक बात बिल्कुल भूल जाता है कि आया वहां पर जनता ऐसी दशा में पहुंच गई है कि उस बिजली का जो वहां पर पहुंचाई जायगी वह इस्तेमाल भी कर सकेगी या नहीं। जहां पर झोपड़ी में चिराग भी नहीं जलता वहां अगर बिजली पहुंचा भी दी जाय, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को टेप करके वहां बिजली पैदा कर दी जाय, तो क्या आपका यह ख़याल है कि वह बिजली वहां की जनता के लिये कोई उपयोगी हो सकेगी? मैं यह समझता हूं, मुझे पूर्ण सहानुभूति है अपने पहाड़ी इलाके के लोगों से, और मैं चाहता हूं कि उनकी उन्नति हो किन्तु देखना यह है कि आया पहले हम वे बातें पैदा करें जिनसे उनकी माली हालत अच्छी हो, जिससे उनका कार्य व्यवहार अच्छा हो या हम वे काम करें जिनसे उनके घर जगमगा उठें और मैं यह कहूंगा और हर एक समझदार आदमी यह कहेगा कि पहले उन लोगों का जीवन स्तर इतना ऊंचा उठाया जाय जिससे उनकी परिस्थिति बिजली खरीदने लायक हो जाय बजाय इसके कि फूस के झोंपड़े के पास बिजली का तार लगा दिया जाय। ऐसा करने से बजाय रोशनी होने के तमाम घर जल उठेगा। मैं समझता हूं कि

[श्री बलवन्त सिंह]

ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा करना चाहिये और उसमें यह मांग की गई है कि इस हमारे बिल की मियाद जो कंट्रोल की है उसको दो साल के लिये और बढ़ा दिया जाय। इस बात को भी हर एक जानता है कि जब मांग अधिक हो और चीज की कमी ज्यादा हो तो उसके लिये कंट्रोल करना पड़ता है और यह भी हर एक समझता है और यह बात सभी को भुगतनी पड़ी है कि कंट्रोल का चाहे कितना ही अच्छा कानून क्यों न बनाया जाय कोई न कोई खराबी और नुक्स वितरण का रह ही जाता है जिसके कारण उसके अन्दर कुछ न कुछ भ्रष्टाचार भी आ जाता है। यह बात किसी से छिपी हुयी नहीं है और मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि चाहे हमारे माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार कितना ही प्रबन्ध करे और कितने ही सुचारु रूप से उसको चलाने की कोशिश करे, फिर भी हम समझते हैं कि कंट्रोल का जो दोष है और उसका जो बेसिक दोष है वह बना ही रहेगा, और वह खराबी बदस्तूर बनी रहेगी। मगर इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कंट्रोल खराब नहीं है। इस बात को हर एक चाहता है, मिनिस्टर भी चाहते हैं, और आफिसर भी चाहते हैं कि उन दोषों को दूर करें, मगर वह बात हम समझते हैं कि मुमकिन नहीं है। हमने देखा कि सीमेंट की कमी है। हम लोगों को अपने अपने जिले का तजुर्बा है। हमने सोचा कि किस प्रकार से इस कमी को दूर करें और किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को निकालें, मगर हम देखते हैं और जानते हैं और हर एक का तजुर्बा है कि उसमें कामयाबी भी हुयी और नाकामयाबी भी हुई। कंट्रोल के अन्दर जो दोष है उनकी वजह से भ्रष्टाचार बना रहेगा। इसलिये हर एक की इच्छा यह है कि हमारे यहां से कंट्रोल हट जाय, किन्तु बिजली जैसी चीज से कंट्रोल हटाना कोई आसान बात नहीं है। यह हमारी गवर्नमेंट या जनता के हाथ की बात नहीं है। बहुत सी बातें उसके अन्दर हैं। जहां पर एक पावर हाउस बनना शुरू होता है, जैसे रिहन्ड डाम बनना शुरू होगा, हम जानते हैं कि उस में बहुत समय लगता है। हमने देखा कि सतलज का डाम बनना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी उसमें ७, ८ वर्ष लग गये और उसके बाद कहीं यह देखने को मिला कि वहां पर नहरें चालू की गयीं और शायद १, २ वर्ष और लग जायगा जिससे बिजली तैयार हो सके। अभी पश्चिमी यू० पी० में वहां मुहम्मदपुर पावर हाउस बनना शुरू हुआ। वहां पर पहले यह खयाल था कि यह मुहम्मदपुर पावर हाउस शायद ४ वर्ष में बन कर तैयार हो जायगा, मगर वह ७, ८ वर्ष के अन्दर बन कर तैयार हुआ। बहुत सी बातों के लिये कुदरत पर डिपेण्ड करना पड़ता है। अगर करेन्ट ही तेज आ गया तो वहां पर जो बांध का कुछ हिस्सा बना है वह भी बह जाता है और उसमें बहुत देर लग जाती है और जो मेहनत होती है वह बेकार हो जाती है। मगर हमारी कोशिश इस बात की है कि जल्द से जल्द पावर हाउस तैयार हो जायं मगर वह नहीं बन पाते हैं। हमारे प्रान्त का हर एक आदमी यह जानता है कि हमारी गवर्नमेंट ने कितना प्रयत्न इस बात का किया है कि अपने प्रान्त में बिजली की मात्रा को बढ़ाया जाय। जैसा कि अभी बतलाया गया कि हमारे यहां जब से हमारी सरकार ने इस राज्य की पावर को अपने हाथ में लिया है उसके बाद से ७५ फीसदी बढ़ोत्तरी हमारे यहां बिजली की पावर में हुई है। हम यह जानते हैं कि यह बढ़ोत्तरी और होनी चाहिये, किन्तु बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट को मजबूर करती हैं। बहरहाल यह कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कि जितना पैसा है, जितना बजट है वह सब बिजली के बनाने में पावर हाउस के बनाने में लगा दिया जाय। उनको नहरें भी बनानी पड़ती हैं, टयूबवेल्स भी बनाने पड़ते हैं और खेती बाड़ी के और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को और भी रोजमर्रा के बहुत से काम करने पड़ते हैं। जैसे साधन और जितना बजट है उसके अन्दर ही उसको करना पड़ता है और जितना पैसा मिलता है

उसके मुताबिक ही करना पड़ता है। जो यह बहुत से आक्षेप हमारे सामने लगाये गये मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि कंट्रोल में जो बुराई है वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मगर गवर्नमेंट या माननीय मंत्री जी या हमारा बिजली विभाग उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न न करे तब तो आप यह कह सकते हैं कि देखिये यह कमी है इसको आप दूर करना नहीं चाहते हैं।

अभी माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कुछ बातें कहीं। मैं यह समझता हूं कि अगर वे इम्पार्टेंट कागजात त्रिपाठी की जेब में आ जाते हैं और माननीय मंत्री जी के सामने नहीं आते तो मैं समझता हूं कि उसमें दोष अधिक त्रिपाठी जी का है कि वह खराबी दूर नहीं हुई। अगर प्रजातंत्र के अन्दर हर एक इंसान और खास तौर से इस सदन के सदस्य खराबियों को मंत्रियों के सामने नहीं रखेंगे तो वे दूर कैसे हो सकती हैं? इसका तो मतलब यह हुआ कि त्रिपाठी जी ने उन बातों को जो उनके इल्म में आईं उनको अपनी जेब में रख लिया, सिर्फ इसलिये कि गवर्नमेंट को क्रिटीसाइज करना होगा। प्रजातंत्र में सिर्फ क्रिटिसिज्म से ही काम नहीं चलता है बल्कि हरएक आदमी को चाहे वह इधर का हो या उधर का हो या कोई भी हो, चाहे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट हो, सबको चाहिये कि सरकार को पूर्ण सहयोग दे। अगर देश का काम अच्छी तरह से चलाना है तो यह करना होगा, हमें वे गैरजिम्मेदाराना बातें नहीं करनी होंगी जिनको हम अभी तक करते आये हैं। मिनिस्टर कोई ईश्वर की शक्ति तो रखने के काबिल हुआ नहीं है कि वह सब बातों को जान ले। वह तो हमारे ही बतलाने से जान सकता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो खराबियां आपके नोटिस में आवें उन्हें माननीय मंत्री के नोटिस में लाने की कृपा करें। अगर भगवान ने हमारा साथ दिया और हमारे प्रदेश की दशा अच्छी चलती रही तो दो वर्ष से पहले ही बिजली का कंट्रोल खत्म हो जायगा, क्योंकि इधर खटीमा का और उधर पथरी का पावर हाउस तैयार हो जायेंगे, और रिहन्ड डाम बनने पर पूरब और दक्खिन की समस्या हल हो जायगी। तो मैं चाहता हूं कि यह दो वर्ष की मियाद बढ़ा दी जाय, जिससे हमारे देश का भला हो।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैंने यह उचित समझा कि अपने जिले की कुछ बातें सदन के सामने रखूं। वैसे तो इस विधेयक की मियाद दो वर्ष बढ़ाने पर कोई ज्यादा वादविवाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे मौकों पर हम सदस्यों को अपने जिले की बातें रखने का अवसर मिलता है। प्रतापगढ़ छोटा जिला है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि बजट के समय काफी मौका अपने जिले के बारे में कहने का होता है। इस समय तो विधेयक के संबंध में ही बात होनी चाहिये।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल---मैंने यह समझा था कि यदि इस समय मैं कहूंगा तो बजट के समय तक हमारे यहां कुछ काम हो जायगा। मैं विधेयक से ही संबंधित बातें कहूंगा। प्रतापगढ़ शहर वैसे छोटा ही है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ३-४ वर्ष हुये पंत जी भी वहां गये थे और उन्होंने बिजलीघर का शिलान्यास किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं हो सकी। अब मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि प्रतापगढ़ इलाहाबाद से ३५-३६ मील पर है, अगर इलाहाबाद के बिजली-घर से प्रतापगढ़ के बिजलीघर तक के लिये एक लाइन खींच दी जाय और इस प्रकार बिजली पहुंचायी जाय तो हमें सफलता मिल सकती है क्योंकि वहां का कन्ट्रेक्ट कोई लेना ही नहीं चाहता है। जब रिहन्ड डेम की बिजली तैयार हो जायगी तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा वह भी इलाहाबाद से प्रतापगढ़ को एक्सटेंड की जा सकती है। इस लिये मैं यह सुझाव आपके द्वारा देना चाहता हूं ताकि जब बजट सामने हो तो इस मामले पर भी सोच लिया जाय और हमारे जिले

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

के सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जाय। इस बिल का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि विरोधी दल की ओर से जो टीका-टिप्पणी की गयी उसका जवाब शिव नारायण जी और दूसरे सदस्यों ने अच्छी तरह से दे दिया है। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल के इस उद्देश्य से जहां तक उसके अवधि बढ़ाने का सम्बन्ध है उसकी अवधि के सम्बन्ध में तो विरोध हो सकता है, दो रायें हो सकती हैं, लेकिन अवधि बढ़ायी जाय इसमें दो रायें नहीं हो सकती। मैं ऐसा समझता हूं कि इस अवधि के बढ़ाने की यदि आवश्यकता समझी गयी है तो इसलिये समझी गई है कि राज्य में बिजली की कमी है और राज्य में जो बिजली की कमी है उसके लिये हमारा ख्याल है कि वह दो ही वर्ष के लिये है। इस अवधि से हम यह भी नतीजा निकालते हैं कि इन दो वर्षों के अन्दर सरकार ऐसी व्यवस्था कर लेगी कि जो कमी हो वह दूर हो जाय। मुझे डर लगता है कि यह कमी इस अवधि में दूर हो सकेगी। मैं उदाहरण स्वरूप रिहन्ड डैम को माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। रिहन्ड बंध की योजना हमारे सूबे की सबसे बड़ी योजना न भी हो तो कहा ही जा सकता है यह तो कि वह सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। उसके लिये हमारी राज्य सरकार ने, अगर हमारी याददाश्त ठीक है, केवल १० लाख रुपया रक्खा है। उसमें कितना करोड़ रुपया व्यय होगा, इस हिसाब से जब मैं इसे देखता हूं तो जो गति राज्य सरकार की है उसको देखते हुए जब किसी ने उसके पूरा होने के लिये १५ वर्ष का नाम लिया तो मुझे बड़ी घबराहट हुई।

माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि जहां तक पहाड़ी लोगों का सबन्ध है उनके घर पर छप्पर नहीं है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वे बिजली ले सकें, तो ऐसी हालत में पहले उनकी माली हालत को सुधारने की आवश्यकता है न कि उनके लिये बिजली की व्यवस्था करने की। मैं माननीय बलवन्त जी जैसे व्यक्ति से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बिजली जाने का अर्थ यह नहीं है कि उससे उन लोगों की आर्थिक तरक्की हो। मैं एक बात और अर्ज करूं कि रिहन्ड डैम से कुछ करोड़ लोगों को लाभ होने वाला है, करोड़ दो करोड़ की आबादी जिसको अभाव-ग्रस्त जिले कहते हैं, उनकी रोटी का सवाल हमारे सामने है। खेती इतनी कम है कि खेती पर किसी प्रकार से उनका गुजारा होना कठिन है। आज सरकार के सामने यह बड़ा विकट प्रश्न है, चाहे सरकार उसे माने या न माने कि आखिर इस आबादी को किस तरह से भोजन दिया जाय। तो फिर अगर उसे भोजन देना है तो क्या गृह उद्योग धंधों को तरक्की देना जरूरी नहीं होगा? अगर गृह उद्योग धंधों को तरक्की देना है तो क्या उसमें आवश्यकता इस बात की नहीं पड़ेगी कि पावर और बिजली का इस्तेमाल किया जाय? मैं समझता हूं कि आर्थिक तरक्की के लिये बिजली का मिलना बहुत आवश्यक वस्तुओं में से है। हम यह मानते हैं कि जिनकी झोपड़ी है उनकी झोपड़ी में बिजली सस्ती न लगेगी लेकिन झोपड़ियों को रोजी दिलाने के लिये या दो चार दस गांवों में एक ऐसा मकान नहीं बन जायगा जिसमें हजार दो हजार आदमी इकट्ठा करके इस बिजली के जरिये कोई ऐसी रोजी, कोई ऐसा धंधा निकाल सकें सरकार की सहायता द्वारा जिससे दो चार घंटे काम करके अपनी रोजी पा सकें? इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि उन झोपड़ियों में भी झोपड़ी वाले लोगों को रोजी दिलाने के नाम पर बिजली दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये और मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे विद्युत मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी है, वे राज्य सरकार का ध्यान रिहन्द बांध की तरफ अधिक दिलाने की कृपा करें। मैं यह मानता हूं कि यह काम केवल राज्य सरकार के वश का शायद न हो लेकिन वश की बात करने में शायद माननीय वित्त मंत्री जी को बुरा लगे तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस काम में केन्द्रीय सरकार की सहायता लेना भी आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार की सहायता लेने के ऊपर मैं माफी चाहूंगा अपने माननीय वित्त मंत्री जी से कि हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से कोई बात कहना हाथ

पसारना अपने बड़प्पन के खिलाफ समझती है कि वह केन्द्रीय सरकार से कोई बात कहे। और यही कारण है कि आज रिहन्द बांध की यह अवस्था है। मैं समझता हूं कि अगर बिहार सरकार में १ अरब ३६ करोड़ रुपया कोसी प्रोजेक्ट के लिये केन्द्रीय सरकार से लेने की क्षमता है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में भी रिहन्द बांध के लिये ३५ करोड़ रुपया लेने की क्षमता है। तो अगर इस ३५ करोड़ रुपये की जल्द व्यवस्था हो जाय तो मैं समझता हूं कि जो १५ वर्ष की मयाद है वह कम हो सकती है और अध्यक्ष महोदय, अगर १५ वर्ष की मियाद कम हो सकेगी तो मैं समझता हूं कि लाखों आदमी जो पूर्वी जिलों में और अभावग्रस्त जिलों में भूख के शिकार हो रहे हैं वे भूख के शिकार न होने पावेंगे। साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय की जो व्यवस्था है ट्यूबवेल्स से पानी लेने की वह बहुत ही डिफेक्टिव है जिसकी वजह से पानी बहुत मंहगा पड़ता है। मैंने वहां के लोगों से पता लगाया कि आखिर ट्यूबवेल का पानी क्यों मंहगा पड़ता है तो लोगों ने स्पष्ट रूप से इस बात को बताया कि इस ट्यूबवेल का पानी इसलिये मंहगा पड़ता है कि पावर उनको नहीं मिलता है जितना कि चाहिये। अगर वे ही ट्यूबवेल २४ घंटे में १८ घंटे काम करने लग जायं तो १८ घंटे काम करने से उन ट्यूबवेल्स का पानी सस्ता पड़ता है लेकिन १८ घंटे के बजाय ६ घंटे, ८ घंटे काम करें तो पानी मंहगा पड़ता है। तो इस तरह से उनको ज्यादा शक्ति दिलाने की आवश्यकता है। इससे अव्वलन तो यह होगा कि पानी उनके खेतों तक पहुंच जायगा जिससे किसानों को लाभ होगा और उनकी खेती का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी बात यह कि लोगों को जो अरुचि हो रही है ट्यूबवेल का पानी लेने से वह पानी लेने की रुचि बढ़ेगी। यही दो एक बातें मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता था। बाकी जो दूसरी बातें हैं उनके लिये तो अध्यक्ष महोदय शायद कल का दिन नियत है। और उसमें कौन रिएक्शनरी और कौन बड़ा प्रगतिशील होगा उस पर काफी चर्चा कल होगी। मैं श्री खूबसिंह जी से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वह हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को प्रतिक्रियावादी कहने की गुस्ताखी न करें क्योंकि मैं माननीय जवाहर लाल जी के बारे में इस सदन में ही कितनी बार कह चुका हूं कि वह कहते हैं कि भूमि का बटवारा होना चाहिये और उसकी सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त ज्यादा चर्चा न करते हुये केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्य अपने घर में ही इस तरह से गाली गलौज न करें। बाकी बातों का जवाब तो कल होगा लेकिन अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम तो सब से पहले आना चाहिये। अन्त में मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी की इस इच्छा का समर्थन करूंगा कि वह मियाद बढ़ा लें लेकिन मैं हाथ बढ़ाकर एक बात कहूंगा कि वह अपने सबसे बड़े खम्भे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर लगाम लगाने की कोशिश करें। बड़ी मुश्किल यह है कि दुनिया के सारे मरजों का इलाज उन्हीं के हाथ में दे दिया गया है। जैसे कोई अनाड़ी वैद्य होता है जो एक ही दवा सब मरजों में देता है वैसा ही हाल है। इसलिये हर मर्ज में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को न रखकर उससे पिन्ड छुड़ाना चाहिये। अगर आगे एक दो साल यह कंट्रोल कुछ कामयाब होगा तो उस में माननीय वित्त मंत्री जी को क्रेडिट होगा। यह बड़ा काम है और इसमें माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान होना चाहिये।

*श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैंने जनाबवाला बहुत सी बातें सुनी जो हमेशा सुनता हूं और जिनका एक दफा नहीं बल्कि एक दफा से बहुत ज्यादा दफा उनका जवाब मैं यहां दे चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि उनको दोहराऊं और हाउस का वक्त खराब करूं लेकिन जो बातें ऐसी थीं जो कुछ नई थीं उनक बारे में कुछ कहा जा सकता है। एक साहब फरमा रहे थे कि वहां पहाड़ों में जो बिजली गई है.....

एक सदस्य--सुनाई कुछ नहीं दे रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--आप की आवाज सुनाई नहीं दे रही है आप जरा इधर हटकर बोलें तब सुनाई देगा।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---उसको इलेस्ट्रेट करने की एक मिसाल मैं इस वक्त पेश किया चाहता हूं और उसी पर खत्म करूंगा। अभी रेहन्ड डैम का जिक्र आया। उस को बनाने का जमाना १६ वर्ष मुकर्रर किया गया है और मुझ को यह हिदायत हो रही है और यह मशवरा दिया जा रहा है कि मैं केंद्रीय सरकार से मदद मागूं और इस बात की कोशिश करूं कि उसके लिये वहां से रुपया मिल जाय। वह एक साहब जब कह रहे थे मैं यह सोच रहा था कि एक जगह मैं भी था और वह भी थे और मैंने उस जगह खड़े होकर बजट की स्पीच के मुताल्लिक जो स्पीच मैंने लिखी हुई और छपी हुई पढ़ी थी और जो लिखी हुई थी और छपी हुई थी कि रेहन्ड डैम के लिये केन्द्रीय सरकार से और अमेरिकन एड से जो मिलता है कि उन्होंने वादा कर लिया है कि वह रुपया देंगे और इस साल में ४ करोड़ रुपया जो रेहन्ड डैम के लिये रखा गया है वह केन्द्रीय सरकार से आया है। यह सब चीजें मैं अर्ज कर चुका हूं। अब मुझे नहीं मालूम है कि किस बात की हिदायत मुझे है कि मैं क्या करूं। बहरहाल हिदायत है मुझे मंजूर है और मुझे उससे इत्तिफाक है मैं चाहता हूं कि बजाय १६ वर्ष के ६ वर्ष में बन जाय। १६ वर्ष बहुत दूर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ६ वर्ष में बन जाय। ऐसी ऐसी और बातें कही गई। मैं उनका क्या जवाब दूं। कुछ ऐसी बातें कही गई जो जवाब के लिहाज से लाजवाब है। मैं मजबूर हूं कि उनका क्या जवाब दूं और मैं समझता नहीं हूं कि इस बिजली के मुहकमे से क्या मौजूं और मुनासिब है। मैं झूठा हूं, गवर्नमेंट झूठी है। मैं जानता नहीं, जो साहब कहते हैं वह क्या समझते हैं कि यह जगह क्या है, कहां कह रहे हैं किसको कर रहे हैं। मैं यह जुर्रत नहीं कर सकता, मैं तोबा तोबा, मैंने कभी नहीं कहा कि अपोजीशन झूठा है, आज तक नहीं कहा .....

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जरा आप अपनी रहस्यमयी भाषा बन्द करें तो समझ में आवे।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो सुनाने के लिये और समझाने के लिये ही बोलता हूं और अगर सुनकर समझ न सकें तो मैं उनके लिये समझ कहां से लाऊं। इस किस्म की जो बातें हुई थीं जिनका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--वह तो आपको सुनना चाहते हैं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---वह तो मेरे अल्फाज नहीं हैं वह तो उन्हीं के अल्फाज थे जो कि मैं सुना चुका और अब उनको दोहराना नहीं चाहता मगर उनके उन अल्फाज को उधर बैठे हुये लोगों ने न सुना हो लेकिन इधर से उधर तक काफी लोगों ने सुना है जो इधर बैठे हुये हैं सब ने सुना।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दर्शकदीघा में दर्शकों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--अब मुझे दो एक बातें कहनी हैं इस आदरणीय सदन के सामने कल की जो बहस होने वाली है उसके संबंध में कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं और यह इसलिये मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ कि कल यहां पर दर्शकों की गैलरी में से कुछ शोर हुआ और उसके लिये आज सवेरे भी चर्चा रही और इस सदन ने मुझे अधिकार दिया कि मैं एक समिति बनाऊं और वह उस बारे में विचार करे कि

दर्शकों को जो पास दिये जायं उनकी क्या व्यवस्था आगे होनी चाहिये और कल जो वाकया गुजरा वह किस तरह से गुजरा इसकी जांच करें। इसके पेश्तर कि उसका फैसला कुछ हो अभी तो यह प्रश्न है कि सदस्यों के पास किस प्रकार भेज दिये जायं। वह पास जो मैंने वापस मंगा लिये हैं उन्हें मैं इस समिति के पास भेजने के लिये अपने दफ्तर में रख रहा हूं लेकिन मैं उनके एवज में डुप्लीकेट पास सदस्यों के पास भेज रहा हूं और मैं यह आशा करूंगा कि वे ऐसे लोगों को पास देंगे कि जिनसे सदन की प्रतिष्ठा कायम रहे। सभी ने अपने विचार इस बारे में प्रकट किये हैं और मैं भी चाहता हूं कि इस तरह का शोरगुल इस सदन में न हो। हर दल के लोगों ने इसी तरह के विचार प्रकट किये हैं और इसका मतलब स्पष्ट है कि वह कल के वाकये के बारे में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और यह भी उचित समझते हैं कि इस तरह की चीज फिर सदन के सामने न गुजरे।

मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि वह शांतिपूर्वक बैठें और इस सदन में जो वाद विवाद होता है उससे हर्ष या विषाद जो कुछ उनके दिल में आये वह दिल के अन्दर संयम के साथ ले कर रखें। और जब वह बाहर जायें तो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और उनके बारे में आपस में चर्चा कर सकते हैं लेकिन यहां के शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करने की कोशिश न करें। यह न करें कि उससे उत्तेजित हो कर कोई बात कहें या और इसी प्रकार का कोई शोर आदि करें। कभी कभी यह भी होता है कि माननीय सदस्य स्वयं थपकी लगा देते हैं, चियर्स भी होती हैं लेकिन माननीय सदस्य यहां पर वाद-विवाद करने के लिये हैं और उनको यह अधिकार हो सकता है लेकिन दर्शकों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है कि वह चियर्स भी करें या यहां के सदस्यों का अनुकरण करें या उनकी खुशी में शामिल होजायं। यह भी चीज वह नहीं कर सकते। तो जो दर्शक अभी सुन रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं वह शायद हो जायेंगे और लोग अखबारों को पढ़ेंगे, वह कल के रोज जब आयें तो उन्हें नियंत्रण के साथ आना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी जो पास वह कल दर्शकों को दें, पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वयं दें, यह न हो कि बाद में कहा जाय कि हमारे दफ्तर से वे किसी के द्वारा ईशू हो गये। मैं जानता हूं कि जो वाकयात गुजर रहे हैं उनके बारे में लोगों के दिल में बहुत वेदना है और इसलिये आपको यहां दर्शक की दृष्टि से संयम में रहना चाहिये वक्ता की दृष्टि से नहीं। यदि आपको अपने विचार प्रकट करना है तो बाहर जा कर प्रकट कर सकते हैं यहां नहीं। मेरा पहले यह भी इरादा हुआ था कि दर्शकों का आना कल के लिये इस सदन में बिल्कुल ही रोक दूं लेकिन मुझे थोड़ा सा यह लगा कि यह सदन की प्रतिष्ठा के लिये और माननीय सदस्यों की स्वयं की प्रतिष्ठा के लिये नामुनासिब है। मैं समझता हूं कि मैं अपने सदस्यों पर विश्वास कर सकता हूं कि वह मेरे कहने के बाद इस तरह की बात आगे न हो इसका ध्यान रखेंगे। यह न समझा जाय कि हम जरा सा शोर होने से इतने पैनिकी हो गये और अपनी व्यवस्था नहीं कर सके इसलिये दर्शकों का आना ही बन्द कर दिया गया यह गलतफहमी होने की सम्भावना जान कर मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों से इस बारे में यह निवेदन कर दूं और जब मैं यह आशा करूंगा कि कल के रोज शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बहस होगी और सदस्य भी अपनी भावनाओं को जब्तकरने का प्रयत्न करेंगे लेकिन अगर सदस्य थोड़ा बहुत वेदना के आवेश में कुछ ज्यादा कह जायं तो कम से कम दर्शकों को शांत रहना चाहिये और तभी मैं समझता हूं कि वह अपने को योग्य दर्शक की दृष्टि से और लखनऊ के नागरिक की दृष्टि से सफल साबित करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैंने श्रीमन् आपके पास एक पत्र भेजा था तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि होता रहा है कि माननीय मंत्री अपनी टाइप की कापी ला करके.....

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में आप कल कहें तो अच्छा है।

सार्जेंटऐट आर्म्स के विषय में परिप्रश्न

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना था कि सुबह मैंने अपका ध्यान आकर्षित करना चाहा लेकिन सफलीभूत नहीं रहा। सार्जेन्ट ऐट आर्म्स या यहां पर वाच ऐंड वार्ड का हमारे इस सदन की सुरक्षा के लिये कोई उपाय जरूर करना चाहिये उस विषय को माननीय गृह मंत्री जी ने इस तरह से टाल दिया है कि सम्भवत····

श्री अध्यक्ष—नहीं इसके ऊपर शीघ्र ही चर्चा होगी और विचार होगा यह तय हो चुका है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ अगस्त, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२८ पर)

सूची

१—मोदहा—मसकारा	कच्ची	सड़क
२—जलालपुर—मसकारा	"	"
३—सरीला—जलालपुर	"	"
४—सरीला—जडैया	"	"
५—गोहाड—जडैया	"	"
६—मसकारा—खेरला	"	"
७—अजनार—जैतपुर	"	"
८—खेरला—चरखारी	"	"
९—इजौली—खाना	"	"
१०—ढगुंवा—वेगंरा	ग्राम	सड़क
११—चन्दौट—ढगुंवां	"	"
१२—राठ—मझगवां—हीरानगर	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२८ पर)

विवरण-पत्र

मुक़दमों की किस्म	दायर हुए १९५२-५३		फैसल हुए १९५२-५३	
	१९५२	१९५३	१९५२	१९५३
रेगुलर दावे	४९८	४९८	५८१	२८७
अदालत खफीफा के मुकदमे	२४७	२२४	२२४	२८७
मुतफर्रिक मुकदमे	२३६	३३२	१८८	४०५
अदालत खफीफा के मुतफर्रिक मुकदमे	३०	२७	२९	२९
इजराय डिग्री के लिये अर्जियां रेगुलर	४०३	३५०	४१०	३७५
अदालत खफीफा	१७४	९६	९२	९७
योग	१,५८८	१,५२७	१,५२४	१,९७१

अध्यक्ष सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

तालिका नं० १

पूर्ण सूचनाएं एवं यथेष्ट सामग्री निम्नलिखित है :—

क्रमांक	बन्धी का नाम		प्रस्तावित डूबने वाला भाग (एकड़ों में)	वास्तविक भाग जो सन् १९५३–५४ में डूबा (एकड़ों में)	विवरण
१	इगोहटा		११७०	१६७८	
२	चन्द्रपुरवा बुजुर्ग	१	२२०	०२४	
३	"	२	३०	५	
४	सुमेरपुर	१	२४०	३८	
५	"	२	३६५	१८०	
६	"	३	२४०	२६	
७	"	४–६	१,५७०	२५३	
८	बांक	१	८०	१६	
९	"	२	१८०	१८	
१०	बिलहारी		२९०	०	अपूर्ण
११	नदेरा		३६८	८२	
१२	अरतारा		२२७०	१८४८	
१३	भवानिया		६००	५७	
१४	मिहुना		६३०	३८	
१५	पंधरी		७७०	२८	
१६	तेहरा	१	१,५०६	१९	
१७	"	२	६३०	२३	
१८	पचखुरा		१,४००	४८९	
१९	सिरसी		९००	७८१	
२०	गौहारी	१	१२०	३१	
२१	"	२	३०	२१	
२२	बधवा	१	६०	५६	
२३	"	२	२५	२४	
२४	"	३	३५	०	अपूर्ण
२५	"	४	६०	५४	
२६	"	५	२५	३	
२७	पहरा	१	२००	४१	
२८	"	२	२००	४२	
२९	मकरबई	१	४५	३१	
३०	"	२	४०	१७	
३१	"	३	१००	०	अपूर्ण
३२	टीकामऊ	१	५०	३९	

क्रमांक	बन्धी का नाम		प्रस्तावित डूबने वाला भाग (एकड़ों में)	वास्तविक भाग जो सन् १९५३–५४ में डूबा (एकड़ों में)	विवरण
३३	टीकामऊ	२	४५	१३	
३४	थाना		३५	१३	
३५	पसवारा	१	४०	२१	
३६	”	२	२५	०	अपूर्ण
३७	डभौरा	१	८०	१८	
३८	”	२	४५	१८	
३९	बारी		४५	३२	
४०	उंटिया	१	६०	०	अपूर्ण
४१	”	२	३०	२०	
४२	सिचौरा	१	१०५	१०	
४३	पुरा	१–३	५७५	६४	
४४	खमा	१–अ	२२	१५	
४५	”	२	५०	१५	
४६	”	३	५२	११	
४७	”	४	४५	०	अपूर्ण
४८	”	५	२५	०	”
४९	चिचारा		३४०	३०६	
५०	गंज		२५	४	
५१	रावतपुर खालसा		५०	६	
५२	घिसलनु		३५	६	
५३	गरलिया		३५	९	
५४	धुर्रा (धौरा)		४८	१०	
५५	नरवारा	१–२	१७०	४	
५६	चमरऊ	१	५०	०	अपूर्ण
५७	”	२	३०	४	
५८	इन्द्राहटा		३०	५	
५९	नगरा डांग	१–२	११५	५६	
६०	कर्रा		७८	२७	
६१	सलैया		६५	३२	
६२	पिपरा मौफ	१–८	३३५	६२	
६३	अतरार	१	८०	१	
६४	”	२	५०	०	अपूर्ण
६५	अतरा		अतरा	३	
६६	”	४	३०	२३	
६७	कैमाहा		२५	५	
६८	”	२	४०	८	
६९	”	३	२८	३	
७०	बिलराही	१–२	१२४	३८	
७१	टोटिया बारा	१	१००	९	
७२	”	२	६०	०	अपूर्ण

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रमांक	बन्धी का नाम		प्रस्तावित डूबने वाला भाग (एकड़ों में)	प्रस्ताविक भाग जो सन् १९५३–५४ में डूबा (एकड़ों में)	विवरण
७३	श्रीनगर		३२	२२	
७४	सिजहरी	१	२१	७	
७५	"	२	३३	९	
७६	मिरतला	१–२	५३	२७	
७७	रहिलिया	१	२१	२६	
७८	"	२	३२	१४	
७९	चादों	१	१५	१३	
८०	"	२	३५	७	
८१	"	३	३२	५	
८२	फतेहपुर	१–२	१७०	३७	
८३	चिकाहरा	१	६०	१	
८४	फतेहपुर	३	७०	९	
८५	चिकाहरा	२	३०	२१	
८६	"	३	३०	१८	
८७	बगराम	१–५	४७३	२०	
८८	इमलिया	१–२	४१०	४७	
८९	करौरा डांग		६०	३६	
९०	भादों धूर	१	३०	१५	
९१	"	२	१५	१३	
९२	भिलौनी		३०	२६	
९३	रिखवाहा		६०	२९	
९४	कुलपहाड़		६०	२५	
९५	बौरा	१–२	१६५	०	अपूर्ण
९६	बरही पलहारी		४०	०	"
९७	छतेसर		८०	४९	
९८	कमिया		१९०	०	अपूर्ण
९९	पनवाड़ी	१–३	३१३	०	"
		जोड़:	२०,००१	७,३०९	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

तालिका २

पूर्ण सूचनाएं एवं बन्धियों की सूची निम्नलिखित है :—

क्रमांक	प्रार्थी का नाम	कितने दिनों से प्रार्थना-पत्र पड़ा हुआ है	सर्वे किया गया अथवा नहीं	सन् १९५४–५५ के लिये कार्यक्रम	विवरण
१	२	३	४	५	६
	तहसील हमीरपुर				
१	ग्रामवासी गहरौली	३ माह	नहीं	जिला हमीरपुर में निम्नलिखत ५००० एकड़ की बन्धियां बनाए जाने की योजना है।	वर्तमान पुरानी बन्धी की मरम्मत होगी और सर्वे शीघ्र किया जायगा
२	पहौली	६ माह	नहीं		
३	गुरहा	३ माह			
४	कलोली जार	६ माह		तहसील एकड़	
५	देव ग्राम	६ माह		हमीरपुर ५००	
६	गहटौली	६ माह		मौटहा २५००	
७	जलाला	६ माह		महोबा १०००	
८	पचखुरा	१ वर्ष		चरखारी १०००	
				——— पचखुरा बन्धी के ५००० क्षेत्र में। ———	
९	सारली	१ वर्ष			प्रस्तावित नहीं की गई क्योंकि जगह ठीक नहीं है। मवई जार माईनर के क्षेत्र में है जो सुमेरपुर शाखा से निकली है।
१०	तेहरा	१ १/२ वर्ष			
११	नघेरा	१ वर्ष			
१२	इगोहटा	१ वर्ष	सर्वे की गई		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	प्रार्थी का नाम	कितने दिनों से प्रार्थना-पत्र पड़ा हुआ है	सर्वे किया गया अथवा नहीं	सन् १९५४–५५ के लिये कार्यक्रम	विवरण
१	२	३	४	५	६
	तहसील मौदहा				
१३	ग्रामवासी मौदहा	१ वर्ष	सर्वे की गई		कार्य शीघ्र अगले जाड़े में होगा।
१४	ग्रामवासी चकदहा	१ वर्ष	सर्वे किया गया		
१५	प्रिंसपल इन्टर कालेज मौदहा	१ १/२ वर्ष	सर्वे किया गया		
१६	ग्रामवासी भमई	२ वर्ष	सर्वे किया गया		
१७	चांदी कलां	२ वर्ष			
१८	श्री शास्त्री मिबूरी	२ वर्ष	सर्वे नहीं किया गया		अत्यन्त मूल्यवाह बंधी मूल्यवान होने के कारण स्वीकार नहीं की गई।
१९	ग्रामवासी परचट	१ वर्ष	सर्वे की गई		
२०	ग्रामवासी रतता	२ वर्ष	सर्वे नहीं किया गया		
२१	ग्रामवासी गुढ़ा	१ वर्ष	सर्वे नहीं किया गया		शीघ्र सर्वे किया जायगा।
२२	सुरहा (ग्रामवासी	१ वर्ष	सर्वे नहीं किया गया		सर्वे शीघ्र किया जायगा।
२३	श्री गुरदेव सभापति जिला बोर्ड गह्-रौली के लिये	६ माह	सर्वे नहीं किया गया		सर्वे शीघ्र किया जायगा।
२४	ग्रामवासी उटियां	६ माह	सर्वे किया गया		शीत ऋतु में कार्य होगा।
२५	ग्रामवासी सुनेदिया (हरिजन उत्थान विभाग)	३ माह	सर्वे नहीं किया गया		,,
२६	ग्रामवासी पहरा	१ १/२ वर्ष	सर्वे किया गया		
२७	ग्रामवासी बेला उटिया	१ १/२ वर्ष	सर्वे किया गया		
२८	ग्रामवासी जरदुरी-गंज	१ वर्ष	सर्वे किया गया		
	तहसील चरखारी				
२९	श्री लालबहादुर चौबे	१ वर्ष	सर्वे नहीं की गई		अर्जुन डाम के क्षेत्र में।
३०	श्री अवस्थी	१ १/२ वर्ष	,,		

अमर उदेश सभा

क्रमांक	प्रार्थी का नाम	कितने दिनों से प्रार्थना-पत्र पड़ा हुआ है	सर्वे किया गया अथवा नहीं	सन् १९५४–५५ के लिये कार्यक्रम	विवरण
१	२	३	४	५	६
३१	ग्रामवासी महरिया	१ वर्ष	सर्वे नहीं की गई		सर्वे शीघ्र प्रारम्भ की जायगी
३२	रुरी कवरई सभापति कांग्रेस कमेटी	३ माह	"		"
३३	ग्रामवासी महोबा कंठ	६ माह	"		"
	तहसील राठ				
३४	सर्वोदय समाज मगरौठ	१ वर्ष	"	अत्यन्त मूल्यवान एवं अत्यन्त कन्दरा युक्त	"
३५	सर्वोदय नथूपुरा	१ वर्ष	"		
३६	सर्वोदय कनकैया	१ वर्ष	"	"	"
	तहसील महोबा				
३७	मोचीपुरा	६ माह	"	"	"

नोट—अब तक हम बन्धियों को पूर्ण कराने में संलग्न थे, कुछ पूर्ण हो चुकी हैं। नया सर्वे किया जा रहा है और अनुसन्धानित क्षेत्रों की परीक्षा (Preliminary Survey) की जा रही है २,००० एकड़ भूमि की सर्वे पहले की जा चुकी है और उनका कार्य शीघ्र ही अक्टूबर, ५४ में प्रारम्भ होगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४२ पर)

जिला आजमगढ़ में निर्माण विभाग की सड़कों की सूची

प्रान्तीय सड़कें

		वर्गीकरण	लम्बाई
१	गोरखपुर-गाजीपुर सड़क	राष्ट्रीय मार्ग	२७.५
२	आजमगढ़-सुल्तानपुर सड़क	प्रान्तीय मार्ग	२७.६
३	आजमगढ़-बलिया सड़क	"	२८.७
४	आजमगढ़-फैजाबाद सड़क	"	२९.०
५	शाहगंज-बिलवाई सड़क	"	४.०
६	जौनपुर-आजमगढ़ दोहरी घाट सड़क	एम० डी० आर०	५७.३

युद्धोत्तर कालीन सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई सड़कें

पुनर्निर्माण

१	बनारस-आजमगढ़ सड़क (मुहम्मदपुर-देवगांव भाग)	एम० डी० आर०	२७.७

नव निर्माण

१	मोहम्मदाबाद-चिरयाकोट	"	१०.६
२	घोसी-मधुबन	"	८.०
३	सराय खैला-जैगहां-दीदारगंज	"	४.१

सी० सी० ट्रैक्स

सरायपुर-पवाई		५.०

ओ० डी० आर०

१	घोसी-मुहम्मदाबाद	"	१३.१
२	मधुबन-बिल्थरा	"	८.३

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११७ एल० ए०—१९५४—८५० ।